VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

# सामाजिक मुद्दे

Classroom Study Material

www.visionias.in +91 8468022022 DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD

# विषय सूची


**1. लिंग सम्बन्धी मुद्दे....5**

1.1. दहेज विरोधी कानून का दुरुपयोग....5
1.2. तीन तलाक....5
1.3. शी-बॉक्स....6
1.4. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2017....7
1.5 प्रादेशिक सेना (TA) में महिलाओं की भर्ती....8
1.6. महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु योजनाएँ....8
1.6.1 कन्याश्री प्रकल्प योजना....8
1.6.2 प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र....9
1.6.3. 'शी मीन्स बिज़नेस' कार्यक्रम....9
1.7 महिलाओं के विरूद्ध हो रही हिंसा के सन्दर्भ में योजनाएँ....10
1.7.1 स्वाधार गृह योजना....10
1.7.2 निर्भया कोष....10
1.8 बालकों को वरीयता दिए जाने और बालिकाओं के साथ भेदभाव से निपटने हेतु योजनाएँ....10
1.8.1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP)....10
1.8.2 महिलाओं के लिए सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन....12
1.9. महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएँ....13
1.9.1. स्त्री स्वाभिमान परियोजना....13
1.9.2. ICDS के अंतर्गत उप-योजनायें....14
1.10. मातृत्व लाभ योजनाएं....15
1.10.1 वात्सल्य मातृ अमृत कोष....15
1.10.2. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना....16
1.10.3. मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017....17
1.11. अन्य योजनाएं....17
1.11.1 ऑनलाइन पोर्टल 'नारी' और 'ई-संवाद'....17
1.12. ट्रांसजेंडरों से संबंधित विकास....18

**2. बच्चों से संबंधित मुद्दे....19**

2.1. बाल श्रम....19
2.2. बाल यौन शोषण....21
2.3. सुरक्षित बचपन कार्यक्रम....23
2.3.1. राष्ट्रीय बाल नीति 2013....24
2.3.2. बच्चों हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना, 2016....24

**3. वृद्ध / दिव्यांग / सुभेद्य वर्ग....26**

3.1. भारत में वृद्धजन....26
3.1.1. राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद्....26




VISION IAS

3.1.2.वृद्धावस्था के लिए नीतिगत अनुक्रिया ........ 26
3.2. दिव्यांगजन ........ 28
3.2.1. दिव्यांगजन अधिकार विधेयक, 2016 ........ 28
3.2.2. दिव्यांग सारथी ऐप ........ 29
3.3. अल्पसंख्यक ........ 30
3.3.1. गरीब नवाज़ कौशल विकास केंद्र ........ 30
3.3.2.जियो पारसी ........ 30
3.4. आदिवासी ........ 31
3.4.1 PVTGS के लिए आवासीय अधिकार ........ 31
3.4.2. एकलव्य विद्यालय ........ 32
3.5. अन्य मुद्दे ........ 32
3.5.1. महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार ACT ........ 32
3.5.2. मैनुअल स्कैवेंजिंग ........ 33
3.5.3 स्ट्रीट वेंडर्स (प्रोटेक्शन ऑफ़ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ़ स्ट्रीट वेंडिंग) एक्ट 2017 ........ 33
3.5.4. समावेशी भारत पहल ........ 34
3.5.5. 2016 इंडियन एक्सक्लूशन रिपोर्ट (IXR) ........ 36

**4. शिक्षा ........ 37**

4.1. प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा ........ 37
4.1.1. एकीकृत स्कूल शिक्षा योजना ........ 37
4.1.2. राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण ........ 39
4.1.3 नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017 ........ 40
4.2. उच्च शिक्षा ........ 41
4.2.1 उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण ........ 41
4.2.2. उत्कृष्टता के संस्थान ........ 42
4.2.3. रिवाइटलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन ........ 43
4.2.4. तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम ........ 43
4.2.5. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष ........ 44
4.3. विविध ........ 45
4.3.1. एजुकेशन डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड ........ 45
4.3.2. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्थापना ........ 45
4.3.3. वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट ........ 46
4.3.4. नवीन ऑन लाइन शिक्षा पहलें ........ 46

**5. स्वास्थ्य ........ 48**

5.1. भारत में स्वास्थ्य देखभाल की स्थिति ........ 48
5.1.1. स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत रिपोर्ट ........ 48
5.1.2. निजी स्वास्थ्य सेवा ........ 49
5.1.3. नवजात शिशुओं पर ध्यान केन्द्रित करना ........ 49
5.1.4. शिशु मृत्यु दर ........ 50



VISION IAS

5.1.5 एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच ........ 52
5.2. पोषण ........ 52
5.2.1 ग्लोबल हंगर इंडेक्स ........ 52
5.2.2. ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2017 ........ 53
5.2.3 वैश्विक रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा और पोषण का स्तर ........ 54
5.2.4 भारत में शहरी पोषण ........ 54
5.2.5. राष्ट्रीय पोषण रणनीति ........ 55
5.2.6.'जीरो हंगर' कार्यक्रम ........ 57
5.2.7.स्वस्थ बच्चे, स्वस्थ भारत कार्यक्रम ........ 57
5.2.8 थेरप्यूटिक फ़ूड ........ 58
5.3. परिवार नियोजन ........ 58
5.3.1. भारत में प्रजनन दर की प्रवृत्ति ........ 58
5.3.2. मिशन परिवार विकास ........ 59
5.4. बीमारियाँ ........ 61
5.4.1 ग्लोबल बर्डन ऑफ़ डिजीज स्टडी ........ 61
5.4.2. इंडिया स्टेट लेवल डिज़ीज़ बर्डन रिपोर्ट ........ 62
5.4.3 राष्ट्रीय सामरिक योजना (2017-24) और मिशन संपर्क ........ 63
5.4.4. मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना ........ 66
5.4.5. तम्बाकू उत्पादों पर सचित्र चेतावनी ........ 67
5.4.6. इंडिया हेल्थ फण्ड ........ 68
5.4.7. जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम 2017 ........ 68
5.5. सरकारी योजनाएँ ........ 69
5.5.1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना (NHPS) ........ 69
5.5.2.मिशन इंद्रधनुष ........ 70
5.5.3. मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम ........ 72
5.5.4. eVIN प्रोजेक्ट ........ 73
5.5.5 अस्पतालों के प्रदर्शन का आकलन करने वाला सूचकांक ........ 73
5.5.6. ECHO क्लीनिक ........ 73
5.5.7. अमृत आउटलेट ........ 74
5.5.8. जनऔषधि परियोजना ........ 74

**6. विविध ........ 76**

6.1. श्रम मंत्रालय: सामाजिक सुरक्षा योजना ........ 76
6.2. सूचकांक और रिपोर्टें ........ 76
6.2.1 सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स: स्टेट ऑफ़ इंडिया ........ 76
6.2.2. वैश्विक मानव पूँजी सूचकांक (ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स) ........ 77
6.2.3. SDGs सूचकांक ........ 78
6.3. कार्यक्रम और योजनाएं ........ 79
6.3.1. स्वच्छ भारत अभियान ........ 79



VISION IAS

6.3.2. स्वच्छता ही सेवा ........ 80
6.3.3. अरुणाचल प्रदेश खुले में शौच मुक्त (ODF) बना ........ 81
6.3.4. भारत युवा विकास सूचकांक एवं रिपोर्ट 2017 ........ 82
6.3.5. विद्यार्थी विज्ञान मंथन ........ 83
6.3.6. LPG पंचायत ........ 83
6.3.7. उत्कृष्ट इंपैक्ट बॉन्ड ........ 84
6.3.8 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम ........ 84
6.3.9. स्वजल योजना ........ 85
6.3.10 वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट ........ 85

VISION IAS

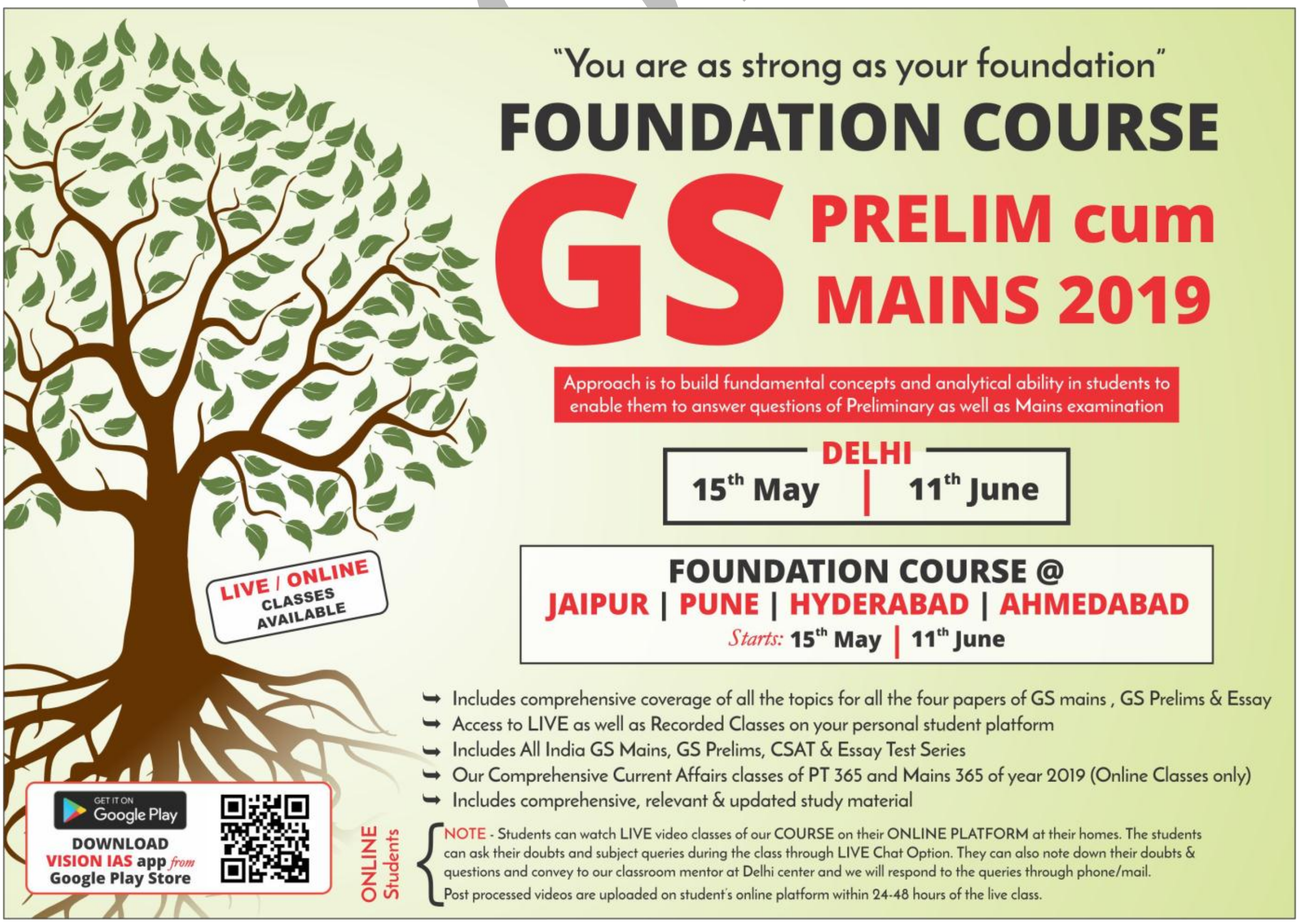

# 1. लिंग सम्बन्धी मुद्दे

(GENDER RELATED ISSUES)

## 1.1. दहेज विरोधी कानून का दुरुपयोग

(Misuse of Anti-Dowry Legislation)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

सर्वोच्च न्यायालय ने **भारतीय दंड संहिता की धारा 498 (a)** के अंतर्गत किये गए दहेज विरोधी प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए अनेक सुरक्षा उपायों का आदेश दिया है।

**दहेज विरोधी कानून 1961**

- यह दहेज देने एवं लेने का निषेध करने संबंधी कानून है।
- इसमें कुछ राज्यों द्वारा पारित किए गए **दहेज विरोधी कानूनों को समेकित** किया गया था।
- यदि कोई व्यक्ति दहेज देता-लेता या दहेज देने या लेने के लिए उकसाता है तो इस कानून की **धारा 3** में दंड का प्रावधान किया गया है।
- इसमें दहेज को, विवाह के लिए दी गई या दिए जाने पर सहमत किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में परिभाषित किया गया है।
- यह विवाह के समय दिए गए उपहारों पर लागू नहीं होता है।

**सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए परिवर्तन**

- न्यायालय ने **नागरिक समाज की भागीदारी और जांच अधिकारियों को संवेदनशील** बनाने पर जोर दिया है।
- न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न की शिकायतों की छान-बीन के लिए प्रत्येक जिले में **परिवार कल्याण समितियों** की स्थापना करने का आदेश दिया। ये समितियाँ **जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों** द्वारा स्थापित की जाएंगी। इस प्रकार की किसी समिति में तीन सदस्य शामिल हो सकते हैं।
- जब तक समिति इस मामले पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर देती, तब तक सामान्य परिस्थिति में कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए।
- ऐसी शिकायतों की जाँच **करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी ज़रूर होना चाहिए**। इसे जमानत संबंधी मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए।
- न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये दिशा-निर्देश ऐसे अपराधों में लागू नहीं होंगे जिनमें गंभीर (tangible) शारीरिक चोट पहुँची हो या मृत्यु हुई हो।

**IPC के संबंधित प्रावधान**

- **धारा 498A** - कोई भी चाहे किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार, महिला (पत्नी) को प्रताड़ित करता तो उसे तीन वर्ष तक का कारावास का दंड दिया जाएगा और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह दहेज विरोधी अधिनियम से भिन्न है।
- **धारा 304B** दहेज हत्या से संबंधित है।

## 1.2. तीन तलाक

(Triple Talaq)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

तीन तलाक से संबंधित दो नवीनतम प्रगतियां:

- हाल ही में, संवैधानिक पीठ द्वारा शायरा बानो मामले में तत्काल तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) की प्रथा पर रोक लगायी गयी है।
- इसके अतिरिक्त, लोकसभा द्वारा 'मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017' पारित किया गया है।



VISION IAS

2002 के **शमीम आरा मामले** के बाद भी इस निर्णय की आवश्यकता क्यों?

- 2002 के मामले में, उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने इस त्वरित तलाक को अवैध घोषित कर दिया था। हालाँकि यह केवल उसी स्थिति में अवैध था जब इसे भली-प्रकार घोषित न किया गया हो एवं उसके बाद सुलह के प्रयास न किए गए हों।
- नवीनतम निर्णय द्वारा **तलाक-ए-बिद्दत** को पूर्णतः और बिना शर्त के अमान्य घोषित कर दिया गया है।
- अब से केवल **कुरान में वर्णित तलाक की प्रक्रिया** के माध्यम से ही मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को तलाक दिया जा सकता है।

**मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017**

- यह तलाक की सभी घोषणाओं, जिसमें लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में की गयी घोषणाएं भी सम्मिलित है, को **शून्य और अवैध** घोषित करता है। विधेयक के अनुसार, तलाक का आशय **तलाक-ए-बिद्दत** या किसी भी अन्य समान प्रकार का तलाक, जिसके परिणामस्वरूप मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी को तत्काल और निरस्त न किया जा सकने वाला तलाक दे देता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत **तलाक-ए-बिद्दत** को एक ऐसी प्रथा के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसके अंतर्गत एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी को एक ही समय में तीन बार 'तलाक' शब्द बोलकर तत्काल और निरस्त न किया जा सकने वाला तलाक दिया जा सकता है।
- **अपराध और जुर्माना** - यह **तलाक को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध** घोषित करता है। तलाक की घोषणा करने वाले पति को तीन साल तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किये जाने का प्रावधान किया गया है।
- **भत्ता-** एक मुस्लिम महिला, जिसे तलाक दिया गया हो, अपने पति से अपने और उसके आश्रित बच्चों के लिए **निर्वाह भत्ता** प्राप्त करने की हकदार है। भत्ते की राशि का निर्धारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा।
- **अवयस्क बच्चों की अभिरक्षा (Custody)** का निर्धारण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा।

## 1.3. शी-बॉक्स

**(SHE-Box)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में सरकार ने एक ऑनलाइन प्लेटफार्म का शुभारंभ किया है जो महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है।

**शी-बॉक्स की विशिष्टताएं**

- इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर **महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 [SHW ACT]** का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।
- पोर्टल पर एक बार शिकायत दर्ज हो जाने पर वह सीधे संबंधित मंत्रालय या विभाग के ICC के पास जाएगी।
- **इसमें WCD के साथ-साथ शिकायतकर्ता भी जाँच की प्रगति की निगरानी कर सकते हैं।**
- **SHe-Box के उपयोगकर्ता के पास इस पोर्टल के माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ समयबद्ध प्रतिक्रिया के आश्वासन के साथ संपर्क करने का विकल्प भी होता है।**



VISION IAS

**SHW अधिनियम, Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:**

- यह 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न' को परिभाषित करता है तथा शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र का निर्माण करता है। **यह गलत या दुर्भावनापूर्ण आरोपों के विरुद्ध सुरक्षा भी प्रदान करता है।**
- **इसके अंतर्गत पदानुक्रम को महत्व दिए बिना, संगठित और असंगठित, सार्वजनिक या निजी, सभी क्षेत्रों की समस्त महिलाओं को सम्मिलित किया गया है। साथ ही घरेलू श्रमिकों को भी इसमें शामिल किया गया है।**
- यह 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी नियोक्ताओं के लिए प्रत्येक कार्यालय या शाखा में **आंतरिक शिकायत समिति [ICC]** का गठन करना अनिवार्य बनाता है।
- **जिला अधिकारी प्रत्येक जिले के अंदर और यदि आवश्यकता हो तो ब्लॉक स्तर पर भी, स्थानीय शिकायत समिति (LCC) का गठन कर सकता है।**
- **साक्ष्य एकत्रीकरण के संबंध में शिकायत समितियों के पास सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं। इनके द्वारा, यदि शिकायतकर्ता द्वारा अनुरोध किया जाता है तो उन्हें जांच शुरू करने से पूर्व समझौता (conciliation) करने का अवसर प्रदान किया जाता है।**
- **अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने या पुनः उल्लंघन करने की स्थिति में नियोक्ताओं के लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।**

## 1.4. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2017

**(Global Gender Gap Report 2017)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की गई।

**ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट**

- **इस रिपोर्ट** को 2006 में वर्ल्ड इकनोमिक फोरम द्वारा प्रारम्भ किया गया था। इसकी परिकल्पना निम्नलिखित दो उद्देश्यों के लिए एक फ्रेमवर्क के रूप में की गयी है-
    - लिंग आधारित असमानताओं के परिमाण को ज्ञात करना ,एवं
    - समय के साथ उनके सुधार में होने वाली प्रगति की जानकारी प्राप्त करना।
- इसके अंतर्गत 4 आयामों को सम्मिलित किया जाता है - **आर्थिक भागीदारी और अवसर**, **शैक्षणिक उपलब्धि**, **स्वास्थ्य और अस्तित्व तथा राजनीतिक सशक्तिकरण** पर आधारित है।

**रिपोर्ट के निष्कर्ष**

- नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, 2016 में 31.7% की तुलना में वर्तमान में लगभग 32% लैंगिक अंतराल को समाप्त किया जाना अभी शेष है।
- **144 देशों की सूची में आइसलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।**
- 2017 की रिपोर्ट की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह विभिन्न **उद्योग प्रतिभा पूलों और व्यवसाय** के आधार पर लिंग अंतराल प्रतिरूप का विश्लेषण करती है। इसने पाया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पुरुषों का प्रतिनिधित्व कम है जबकि इंजीनियरिंग, विनिर्माण, निर्माण और सूचना प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में महिलाओं को प्रतिनिधित्व कम है।

**भारत में लैंगिक अंतराल**

- भारत द्वारा लैंगिक अंतराल को वर्ष में 2% की दर से कम किये जाने के बावजूद, यह 21 पायदान फिसलकर 108 वें स्थान पर आ गया है।
- भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियाँ निम्नलिखित दो क्षेत्रों में विद्यमान हैं-
    - **आर्थिक भागीदारी और अवसर स्तंभ,** जहाँ इसका स्थान 139वां है।
    - **स्वास्थ्य और अस्तित्व स्तंभ,** जहां इसका स्थान 141वां है।

राजनीतिक भागीदारी और शैक्षिक उपलब्धियों के क्षेत्र में भारत का स्थान क्रमशः 15वां और 112वां रहा।

VISION IAS

## 1.5 प्रादेशिक सेना (TA) में महिलाओं की भर्ती

[Women Set to be Inducted in Territorial Army (TA)]

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रादेशिक सेना (TA) इकाइयों में महिलाओं को भर्ती न करने सम्बन्धी केंद्र की अधिसूचना को रद्द करते हुए इसके लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है।

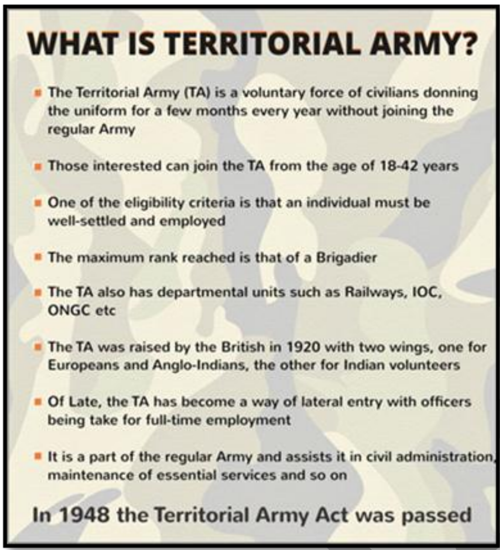


**विवरण**

- **प्रादेशिक सेना अधिनियम,1948 की धारा 6** उन नियमों का प्रस्ताव करती है जो प्रादेशिक सेना में भर्ती हेतु पात्रता निर्धारित करते हैं। TA को भारत की नियमित सेना के बाद दूसरी रक्षा पंक्ति के रूप में भी जाना जाता है।
- नियमों के अनुसार, TA में केवल स्थायी रूप से नियोजित पुरुषों को ही नियुक्त किया जाता था और इस प्रकार सेना की पैदल टुकडियों में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबन्ध होता था।
- उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की खण्डपीठ ने यह माना है कि महिलाओं की भर्ती पर प्रतिबंध की नीति भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19 (1) (g) का उल्लंघन है।

**रक्षा बलों में महिलाओं की वर्तमान स्थिति**

- भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना में विभिन्न पदों पर महिलाओं को अनुमति दी गयी है, लेकिन लड़ाकू भूमिकाओ में उनका प्रवेश अभी हाल के समय तक प्रतिबंधित था।
- 2015 में भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना तथा 2017 में भारतीय सेना ने महिलाओं को लड़ाकू भूमिकाओं में सम्मिलित करने की अनुमति दी।

## 1.6. महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु योजनाएँ

Schemes for Economic Empowerment of Women

### 1.6.1 कन्याश्री प्रकल्प योजना

(Kanyashree Prakalpa Scheme)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित कन्याश्री प्रकल्प योजना को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- भारत को एशिया-प्रशांत समूह में 'रीचिंग द पूवरेस्ट एंड मोस्ट वल्नरेबल थ्रू इंक्लूसिव सर्विसेज एंड पार्टिसिपेशन' (Reaching the Poorest and Most Vulnerable through Inclusive Services and Participation) श्रेणी के लिए प्रथम स्थान पर नामित किया गया है।
- इसके अंतर्गत बालिकाओं की स्थिति और कल्याण को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है तथा सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित परिवारों की बालिकाओं पर विशेष रूप ध्यान केन्द्रित किया गया है। योजना के तहत सशर्त नकदी अंतरण प्रदान किया जाएगा जिसका उद्देश्य निरंतर शिक्षा को प्रोत्साहित करना तथा 18 वर्ष से कम आयु में विवाह किये जाने को हतोत्साहित करना है।

VISION IAS

## 1.6.2 प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र

**(Pradhan Mantri Mahila Shakti Kendra: PMMSK)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में सरकार ने एक नई योजना **'प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र' (PMMSK)** को मंजूरी दी है। यह योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय की अम्ब्रेला स्कीम "मिशन फॉर प्रोटेक्शन एंड इम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन" का भाग है।

**PMMSK के संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य**

यह निम्नलिखित रूपों में कार्य करेगा-

- कौशल विकास, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण तथा रोजगार के अवसरों के साथ ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु वन स्टॉप कंवर्जेंस सपोर्ट सर्विस के रूप में।
- शिशु लिंगानुपात में हो रही गिरावट (CSR) में सुधार के एक उपाय के रूप में।
- ग्रामीण महिलाओं को अपने अधिकारों की प्राप्ति हेतु सरकार तक पहुँच बनाने हेतु एक इंटरफ़ेस के रूप में।

- इसकी परिकल्पना विभिन्न स्तरों पर कार्य करने हेतु की गई है। हालांकि, राष्ट्र स्तरीय (डोमेन आधारित ज्ञान समर्थन) एवं राज्य स्तरीय (महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केंद्र) संरचनाएं महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर सम्बंधित सरकार को तकनीकी सहायता प्रदान करेंगी, वहीं जिला और ब्लॉक स्तरीय केंद्र, MSK (महिला शक्ति केंद्र) को सहायता प्रदान करेंगे तथा चरणबद्ध तरीके से कवर किए जाने हेतु 640 जिलों में BBBP (बेटी बचाओ, बेटी पढाओ) को आधार भी प्रदान करेंगे।
- विद्यार्थी स्वयंसेवी ग्रामीण महिलाओं को अपने अधिकार प्राप्त करने हेतु सरकार तक पहुंच बनाने के लिए एक इंटरफ़ेस प्रदान करेंगे।

## 1.6.3. 'शी मीन्स बिज़नेस' कार्यक्रम

**('SheMeansBusiness Programme)**

- हाल ही में ओडिशा सरकार ने महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को प्रशिक्षित करने हेतु शी मीन्स बिज़नेस (SheMeansBusiness) कार्यक्रम आरंभ किया है।
- योजना के अंतर्गत 25,000 महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को आगामी एक वर्ष में निःशुल्क **डिजिटल मार्केटिंग** कौशल हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- फेसबुक **भी उद्यमियों के एक डेटाबेस** का निर्माण करेगा और एक वर्ष के पश्चात **उनके विकास, कारोबार और लाभ** की निगरानी करेगा।
- यह **MSME विभाग, मिशन शक्ति निदेशालय और फेसबुक** का एक संयुक्त उद्यम है।

**मिशन शक्ति**

- यह महिला सशक्तिकरण के लिए ओडिशा सरकार द्वारा की गयी प्रमुख पहलों में से एक है।
- यह आर्थिक सशक्तिकरण के एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ महिलाओं के SHGs को बढ़ावा देता है।



VISION IAS

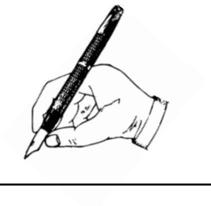

## 1.7 महिलाओं के विरुद्ध हो रही हिंसा के सन्दर्भ में योजनाएँ

Schemes in Context of Violence Against Women

### 1.7.1 स्वाधार गृह योजना

(Swadhar Greh Scheme)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- यह योजना कठिन परिस्थितियों से पीड़ित (यौन उत्पीड़न से पीड़ित भी सम्मिलित हैं) उन महिलाओं को लक्षित करती है जिन्हें राहत एवं पुनर्वास हेतु संस्थागत सहायता की आवश्यकता होती है, ताकि वे गरिमा के साथ अपना जीवनयापन कर सकें।
- इस योजना को महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। इसका फोकस प्रत्येक जिले में एक स्वाधार गृह स्थापित किए जाने पर है।
- राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को अपने राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में स्वाधार गृह स्थापित करना अनिवार्य है।

### 1.7.2 निर्भया कोष

(Nirbhaya Fund)

- भारत सरकार के अधीन वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013 में एक समर्पित निधि की स्थापना की गयी, जिसे निर्भया कोष के नाम से जाना गया। इसका उद्देश्य देश में महिलाओं के बचाव एवं सुरक्षा को बढ़ाने की पहल का कार्यान्वयन करना था।
- यह एक गैर-व्यपगत कोष है।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस कोष के तहत महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को विभिन्न मंत्रालयों के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है।
- ऐसी तीन योजनाएं हैं- 'वन स्टॉप सेंटर', 'यूनिवर्सलाईजेशन ऑफ वुमन हेल्पलाइन' और 'महिला पुलिस वालंटियर'।
- **केन्द्रीय पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि** निर्भया कोष के तहत सृजित की गई है, जो राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में उनकी पीड़ित क्षतिपूर्ति योजनाओं को समर्थन देने हेतु एक कोष है। इससे हिंसा और अपराध से पीड़ित महिलाओं को पर्याप्त एवं समय पर सहायता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

## 1.8 बालकों को वरीयता दिए जाने और बालिकाओं के साथ भेदभाव से निपटने हेतु योजनाएँ

Schemes to Deal with Son Preference & Girl Child Discrimination

### 1.8.1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP)

(Beti Bachao Beti Padhao)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- हाल ही में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (WCD) द्वारा BBBP योजना के तहत लिंगानुपात में वृद्धि का दावा किया गया था।

**पृष्ठभूमि**

- **शिशु लिंगानुपात (CSR) में गिरावट की प्रवृत्ति 1961 से बनी हुई है। CSR को 0-6 वर्ष की आयु वर्ग में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है।**
- **1991 में CSR 945 था, जो 2001 में गिरकर 927 और 2011 में 919 के स्तर पर पहुँच गया, यह एक चिंता का विषय है।**



VISION IAS

- **CSR में गिरावट, महिला सशक्तिकरण में कमी का एक बड़ा संकेत है। CSR, जन्म-पूर्व लिंग निर्धारण, जिसे लिंगाधारित चयन के रूप में व्यक्त किया जाता है और जन्म के पश्चात लड़कियों के विरूद्ध किये जाने वाले भेदभाव दोनों को दर्शाता है।**

**जन्म पर लिंगानुपात (SRB)**: प्रति 1000 लड़कों पर जन्म लेने वाली लड़कियों की संख्या है।

**बाल लिंगानुपात:** 0-6 वर्ष की उम्र के बीच प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या है। **भारत में 0-6 आयु वर्ग में लड़कियों की संख्या प्रति 1000 लड़कों पर 919 है। BBBP परिणामों को बढ़ाने के लिए अन्य पहलें**

- **'सुकन्या समृद्धि खाता:** बालिकाओं के लिए आयकर लाभ के साथ एक छोटी बचत योजना है। इसमें उच्च ब्याज दर प्रदान की जाती है, जो प्रथम वर्ष में 9.1 प्रतिशत है। **यह BBBF का एक भाग है।**
- **सेल्फी विद डॉटर:** यह एक पहल है जिसका उद्देश्य समाज को एक लड़की के माता-पिता होने पर गर्व महसूस करने के लिए प्रेरित करना है।
- **बालिका मंच-** BBBP के तहत छात्राओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और लैंगिक मुद्दों से संबंधित जागरूकता लाने के लिए।

**बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना (BBBP)**

- बाल-लिंगानुपात (CSR) में गिरावट को रोकने और महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों एवं जीवन चक्र के सातत्य को संबोधित करते हुए वर्ष 2015 में, हरियाणा के पानीपत से इस योजना की शुरुआत की गयी।
- यह योजना तीन मंत्रालयों का संयुक्त प्रयास है, जिसमें महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय शामिल हैं।
- **इस योजना के उद्देश्य निम्नलिखित है:**
  - **भेदभाव पूर्ण लिंग चुनाव की प्रक्रिया का उन्मूलन;**
  - **बालिका शिशु का अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना;**
  - **बालिकाओं की शिक्षा और सहभागिता सुनिश्चित करना**
- इस योजना में **व्यक्तिगत नकदी हस्तांतरण अवयव** या प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना का प्रावधान नहीं है।
- प्रयासों में शामिल हैं;
  - *प्री-कन्सेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नॉस्टिक टेक्निक्स एक्ट*, 1994 को लागू करना।
  - पहले चरण में चयनित जिलों (जहाँ पर CSR कम है) में राष्ट्रव्यापी जागरूकता और पहल अभियान तथा बहु-क्षेत्रीय कार्यवाही करना।
  - जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण और संवेदीकरण के साथ समुदाय को जोड़कर जागरूकता फ़ैलाने एवं लोगों की मानसिकता बदलने पर बल।
- *ANM* (नर्स) और *ASHA* (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता), जो **जमीनी स्तर से जुड़ी होती हैं**, के माध्यम से समुदाय को **प्रोत्साहित** करके बालिकाओं की शिक्षा एवं उनके स्वास्थ्य एवं पोषण आदि में सहायता प्रदान करने पर बल।
- पंचायतों, आंगनबाड़ी केन्द्रों जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर ***"गुड्डी-गुड्डा"*** बोर्डों के माध्यम से लड़कियों और लड़कों के जन्म से संबंधित लैंगिक आधार पर विभेदीकृत आंकड़े प्रदर्शित करना अनिवार्य किया जाए।

**PCPNDT Act, 1994 से संबंधित तथ्य**

- राष्ट्रीय स्तर पर यह अधिनियम 20 सितंबर 1994 को अधिनियमित और 1996 में लागू किया गया था।



VISION IAS

- इसे लिंग निर्धारण करने हेतु उपयोग की जाने वाली सक्षम प्रौद्योगिकी के विनियमन में सुधार करने के उद्देश्य से 2003 में संशोधित किया गया।
- गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था :
  - गर्भधारण से पूर्व या पश्चात् लिंग चयन तकनीकों के उपयोग पर प्रतिबंध
  - प्रसव-पूर्व निदान तकनीकों का लिंग चयनित गर्भपात हेतु दुरुपयोग किये जाने पर रोक
  - ऐसी तकनीकों के विनियमन संबंधी प्रावधान
- **यह प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाली सभी संस्थाएं तब तक कार्य नहीं कर सकतीं है, जब तक वे पंजीकृत न हो जाएँ।**
- **गर्भधारण पूर्व एवं पश्चात् लिंग निर्धारण और प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीकों के दुरुपयोग और लिंग निर्धारण की तकनीकों के संबंध में विज्ञापनों पर प्रतिबंध आरोपित किया गया है।**
- **अधिनियम और नियम के अंतर्गत उचित रिकॉर्ड के रखरखाव और संरक्षण हेतु व्यापक प्रावधान किये गये हैं।**
- **संबंधित प्राधिकरणों को मशीनों, उपकरणों तथा रिकाड्र्स की जाँच, जब्ती और सीलिंग के संबंध में सिविल कोर्ट के समान शक्तियां प्रदान की गयी हैं। इसमें कानून के उल्लंघनकर्ताओं के परिसरों की सीलिंग और गवाहों को बुलाना सम्मिलित है।**

**यह योजना निम्नलिखित के अंतर्गत एक साझा पहल है:**

**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

- गर्भधारण की पहली तिमाही में आंगनवाड़ी केंद्रों (AWCs) में पंजीकरण को बढ़ावा देना।
- हितधारकों को प्रशिक्षण देना।
- समुदायों को संघटित करना तथा जागरूक बनाना।
- लोगों को जागरूक करने हेतु जेंडर चैंपियनों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- अग्रणी कार्यकर्ताओं और संस्थानों को पुरस्कृत और सम्मानित करना।

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

- प्री-कान्सेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक्स (PCP&DT) एक्ट,1994 के क्रियान्वयन की निगरानी करना।
- संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना।
- जन्म का पंजीकरण सुनिश्चित करना।

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

- सभी बालिकाओं का स्कूलों में दाखिला।
- ड्राप-आउट रेट (स्कूल छोड़ने की दर) को कम करना।
- स्कूलों में बालिकाओं के अनुकूल मानक सुनिश्चित करना।
- शिक्षा के अधिकार (RTE) को सख्ती से लागू करवाना।
- बालिकाओं के लिए उपयोग योग्य शौचालयों का निर्माण।

## 1.8.2 महिलाओं के लिए सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन

(Mission For Protection And Empowerment For Women)

**सुर्खियों में क्यों?**

हाल ही में, मंत्रिमंडल द्वारा **महिलाओं के लिए सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन** के विस्तार को अनुमोदित किया गया है।

**महिलाओं के लिए सुरक्षा एवं सशक्तिकरण मिशन से संबंधित तथ्य**

- यह महिलाओं की देखभाल, सुरक्षा और विकास हेतु **सामाजिक क्षेत्र की एक कल्याणकारी योजना** है।





VISION IAS

* इसके उद्देश्य, घटते हुए लिंगानुपात में सुधार करना, नवजात कन्या की उत्तरजीविता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, उसकी शिक्षा को सुनिश्चित करना और उसकी क्षमता को पूर्ण करने के लिए उसे सशक्त बनाना है।

**महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन**

* **उद्देश्य:** भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं/कार्यक्रमों के अभिसरण को एक साथ लाकर समग्र तौर पर महिलाओं का सशक्तिकरण करना।
* यह निम्नलिखित हेतु विशेषज्ञ और तकनीकी सहायता प्रदान करता है
    * निर्धनता उन्मूलन और आर्थिक सशक्तिकरण,
    * स्वास्थ्य और पोषण,
    * जेंडर बजटिंग एवं जेंडर मेनस्ट्रीमिंग (अर्थात मुख्य धारा में लाना),
    * लैंगिक अधिकार, लैंगिक आधार पर की गयी हिंसा एवं कानून का प्रवर्तन,
    * संवेदनशील और सीमांत समूहों का सशक्तिकरण,
    * सामाजिक सशक्तिकरण एवं शिक्षा
    * मीडिया प्रचार एवं समर्थन
    * सूचना प्रौद्योगिकी
* **नोडल एजेंसी**: महिला और बाल विकास मंत्रालय (MWCD)
* **क्षेत्र**: इस योजना के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को राज्य महिला संसाधन केंद्र (SRCWs) के माध्यम से कवर किया जाएगा।
* राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से **कार्यान्वित**।

## 1.9. महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएँ

**Schemes Related to Women's Health**

### 1.9.1. स्त्री स्वाभिमान परियोजना

**(Project Stree Swabhiman)**

**सुर्ख़ियों में क्यों ?**

हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeITY) द्वारा 'स्त्री स्वाभिमान परियोजना' की घोषणा की गयी है।

**परियोजना के बारे में**

* इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में किशोरियों और महिलाओं को किफायती दर पर सैनिटरी उत्पादों तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक सस्टेनेबल मॉडल तैयार करना है।
* स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत की 355 मिलियन महिलाओं में से सिर्फ 12% महिलाएँ सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग करती हैं, जबकि शेष महिलाएं अस्वास्थ्यकर विकल्पों का सहारा लेती हैं। इस कारण लगभग 70% महिलाएँ प्रजनन नली सम्बन्धी संक्रमण (reproductive tract infection) जैसी बीमारियों से पीड़ित होती हैं।
* इस परियोजना के तहत, पूरे भारत में सामान्य सेवा केंद्र (common service centers : CSCs) पर सैनिटरी नैपकिन लघु विनिर्माण इकाइयों (सेमी-ऑटोमेटिक और मैनुअल प्रोसेस उत्पादन इकाई) की स्थापना की जा रही है, जोकि विशेष रूप से महिला उद्यमियों द्वारा संचालित होगी।

**सामान्य सेवा केंद्र (CSC)**, ICT सक्षम सार्वजनिक क्षेत्र की उपयोगिता सेवाओं, सामाजिक कल्याण योजनाओं, स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय, शिक्षा और कृषि सेवाओं के वितरण के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से युक्त कियोस्क है। इसके अलावा यह देश के ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में नागरिकों को B2C (Business to consumer) सुविधा भी प्रदान करता है।



VISION IAS

- उत्पाद स्थानीय ब्रांडों के नाम से बेचा जाएगा और विपणन का कार्य ग्रामीण स्तर के उद्यमियों द्वारा किया जाएगा।
- प्रत्येक CSC, 8-10 महिलाओं को रोजगार प्रदान करेगा और इस सामाजिक निषिद्धता (social taboo) को दूर करने हेतु समाज की महिलाओं को शिक्षित करेगा।
- इसमें मासिक धर्म के समय स्वच्छता से संबंधित जागरूकता पैदा करने वाले घटक को भी शामिल किया गया है। साथ ही यह भी उम्मीद की जा रही है कि यौवनावस्था में पहुँचने के पश्चात लड़कियों द्वारा बीच में शिक्षा छोड़ने की दर में भी कमी आएगी

**अन्य संबंधित योजनाएं**

**मासिक-धर्म स्वच्छता योजना** (Menstrual Hygiene Scheme-MHS)

- यह योजना स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के एक भाग के रूप में कार्यान्वित की जा रही है।
- यह प्राथमिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली किशोरावस्था की बालिकाओं के लिए सब्सिडी युक्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाती है।
- **उद्देश्य:** 10-19 वर्ष की आयु की 15 मिलियन बालिकाओं और 20 राज्यों के 152 जिलों तक योजना की पहुँच स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

**मासिक-धर्म स्वच्छता प्रबंधन राष्ट्रीय दिशानिर्देश, 2015**

- **पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय** द्वारा जारी किया गया।
- इसमें किशोरावस्था की बालिकाओं को मासिक धर्म में स्वच्छता प्रबंधन विकल्प और स्कूलों में मासिक धर्म की स्वच्छता प्रबंधन अवसंरचना तथा मासिक धर्म के कचरे का सुरक्षित निपटारा जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है।

**राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान**

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय की केन्द्र-प्रायोजित योजना के अंतर्गत, स्कूलों और लड़कियों के हॉस्टल में सेनेटरी पैड प्रदान किए जाते हैं।

### 1.9.2. ICDS के अंतर्गत उप-योजनायें

(Sub-Schemes under ICDS)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा ICDS के अंतर्गत उप-योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी प्रदान की गयी।

**पूरक पोषण कार्यक्रम (ICDS)**

- अनुशंसित आहार भत्ता (FDA) तथा औसत दैनिक अन्तर्ग्रहण (ADI) के मध्य अंतर को कम करने हेतु इसकी रुपरेखा तैयार की गयी है।
- बच्चों के विभिन्न आयु वर्गों हेतु 'ICDS खाद्य अनुपूरक' के रूप में चिह्नित माइक्रोनूट्रीएन्ट फोर्टीफाइड फ़ूड (Micronutrient Fortified Food) एवं / अथवा ऊर्जा समृद्ध भोजन के रूप में *टेक होम राशन* (THR) की सुविधा उपलब्ध कराना।

**समेकित बाल विकास योजना**

- यह एक प्रमुख सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना है एवं उनके मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास का आधार तैयार करना है।
- इसकी शुरुआत बच्चों के मध्य मृत्यु दर, रोग, कुपोषण तथा स्कूल ड्रॉपआउट की अधिकता को कम करने हेतु की गयी थी।



VISION IAS

- यह **छह समेकित सेवाओं का पैकेज** प्रदान करता है, जिसमें सम्मिलित हैं- i) पूरक पोषण कार्यक्रम (ii) प्रतिरक्षण (iii) स्वास्थ्य जांच (iv) रेफ़रल सेवाएं (v) विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षा तथा (vi) पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा।
- इसके अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक तथा आंगनवाड़ी स्तर पर 5 स्तरीय निगरानी तथा समीक्षा तंत्र सम्मिलित है।
- इसका उद्देश्य माताओं की क्षमता में वृद्धि करते हुए बच्चों की स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देख-भाल करना भी है।
- 2016-17 में, सरकार ने **आंगनवाड़ी सेवाएं, किशोर बालिकाओं हेतु योजना, बाल संरक्षण सेवाएं एवं राष्ट्रीय क्रैच योजना** जैसी कुछ योजनाओं को पुनर्गठित किया एवं इन्हें **अम्ब्रेला योजना ICDS** के अंतर्गत इसकी उप-योजनाओं के रूप में सम्मिलित किया गया। ये योजनाएं 12वीं पंचवर्षीय योजना के उपरांत से ही जारी हैं।

**ICDS के अंतर्गत प्रमुख उप-योजनाएं-**

**आंगनवाड़ी सेवाएं-** इसकी शुरुआत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं हेतु की गयी थी।

**किशोर बालिकाओं हेतु योजना-** इसका उद्देश्य उन्हें सुगम्य, शिक्षण, बेहतर पोषण तथा स्वास्थ्य स्थिति के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है।

**शिशु रक्षा सेवाएं-** इसका उद्देश्य क़ानूनी संघर्ष में उलझे बच्चों को सुरक्षित तथा भयमुक्त वातावरण प्रदान करने के साथ-साथ उनकी रक्षा तथा देखभाल करते हुए उनसे सम्बंधित सुभेद्यता को कम करना है।

**राष्ट्रीय क्रेच सेवाएं-** इसका उद्देश्य कार्यशील माताओं हेतु, उनके कार्य करने की अवधि के दौरान कार्यस्थल पर उनके बच्चों हेतु एक सुरक्षित स्थान प्रदान करना है। इससे महिलाओं को रोजगार प्राप्ति हेतु सशक्त बनाया जा सकेगा।

## 1.10. मातृत्व लाभ योजनाएं

**(Maternity Benefit Schemes)**

### 1.10.1 वात्सल्य मातृ अमृत कोष

**(Vatsalya-Maatri Amrit Kosh)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, दिल्ली में *नेशनल ह्यूमन मिल्क बैंक* तथा *लैक्टेशन काउंसलिंग सेंटर (वात्सल्य-मातृ अमृत कोष)* की स्थापना की गई है।
- इसका गठन नॉर्वे सरकार, ओस्लो विश्वविद्यालय तथा नॉर्वे इंडिया पार्टनरशिप इनिशिएटिव (NIPI) के संयुक्त सहयोग द्वारा किया गया है।

**निरपेक्ष मातृ स्नेह (Mothers Absolute Affection: MAA)**

- यह **स्तनपान के लाभों** के विषय में लोगों के मध्य, विशेष रूप से माताओं तथा नवजात शिशु से संबंधित परिवारों में **पर्याप्त जागरूकता उत्पन्न करने को सुनिश्चित** करने हेतु एक प्रमुख कार्यक्रम है।
- सर्वोत्कृष्ट स्तनपान प्रचलनों को प्रोत्साहित करने के साथ यह कार्यक्रम **जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने**, पहले **छह महीनों के लिए विशेष स्तनपान** तथा कम से कम **दो वर्षों तक** सतत रूप से स्तनपान कराने **पर ध्यान केंद्रित करेगा**।
- माताओं को स्तनपान कराने सम्बन्धी प्रासंगिक जानकारी तथा परामर्श सहायता प्रदान करने के लिए सरकारी अस्पतालों में नर्सों, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (ASHA) तथा सहायक नर्स मिड-वाइफों (ANM) को प्रशिक्षण देना।
- सभी राज्यों में **MAA सचिवालय** तथा जिला स्तर पर **स्टीयरिंग कमेटी** का गठन किया जायेगा।
- **कार्यक्रम की निगरानी UNICEF** तथा अन्य सहभागियों द्वारा की जाएगी।



VISION IAS

**पृष्ठभूमि**

- भारत में 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 13% नवजात शिशुओं की मृत्यु स्तनपान से सम्बद्ध अनुपयुक्त प्रथाओं के कारण हो जाती है।
- कुल प्रसव में से संस्थागत प्रसव के बढ़कर 78.9% हो जाने के पश्चात भी स्तनपान कराने वाली माताओं द्वारा शीघ्र स्तनपान कराना शुरू कर दिये जाने का प्रतिशत केवल 40% ही है।

## 1.10.2. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

[Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana]

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)** के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देशों का प्रारूप तैयार किया गया है।

**प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना** को पहले इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से जाना जाता था।

**विशेषताएँ**

- प्रारूप में शामिल दिशा-निर्देश हैं-
  - आधार लिंकेज
  - लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में तीन किस्तों में **5000 रु.** का **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण:**
    - गर्भावस्था के आरम्भिक पंजीकरण के स्तर पर।
    - गर्भावस्था के छह महीने के बाद कम से कम एक प्रसवपूर्व स्वास्थ्य परीक्षण (चेक-अप) एवं बच्चे के जन्म के पंजीकरण पर।
    - बच्चे के टीकारण के प्रथम चक्र पर।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) केन्द्र-प्रायोजित योजना है। इसका पर किया जाने वाला व्यय निम्नलिखित अनुपात में साझा किया जायेगा -
  - केंद्र और राज्यों एवं विधानसभा युक्त संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य 60:40 के अनुपात में।
  - केंद्र तथा पूर्वोत्तर राज्यों एवं तीन हिमालयी राज्यों के साथ, 90:10 के अनुपात में।
  - बिना विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% केंद्रीय सहायता।

**योजना के संबंध में**

- यह सभी गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (PW&LM) के लिए उपलब्ध है। लेकिन इसमें वे महिलाएं शामिल नहीं हैं, जो केन्द्र या राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में नियमित कर्मचारी हैं। इनके अतिरिक्त इस समय लागू किसी भी कानून के अंतर्गत इसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- यह सामान्य रूप से परिवार में जन्मे प्रथम जीवित शिशु के लिए उपलब्ध है, क्योंकि कोई महिला अपनी प्रथम गर्भावस्था के दौरान नई चुनौतियों और तनावपूर्ण कारकों का सामना करती है।
- इस योजना के उद्देश्य हैं-
  - गर्भवती महिला के वेतन में कटौती के लिए नगद प्रोत्साहन राशि के रुप में आंशिक मुआवजा प्रदान करना, ताकि महिला पहले बच्चे के जन्म से पहले तथा बाद में पर्याप्त आराम कर सके; और
  - नगद प्रोत्साहन राशि के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता को बढ़ावा देना।

VISION IAS

### 1.10.3. मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017

**[Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017]**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- हाल ही में, मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 अधिसूचित किया गया।

**इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान:**

- इसके द्वारा मातृत्व लाभ अधिनियम,1961 में संशोधन किया गया है।
- इसके तहत महिला कर्मचारियों को दिए जाने वाले भुगतान सहित मातृत्व अवकाश की अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया है। परन्तु वर्द्धित मातृत्व लाभ केवल प्रथम दो बच्चों के जन्म पर ही उपलब्ध होगा।
- इसमें दत्तकग्राही (adoptive) तथा कमीशनिंग (commissioning) माताओं पर लागू होने वाले लाभों का विस्तार किया गया है। इसके साथ ही, बच्चा गोद लेने वाली किसी महिला को 12 सप्ताह का मातृत्व लाभ प्रदान किए जाने का प्रावधान भी किया गया है।
- यह "वर्क फ्रॉम होम" से संबंधित एक समर्थकारी प्रावधान प्रस्तुत करता है। यह 26 सप्ताहों की अवकाश अवधि की समाप्ति के पश्चात प्रयोग में लाया जा सकता है।
- इसके तहत, 50 या अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान हेतु शिशु-गृह (creche) सुविधा प्रदान करना अनिवार्य किया गया है।
- प्रत्येक प्रतिष्ठान द्वारा महिला को उसकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रत्येक लाभ की सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी।

## 1.11. अन्य योजनाएं

**(Other Schemes)**

### 1.11.1 ऑनलाइन पोर्टल 'नारी' और 'ई-संवाद'

**(Online Portals 'Nari' And 'E-Samvaad')**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, सरकार द्वारा दो ऑनलाइन पोर्टलों- 'नारी' और 'ई-संवाद' का शुभारंभ किया गया है।

**नारी (NARI)**

- महिला संबंधी विभिन्न योजनाओं / विधानों की जानकारी किसी निश्चित स्थान पर उपलब्ध नहीं होने के कारण जन-सामान्य इसके प्रति जागरूक नहीं हो पाते हैं। इस समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा 'नारी' पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसकी मदद से सभी सूचनाओं और सेवाओं को एक ही विंडो पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- यह राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना के तहत एक मिशन-मोड प्रोजेक्ट है, जिसे राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (NIC), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।

**ई-संवाद पोर्टल**

- यह गैर-सरकारी संगठनों तथा सिविल सोसाइटी संस्थाओं द्वारा महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव, शिकायतों तथा सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं (बेस्ट प्रैक्टिसेज) को साझा करने हेतु एक मंच है।
- यह महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए प्रभावी नीतियों और मानकों के निर्माण में सहायता करेगा।

VISION IAS

## 1.12. ट्रांसजेंडरों से संबंधित विकास

**(Developments Related To Transgender)**

- भारत की प्रथम ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट का आयोजन केरल राज्य खेल परिषद् द्वारा तिरुवनंतपुरम् में किया गया।
- केरल ट्रांसजेंडरों के संवैधानिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु ट्रांसजेंडर नीति का निर्माण करने वाला देश का प्रथम राज्य है।
- ओडिशा देश का ऐसा प्रथम राज्य है जिसने ट्रांसजेंडरों को समाज कल्याण लाभ, जैसे कि पेंशन, आवास तथा खाद्यान्न प्रदान किए हैं।
- हाल ही में, आंध्र प्रदेश द्वारा भी ट्रांसजेंडर समुदाय हेतु पेंशन योजना की घोषणा की गयी है।

# 2. बच्चों से संबंधित मुद्दे

(CHILD RELATED ISSUES)

## 2.1. बाल श्रम

(Child Labour)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

भारत ने बाल श्रम पर दो प्रमुख ILO कन्वेंशनों, मिनिमम ऐज कन्वेंशन (No 138) और *वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ़ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन* (No 182) का अनुसमर्थन किया है।

**पृष्ठभूमि**

- भारत द्वारा 182वें और 138वें कन्वेंशनों के अनुमोदन की मुख्य वजह बच्चों के बलात या अनिवार्य नियोजन से निपटना तथा खतरनाक व्यवसायों में रोजगार की उम्र 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष करना था।
- भारतीय संसद द्वारा बाल श्रम (निषेध और नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 के पारित होने से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के नियोजन तथा 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को खतरनाक व्यवसायों में नियोजित करने पर रोक लग जाएगी। अतः अब भारत 182वें और 138वें कन्वेंशन्स को स्वीकृति दे सकता है।
- हालांकि, ILO के 182वें और 138वें सम्मेलनों के प्रावधानों के तहत, भारत में बाल श्रम के सबसे खराब स्वरुप की समाप्ति के लिए किसी एक निश्चित समय सीमा का अनुपालन नहीं करना होगा।
- इसके लिए राज्यों को बाल श्रम के प्रभावी उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय नीति का अनुपालन करने और रोजगार या किसी कार्य में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु में उत्तरोत्तर वृद्धि करने की आवश्यकता है। इस सम्मेलन की अभिपुष्टि के माध्यम से, कोई देश बाल श्रम के निकृष्टतम स्वरूपों को निषिद्ध और समाप्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने हेतु स्वयं को प्रतिबद्ध करता है।
- इसके अंतर्गत बाल श्रम के निकृष्टतम स्वरूपों को निषिद्ध किया गया है, जो इस प्रकार हैं - सभी प्रकार की दासता या दासता के समान परम्पराएं जैसे कि बच्चों की बिक्री और तस्करी, ऋण दासता और कृषि दास तथा सशस्त्र संघर्षों में बच्चों की अनिवार्य भर्ती सहित बलपूर्वक या अनिवार्य श्रम आदि।

**संबंधित जानकारी**

भारत अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का एक संस्थापक सदस्य है। ILO 1919 में अस्तित्व में आया।

**कन्वेंशन और अनुशंसाएं:** ILO,**अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों** को और अनुशंसाओं के रूप में स्थापित करता है। ये कानूनी साधन हैं। **कन्वेंशन**, वैधानिक रूप से बाध्य अंतरराष्ट्रीय संधियाँ हैं जिन्हें सदस्य देशों द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है जबकि अनुशंसाएं गैर-बाध्यकारी दिशा-निर्देशों के रूप में कार्य करती हैं। कई मामलों में, कन्वेंशन इसे अनुमोदित करने वाले देशों द्वारा लागू किए जाने वाले बुनियादी सिद्धांतों को निर्धारित करता है, जबकि इससे संबंधित अनुशंसाएं कन्वेंशन को लागू करने के तरीकों के बारे में अधिक विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान करके कन्वेंशन को पूर्ण बनाती हैं। अनुशंसाएं स्वायत्त भी हो सकती हैं, अर्थात् इनका किसी भी कन्वेंशन से सम्बद्ध होना आवश्यक नहीं है।

**फंडामेंटल कन्वेंशन:** ILO के अधिशासी निकाय ने आठ कन्वेंशन्स को "फंडामेंटल" या मूल कन्वेंशन के रूप में चिन्हित किया है। ये उन विषयों को शामिल करते हैं जिन्हें आधारभूत सिद्धांतों और कार्यस्थल पर अधिकारों के रूप में जाना जाता है। इन सिद्धांतों को कार्य के बुनियादी सिद्धांतों और अधिकारों के तौर पर ILO की घोषणा (1998) में शामिल किया गया है।

इन दो प्रमुख ILO कन्वेंशनों के अनुसमर्थन के साथ, भारत ने अब तक 8 में से 6 मुख्य ILO कन्वेंशनों का अनुमोदन किया है।

VISION IAS

**भारत द्वारा स्वीकृत अन्य चार प्रमुख कन्वेंशन्स निम्नलिखित हैं:**

- फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन (No 29) और बलात श्रम के उन्मूलन से सम्बंधित अबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन (No 105),
- इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन (समान पारिश्रमिक कन्वेंशन) (No 100),
- रोजगार और व्यवसाय में पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव को समाप्त करने से संबंधित डिसक्रिमिनेशन (एम्प्लॉयमेंट और ऑक्यूपेशन) कन्वेंशन।

दो मुख्य **ILO** कन्वेंशन**, जिन्हें भारत द्वारा अभी तक अनुमोदित किया जाना बाकी है।** वे हैं:-

- फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राईट टू ऑर्गनाइज (No 87)
- राईट टू ऑर्गनाइज एंड कलेक्टिव बारगेनिंग कन्वेंशन (No 98)

**राष्ट्रीय बाल श्रम नीति (NCLP)**

- राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, 1987 में बाल श्रम की समस्या से निपटने हेतु कार्य एक योजना शामिल की गयी है। इसमें सम्मिलित हैं-
  - एक विधायी कार्य योजना
  - जहां भी संभव हो, बच्चों को लाभान्वित करने के लिए सामान्य विकास कार्यक्रमों को केन्द्रित एवं समन्वित करना, और बाल श्रम के उच्च सघनता वाले क्षेत्र में कार्यरत बच्चों के कल्याण के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु परियोजना-आधारित कार्य योजना।
- राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अनुपालन हेतु 1988 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना (NCLPS) को बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु आरंभ किया गया था।
- NCLPS एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य है-
  - बाल श्रम के सभी रूपों की निम्नलिखित उपायों के माध्यम से समाप्ति
    - ऐसे सभी बच्चों की पहचान करना एवं उनको श्रम क्षेत्र से हटाना। साथ ही साथ उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित शिक्षा की मुख्यधारा में लाने हेतु तैयार करना;
    - बच्चों एवं उनके परिवार के लाभ हेतु विभिन्न सरकारी विभागों/एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का समन्वय सुनिश्चित करना;
  - किशोरों को खतरनाक व्यवसाय/प्रक्रियाओं से निकालने में सहयोग करना तथा कौशल विकास की मौजूदा योजनाओं के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसरों को सुविधाजनक बनाते हुए उनके कौशल में वृद्धि और उन्हें उचित व्यवसायों में लगाना;
  - इस विषय पर हितधारकों और लक्षित समुदायों में जागरूकता का प्रसार करना; और
  - एक बाल श्रम मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम की स्थापना करना।

**बाल श्रम (निषेध और नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016**

इसके द्वारा बाल श्रम (निषेध और नियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन किया गया।

- नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 से सुसंगत रूप में, यह अधिनियम सभी व्यवसायों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन को प्रतिबंधित करने का प्रावधान करता है, केवल ऐसे कार्यों को छोड़कर जहां बच्चे स्कूल के निर्धारित समय के पश्चात् अपने परिवार की सहायता करते हैं।
- इसके अंतर्गत "किशोर" नामक एक नई श्रेणी को सम्मिलित किया गया है। इसके द्वारा एक किशोर को 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है। यह किशोरों को खतरनाक व्यवसायों (खानों, ज्वलनशील पदार्थ और खतरनाक प्रक्रियाओं) में नियोजित करने पर प्रतिबंध आरोपित करता है।



VISION IAS

- केंद्र सरकार अधिनियम में शामिल खतरनाक व्यवसायों की सूची से किसी भी व्यवसाय को जोड़ या हटा सकती है।
- यह किसी व्यवसाय में किसी बच्चे को नियोजित करने हेतु दंड में वृद्धि करता है। इसके अतिरिक्त यह बच्चों को खतरनाक व्यवसाय में नियोजित करने के लिए जुर्माने का प्रावधान भी कर सकता है।
- यह सरकार को उन स्थानों का आवधिक निरीक्षण करने के लिए सशक्त बनाता है, जहां बच्चों और किशोरों को नियोजित करना निषिद्ध है।

**पेंसिल (बाल श्रम के कारगर कार्यान्वयन के लिए मंच) पोर्टल**

यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज के लक्ष्य की प्राप्ति में केंद्र, राज्य, जिला सरकार, नागरिक समाज और जन सामान्य को सम्मिलित करना है।

पेंसिल' पोर्टल के निम्नलिखित घटक हैं-

- चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम
- कंप्लेंट कार्नर
- राज्य सरकार
- राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना
- परस्पर सहयोग।

बाल श्रम के विरुद्ध संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 23(1),** मानव दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलातश्रम को निषिद्ध किया गया है और इस उपबंध का उल्लंघन को अपराध माना जाएगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।
- **अनुच्छेद 24** के अंतर्गत चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी भी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।
- **अनुच्छेद 39(e)**- यह प्रावधान करता है कि राज्य, विशेष रूप से, अपनी नीति को इस प्रकार निर्देशित करेगा कि पुरुष और महिला कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति अनुकूल न हो।

## 2.2. बाल यौन शोषण

**(Child Sex Abuse )**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अब साइबर बुलिंग, साइबर स्टाकिंग, फोटो के साथ छेड़खानी, तथा चाइल्ड पोर्नोग्राफी को नियंत्रित करने के लिए अपना दायरा बढ़ा दिया है।
- नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने बाल यौन दुर्व्यवहार से संबंधित राष्ट्रीय जागरूकता में को बढ़ाने हेतु 'भारत यात्रा' की घोषणा की है।

**बाल यौन शोषण (CSA) क्या है?**

**बाल यौन शोषण रोकथाम पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के परामर्श, 1999** के अनुसार, "बाल यौन शोषण का अर्थ किसी बच्चे के ऐसी यौन गतिविधि में संलिप्त होने से है;

- जिसके प्रति उसमें पूरी समझ विकसित नहीं हुई है,अथवा
- जिसके प्रति वह सूचित सहमति देने में असमर्थ है, या
- जिसके लिए बच्चा/बच्ची अपनी विकासात्मक अवस्था के अनुसार तैयार नहीं है तथा सहमति प्रदान नहीं कर सकता/सकती, अथवा
- जो कानूनों या सामाजिक वर्जनाओं का उल्लंघन करती है।



VISION IAS

**यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ़ द चाइल्ड**

- यह 1990 से प्रभावी हुआ है। यह सभी राज्य पक्षकारों द्वारा पालन करने के हेतु बनाए गए मानदंडो के उस समुच्चय को निर्धारित करता है जिससे बच्चों के हितों को सर्वोत्तम प्रकार से सुरक्षित बनाया जा सकता है। भारत ने 1992 में इसकी अभिपुष्टि की।
- यह पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय उपकरण है जो बच्चों से संबंधित व्यापक मानवाधिकारों को समाविष्ट करता है। इन व्यापक अधिकारों के अंतर्गत नागरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार सम्मिलित हैं।
- कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ़ द चाइल्ड के सभी पक्षकारों के लिए यह आवश्यक है कि वे निम्नलिखित के निवारण हेतु समुचित कदम उठाये —
  - किसी भी गैरकानूनी यौन गतिविधि में संलग्न होने के लिए बच्चे को प्रलोभन देना या मजबूर करना।;
  - वेश्यावृति अथवा अन्य गैरकानूनी यौन व्यवहारों हेतु बच्चों का शोषणकारी उपयोग;
  - पोर्नोग्राफिक कार्यों अथवा सामग्रियों के लिए बच्चों का शोषणकारी उपयोग।
- इसके अतिरिक्त 3 वैकल्पिक प्रोटोकॉल (कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ़ द चाइल्ड के अंतर्गत) भी हैं जिन्हें कोई देश स्वतंत्र रूप से अपने लिए बाध्यकारी (यदि चाहे तो) बना सकता है।
  - सशस्त्र संघर्षों में सम्मिलित होने से बच्चों की सुरक्षा करना।
  - यौन शोषण से सुरक्षा।
  - बच्चों को अपनी शिकायतें सीधे बाल अधिकारों पर बनी समिति को करने की अनुमति प्रदान करना।

*भारत ने केवल पहले दो प्रोटोकॉलों को अपनी अभिपुष्ट प्रदान की है।

**यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के संबंध में**

- यह बच्चों की यौन हमले, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से सुरक्षा करता है। साथ ही, यह इस प्रकार के अपराधों व मामलों (जो इससे जुड़े हों अथवा इस हेतु महत्वपूर्ण हों) की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है।
- यह 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन हमलों, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से सुरक्षा प्रदान करता है।
- पहली बार इसने स्पर्श के साथ-साथ बिना स्पर्श व्यवहारों (उदाहरण- बच्चों की फोटोग्राफी) संबंधी पहलुओं को भी सूचीबद्ध किया है।
- इसके अंतर्गत रिपोर्ट करने (reporting), साक्ष्य देने (recording of evidence), जांच और अपराधों की सुनवाई की बच्चों के अनुकूल प्रक्रियाओं को समाविष्ट किया है।
- यदि अपराध को करने का प्रयास भी किया जाता है तो उसे भी वास्तविक अपराध के लिए दिए जाने वाले दंड से आधे दंड के योग्य माना जाएगा।
- यह अपराध करने के लिए उकसाने पर भी दंड का प्रावधान करता है, जो उस अपराध को करने के लिए दिए जाने वाले दंड के समान ही है। इसमें यौन उद्देश्यों के लिए किया जाने वाला बच्चों का दुर्व्यापार भी सम्मिलित है।
- पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ऐग्रवेट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट एवं ऐग्रवेट सेक्सुअल असॉल्ट जैसे अधिक घृणित अपराधों के मामलों में साक्ष्य का दायित्व (बर्डन ऑफ़ प्रूफ) आरोपी पर ही डाला गया है।
- विशेष न्यायालय की अनुमति के बिना मीडिया को बच्चे की पहचान उजागर करने से प्रतिबंधित किया गया है।

VISION IAS

**पॉक्सो ई-बॉक्स (POCSO e-box)**

- यह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की एक पहल है जो बच्चों को ऐसे अपराधों की सीधे आयोग को रिपोर्ट करने में सहायता करती है।
- ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन तंत्र, पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत अपराधियों के विरुद्ध रिपोर्टिंग सरल ढंग से करने व समयबद्ध कार्यवाही करने को सक्षम बनाता है।

## 2.3. सुरक्षित बचपन कार्यक्रम

**(Safe Childhood Programme)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR), पंचायती राज मंत्रालय तथा यूनिसेफ (UNICEF) द्वारा संयुक्त रूप से सुरक्षित बचपन कार्यक्रम पर दिशा-निर्देशों के संबंध में एक विवरण-पुस्तिका जारी की गयी है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

हाल ही में यूनिसेफ ने "स्टेट ऑफ़ वर्ल्डस चिल्ड्रन रिपोर्ट: **चिल्ड्रन इन द डिजिटल वर्ल्ड,** 2017 नामक रिपोर्ट जारी की है।

**सुरक्षित बचपन कार्यक्रम से संबंधित तथ्य:**

- यह बच्चों (तीन से दस वर्ष की आयु के) को यौन, भावनात्मक तथा शारीरिक शोषण का **निवारण करने में उनकी सहायता** हेतु कौशल उपलब्ध करवाता है।
- यह **बच्चों की इस प्रकार की सुरक्षा** पर बल देता है, जिसे मिथ्याबोध, भय या चिंता के सृजन या एक बच्चे की विश्वास की भावना को कम किए बिना ही बढ़ाया जा सकता है।
- यह बच्चों के स्वास्थ्य, विकास, शिक्षा तथा सुरक्षा से संबंधित **वर्तमान परिदृश्य को सुधारने में** योगदान करेगा।

**संबंधित जानकारी**

**राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग**

- राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर इस **सांविधिक निकाय** की स्थापना करने का प्रस्ताव बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अंतर्गत किया गया।
- 2007 में स्थापित यह आयोग **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** के नियंत्रणाधीन है।
- इसमें एक अध्यक्ष एवं 6 अन्य सदस्य (जिनमें कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए जिन्हें बाल मनोविज्ञान, शिक्षा आदि के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त हो) शामिल होते हैं।
- **बाल पंचायत:** यह मॉडल संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ/UNICEF) द्वारा प्रारम्भ एवं समर्थित है।
  - बाल पंचायत का निर्माण गाँव में सहभागी शासन सुनिश्चित करता है तथा बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों की एक भावना का समावेश करता है।
- भारत द्वारा वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय की अभिपुष्टि की गयी थी तथा देश में बाल अधिकारों की सुरक्षा हेतु एक आवश्यक कदम के रूप में यह अधिनियम पारित किया गया था।

VISION IAS

**एकीकृत बाल संरक्षण योजना**

- यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पूर्ववर्ती योजनाओं और उनके क्रियान्वयन में अन्तराल को समाप्त करने तथा कठिन परिस्थितियों में बच्चों के सम्पूर्ण विकास के लिए सकुशल और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने हेतु प्रारम्भ की गई थी।
- इस योजना के तहत शहरी एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों (जिनमें फुटपाथ पर रहने वाले बच्चे भी सम्मिलित हैं) के लिए 'खुले आश्रय गृहों' की स्थापना का प्रावधान है। इन गृहों में व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन, ब्रिज एजुकेशन इत्यादि गतिविधियाँ सम्मिलित होंगी।
- यह राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में जिला बाल संरक्षण समितियों की स्थापना का प्रावधान करती है। इसके उत्तरदायित्वों में बच्चों की निराश्रयता को रोकने के लिए संकटग्रस्त परिवारों और बच्चों की पहचान करना शामिल है।

### 2.3.1. राष्ट्रीय बाल नीति 2013

### (NATIONAL POLICY FOR CHILDREN 2013)

- इस नीति के तहत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बालक के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है।
- इसमें स्वीकार किया गया है कि बच्चे एक सजातीय समूह नहीं हैं तथा इन्हें भिन्न-भिन्न प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता होती है।
- इसका लक्ष्य परिवार को बच्चे के पालन-पोषण में सहायता हेतु एक सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करना है।
- इसके तहत वर्णित किया गया है कि प्रत्येक बच्चे को सार्वभौमिक, अपरिहार्य (inalienable) तथा अविभाज्य अधिकार प्राप्त हैं।
- इसके चार प्राथमिक क्षेत्र हैं:
  - उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और पोषण,
  - शिक्षा और विकास,
  - बाल संरक्षण तथा
  - बाल सहभागिता।

### 2.3.2. बच्चों हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना, 2016

### (NATIONAL ACTION PLAN FOR CHILDREN, 2016)

बच्चों हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना, 2016 के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं-

- **बाल उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी**
  - यह योजना मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल के सार्वभौमीकरण द्वारा बाल स्वास्थ्य में सुधार करने में सहायता करेगी।
  - यह सार्वभौमिक प्रतिरक्षण जैसी पहलों द्वारा नवजात शिशुओं की देखभाल पर भी बल देगी।
  - यह समयबद्ध उपायों के माध्यम से माता और शिशु की प्रसव-पूर्व (pre-natal), प्रसव के दौरान (peri-natal) तथा प्रसव पश्चात्(post-natal) देखभाल द्वारा मानसिक एवं शारीरिक अक्षमताओं का निवारण करेगी।



VISION IAS

- **शिक्षा और विकास संबंधी**
  - इसके द्वारा 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण आरम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) तक सार्वभौमिक एवं न्यायसंगत पहुंच उपलब्ध करायी जाएगी।
  - यह सभी बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर तक वहनीय एवं सुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रोत्साहित करेगी।
- **बाल संरक्षण संबंधी**
  - यह बाल संरक्षण हेतु सभी स्तरों पर विधायी, प्रशासनिक और संस्थागत समाधान तंत्रों को सशक्त बनाएगी।
- **बाल सहभागिता संबंधी**
  - यह सुनिश्चित करेगी कि बच्चे उनसे संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और नियोजन में सक्रिय रूप से भाग लें।

VISION IAS


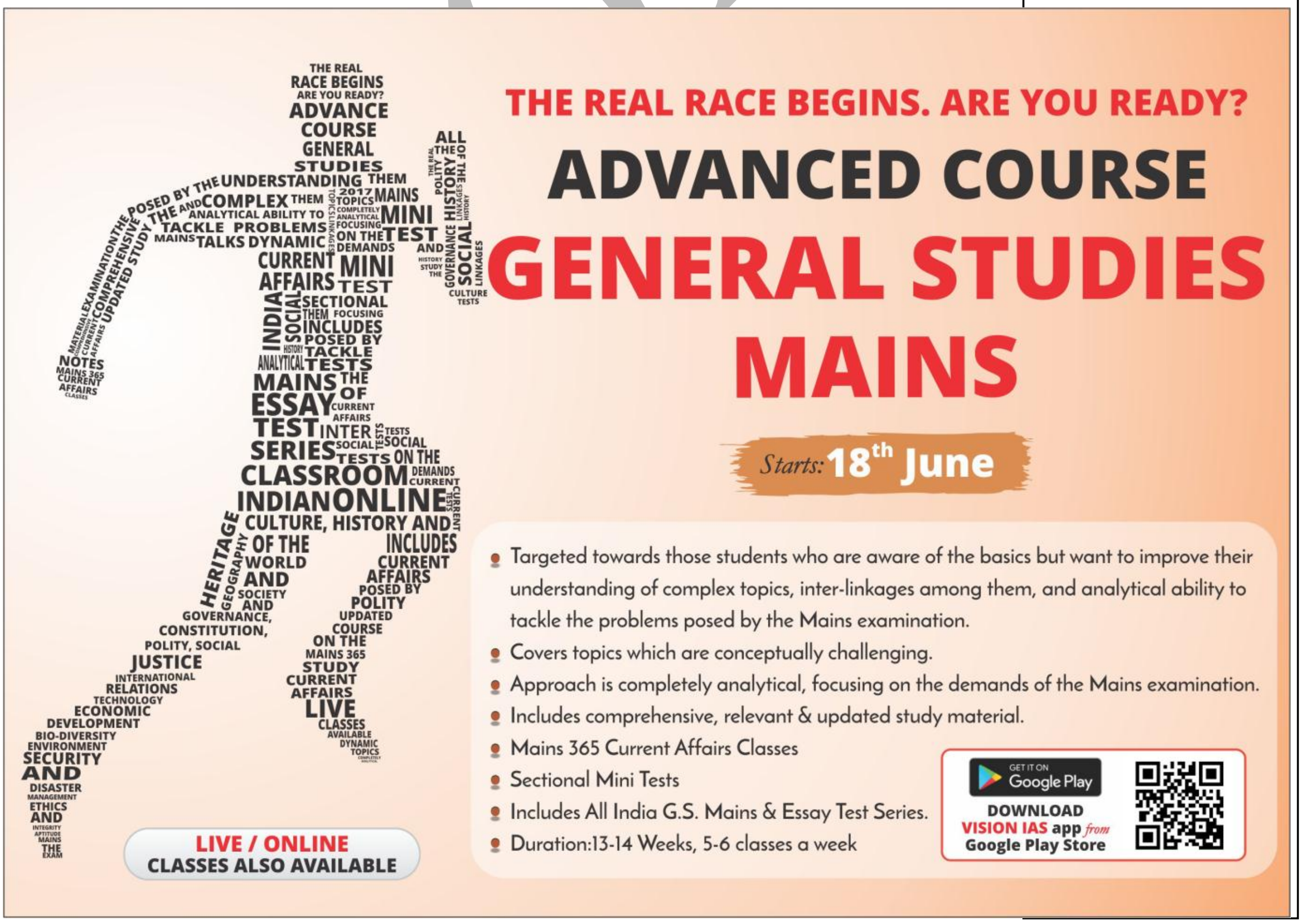

# 3. वृद्ध / दिव्यांग / सुभेद्य वर्ग

(OLD AGE / DISABLED / VULNERABLE SECTIONS)

## 3.1. भारत में वृद्धजन

(Elderly in India)

### 3.1.1. राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद्

(National Council Of Senior Citizens)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने **राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद (NCSrC)** की द्वितीय बैठक का आयोजन किया।

**संबंधित जानकारी**

- **अनुच्छेद 41:** राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर कार्य, शिक्षा एवं बेरोजगारी, वृद्धावस्था, रूग्णता तथा निःशक्तता के मामलों में सार्वजनिक सहायता के अधिकार की प्राप्ति हेतु प्रभावी उपबन्ध करेगा।
- भारत **मैड्रिड प्लान ऑफ एक्शन एंड बैरियर फ्री फ्रेमवर्क** का हस्ताक्षरकर्ता देश है। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य एक समावेशी बाधा-रहित और आयु अनुकूल समाज की स्थापना हेतु कार्य करना है।

**राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद् से संबंधित तथ्य:**

- इसे मूल रूप से वृद्ध व्यक्तियों की राष्ट्रीय परिषद् (NPOP) नाम प्रदान किया गया था। इसे 2012 में परिवर्तित किया गया।
- इसकी अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री द्वारा की जाती है तथा इसकी **वर्ष में दो बार बैठक** आयोजित करना अनिवार्य है।
- यह वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि से संबंधित मुद्दों पर केंद्र एवं राज्य सरकारों को **सलाह देने वाला सर्वोच्च निकाय है।**

**राष्ट्रीय वयोश्री योजना से संबंधित तथ्य:**

- इसके तहत बीपीएल वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता (Physical Aids) तथा जीवन-सहायक उपकरण (Assisted-living Devices) उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक जिले में इन लाभार्थियों का 30% महिलाएं होना आवश्यक है।
- यह एक केन्द्रीय योजना है। यह **"वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि"** से किए जाने वाले व्यय के माध्यम से लागू की गई है।
- भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO) इसकी एकमात्र कार्यान्वयन एजेंसी है, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम (PSU) है।

### 3.1.2.वृद्धावस्था के लिए नीतिगत अनुक्रिया

(Policy Response to Aging)

**वृद्धावस्था के लिए नीतिगत अनुक्रिया**

हाल ही में,"केयरिंग फॉर अवर एल्डर्स:अर्ली रिस्पॉन्सेस, इंडिया एजिंग रिपोर्ट- 2017 (UNFPA)" जारी की गयी है। इसके द्वारा देश में वृद्धावस्था संबंधी चिंताओं और नीतिगत अनुक्रियाओं का विश्लेषण किया गया है।



VISION IAS

**वृद्धावस्था के लिए नीतिगत अनुक्रिया**

- **माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007:** यह अधिनियम वृद्ध माता-पिता और दादा-दादी के भरण पोषण के लिए कानूनी रूपरेखा प्रदान करता है तथा इसे राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा विभिन्न चरणों में लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत वरिष्ठ नागरिक को भारत के किसी ऐसे नागरिक के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो।
- **वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम:** यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है:
  - इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को मूलभूत सुविधाएँ, जैसे आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसरों को प्रदान करके तथा उत्पादक एवं सक्रिय वृद्धावस्था को प्रोत्साहित करके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना।
  - इसके अतिरिक्त, इसका एक अन्य उद्देश्य बड़े पैमाने पर सरकार/गैर-सरकारी संगठनों (NGO)/पंचायती राज संस्थानों (PRIs)/स्थानीय निकायों और समुदाय की क्षमता निर्माण के लिए सहयोग सृजित करना है।
- **वृद्ध व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल:** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2011 से, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (NHPCE) नामक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- **सामाजिक पेंशन:** गरीबों और निराश्रितों को सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम** प्रारंभ किया गया था।

**वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति (NPOP), 1999**

- इस योजना का उद्देश्य पेंशन योजना, कर छूट और सब्सिडीकृत खाद्य और स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को सहायता प्रदान करना है।
- साथ ही इसके अंतर्गत वृद्धों के लिए मल्टी सर्विस सिटिजन सेंटर की स्थापना, सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना, दिव्यांगता संबंधी सहायता और उपकरणों आदि की आपूर्ति और कल्याणकारी कोष की स्थापना भी शामिल है।

**वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष**

- इसकी स्थापना वरिष्ठ नागरिक कल्याणकारी नियम 2016 के तहत की गई।
- यह भारत की लोक लेखा निधि में एक ब्याज खाता है और इसका प्रबंधन इस समिति द्वारा किया जाता है।
- इसमें बिना स्वामित्व वाले (दावा न किये गये) PPF, EPF और अन्य सरकारी प्रायोजित लघु बचत कोषों जैसे कि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि खाते आदि से धन जमा किया जाएगा।

**बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2011** भी वृद्धावस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे आय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, बचाव सुरक्षा, आवास, उत्पादक वृद्धावस्था, कल्याण, बहु पीढ़ीगत संबंध (multi generational bonding) आदि पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके द्वारा आवश्यक नीतिगत बदलावों का सुझाव देने हेतु **वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय परिषद** भी स्थापित की गई है।

**संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि**
**(United Nations Population Fund)**

- यह 1969 में गठित संयुक्त राष्ट्र की प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार संबंधी एजेंसी है।
- यह सभी के लिए प्रजनन अधिकारों की प्राप्ति की मांग करता है और विभिन्न प्रकार की यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं जैसे स्वैच्छिक परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य देखभाल और व्यापक यौन शिक्षा तक पहुंच का समर्थन करता है।



VISION IAS

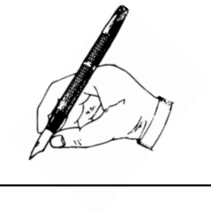

## 3.2. दिव्यांगजन

(Disabled)

### 3.2.1. दिव्यांगजन अधिकार विधेयक, 2016

(The Rights of persons with Disability Act, 2016)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 को दिव्यांगजन अधिकार विधयेक, 2016 के प्रावधानों के पूरक के रूप में अधिसूचित किया गया है।

**UN कन्वेंशन ऑफ़ राइट्स ऑफ़ पर्सन विद डिसेबिलिटी**

- यह 2008 में प्रभावी हुआ। यह 21वीं सदी की प्रथम व्यापक मानवाधिकार संधि और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के व्यापक संरक्षण के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रथम उपकरण है।
- इसके मार्गदर्शक सिद्धांतों में निम्न शामिल हैं- अंतर्निहित गरिमा का सम्मान, गैर-भेदभाव, समाज में भागीदारी और समावेशन, अवसरों की समानता, पहुंच, पुरुषों और महिलाओं के मध्य समानता तथा दिव्यांग बच्चों के अधिकारों का सम्मान।
- हालांकि कन्वेंशन में दिव्यांगता को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इसमें स्वीकृत किया गया है कि "दिव्यांगता" की अवधारणा निश्चित नहीं है और एक समाज से दूसरे समाज में मौजूदा परिवेश के आधार पर परिवर्तित हो सकती है।
- भारत द्वारा इस कन्वेंशन की अभिपुष्टि की गयी है।

**इस अधिनियम के प्रावधान (दिव्यांगजन अधिकार विधेयक, 2016)**

- इसके द्वारा दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण, पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को प्रतिस्थापित किया गया है।
- यह अधिनियम यूनाइटेड नेशन्स कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के सिद्धांतों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य दिव्यांगों के अनुकूल कार्यस्थल की स्थापना को प्रोत्साहित करना है।
- इसके द्वारा दिव्यांगता की मौजूदा 7 श्रेणियों को बढ़ाकर 21 किया गया है और केंद्र सरकार को इस सूची में दिव्यांगता के अन्य प्रकारों को जोड़ने की शक्ति प्रदान की गयी है।
- "बेंचमार्क डिसेबिलिटी" को अधिनियम में वर्णित कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता को सत्यापित करने वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।
- बेंचमार्क डिसेबिलिटी को उच्च शिक्षा, सरकारी रोज़गार एवं भूमि के आवंटन में आरक्षण, गरीबी उन्मूलन योजना आदि अतिरिक्त लाभ भी प्रदान किए गए हैं।
- 6 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले प्रत्येक बच्चे को नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार होगा।
- बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कुछ व्यक्तियों या वर्ग के लोगों के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों की रिक्तियों में आरक्षण 3% से बढाकर 4% कर दिया गया है।
- वर्तमान में निजी प्रतिष्ठानों को भी इसके दायरे में शामिल किया गया है। हालांकि निजी प्रतिष्ठानों को अनिवार्य रूप से दिव्यांगजनों को नियुक्त (PwD) करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि अधिनियम के तहत निजी प्रतिष्ठानों पर कुछ दायित्व/बाध्यताएँ आरोपित की गयी हैं।
- केंद्र और राज्य स्तर पर नीति निर्माण के सर्वोच्च निकायों के रूप में व्यापक आधार युक्त केन्द्र एवं राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड स्थापित किए जाएंगे।
- दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य निधि का निर्माण किया जाएगा।



VISION IAS

- प्रधानमंत्री के सुगम्य भारत अभियान को सशक्त बनाने के लिए, निर्धारित समय-सीमा में सार्वजनिक भवनों (सरकारी और निजी दोनों) में पहुंच सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है।
- इसमें दिव्यांग जनों के प्रति किए गए अपराधों के लिए और नए कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान किया गया है।
- PwD के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों के समाधान हेतु प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालयों को स्थापित किया जाएगा।

### 3.2.2. दिव्यांग सारथी ऐप

(Divyang Sarathi Mobile App)

- भारत सरकार द्वारा हाल ही में दिव्यांगजनों (विकलांग व्यक्ति) के लिए सुगमतापूर्ण सूचना के प्रसार हेतु "दिव्यांग सारथी" नामक मोबाइल एप्लीकेशन का लोकार्पण किया गया है।
- इस मोबाइल ऐप का उद्देश्य दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इसके अधिनियमों, नियमों, विनियमों और दिशा निर्देशों, योजनाओं तथा विभिन्न संस्थानों की आऊटरीच के बारे में सूचनाओं सहित सभी जानकारी, रोजगार के अवसरों और दिव्यांगता संबंधी बाजार को एक सुलभ प्रारूप में प्रस्तुत करना है।
- यह ऐप सुगम्य भारत अभियान के ICT (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) घटक का एक अभिन्न अंग है।
- ऐप की विशिष्ट विशेषताओं में से एक इसका ऑडियो नोट्स है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस ऐप में टेक्स्ट टू वायज़ कन्वर्ज़न सॉफ़्टवेयर अंतःस्थापित है जो लिखित सूचना को एक ऑडियो फ़ाइल के साथ-साथ एडजस्टेबल फ़ॉन्ट साइज़ में परिवर्तित कर देता है जिससे इसे उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है।

**संबंधित तथ्य**

**सुगम्य पुस्तकालय**

- यह एक ऑनलाइन प्लेटफार्म है, जहां पर पढ़ने संबंधी असमर्थता वाले दिव्यांगजनों (print-disabled people) के लिए सुलभ सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।
- इसे डेज़ी फोरम ऑफ इंडिया संगठन के सदस्यों और TCS एक्सेस के सहयोग से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा तैयार किया गया है।
- यहां पर दृष्टिहीन और अन्य प्रिंट-दिव्यांग लोगों के लिए सुलभ प्रारूपों में पुस्तकें उपलब्ध हैं।

**सुगम्य भारत अभियान**

- यह दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (DEPwD) का एक राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप अभियान है।
- इस अभियान का उद्देश्य देशभर में दिव्यांगजनों के लिए बाधा रहित और सुखद वातावरण का निर्माण करना है।
- यह अभियान विकलांगता के सामाजिक मॉडल के उस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी व्यक्ति की सीमाओं और अक्षमताओं के कारण नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था के तरीके के कारण विकलांगता है।
- इस अभियान को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: वातावरण तैयार करना, परिवहन एवं सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी (ICT) पारिस्थितिकी तंत्र।



VISION IAS

## 3.3. अल्पसंख्यक

(Minority)

### 3.3.1. गरीब नवाज़ कौशल विकास केंद्र

(Garib Nawaz Skill Development Centres)

- अल्पसंख्यक मामलों और संसदीय मामलों के राज्यमंत्री ने कहा है कि देश के 100 जिलों में गरीब नवाज़ कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।
- ये केंद्र प्रभावी रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं के लिए रोज़गार उन्मुख कौशल विकास को सुनिश्चित करेंगे।
- इन क्षेत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम अल्पावधि (2 से 6 माह) के होंगे, जैसे मोबाइल और लैपटॉप रिपेयरिंग, सिक्योरिटी गार्ड प्रशिक्षण, हाउस कीपिंग का प्रशिक्षण आदि।

**अल्पसंख्यकों से संबंधित अन्य कौशल विकास योजनाएँ है:**

- सीखो और कमाओ
- उस्ताद (USTTAD) - पारंपरिक कला/प्रशिक्षण के लिए कौशल उन्नयन एवं प्रशिक्षण
- नई मंजिल
- मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय कौशल अकादमी (MANAS)
- अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम - अल्पसंख्यकों को ऋण प्रदान करना
- नई रोशनी

### 3.3.2.जियो पारसी

(Jiyo Parsi)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा "जियो पारसी" के प्रचार अभियान के दूसरे चरण (पब्लिसिटी फेज़-2) का प्रारंभ किया गया।

**अल्पसंख्यकों से संबंधित तथ्य**

- भारत में अल्पसंख्यकों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है।
- वर्तमान में, भारत में सिख; मुसलमान; ईसाई; पारसी; बौद्ध और जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया गया है।

**जियो पारसी से संबंधित तथ्य**

- यह सितंबर 2013 में, भारत में घटती पारसी जनसंख्या के संबंध में बनायीं गयी **केंद्रीय क्षेत्र की** एक **योजना** है।
- इस योजना की आवश्यकता: जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में पारसी समुदाय की जनसंख्या 1941 के स्तर 114,890 से घटकर 57,624 रह गयी है, अतः यह विगत 60 वर्षों में लगभग 50% कम हो गयी है।
- **योजना का उद्देश्य:** यह **पारसी समुदाय की** घटती जनसंख्या दर को नियंत्रित करने या कम करने के लिए **कुल प्रजनन दर में वृद्धि को लक्षित** करती है।
- इस योजना को **पारज़ोर फाउंडेशन** द्वारा बॉम्बे पारसी पंचायत (BPP) और उन संगठनों/समाज/अंजुमों और समुदाय की पंचायतो की सहायता के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा जो कम से कम तीन वर्षों से विद्यमान रहे हों।



VISION IAS

## 3.4. आदिवासी

(Tribals)

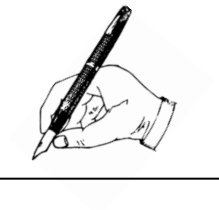

### 3.4.1 PVTGS के लिए आवासीय अधिकार

(Habitat Rights to PVTGs)

**सुर्ख़ियों में क्यों ?**

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने वन क्षेत्रों और महत्त्वपूर्ण टाइगर रिज़र्व से आदिवासियों के विस्थापन पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाघों के संरक्षण के क्रम में आदिवासियों के अधिकारों का उल्लंघन न हो।

**पृष्ठभूमि**

ओडिशा में 13 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) में से एक मनकीडिया समुदाय को हाल ही में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत मिले प्राप्त सिमलीपाल टाइगर रिजर्व (STR) के अंदर निवास करने के अधिकारों से वंचित कर दिया गया है।

**विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पर्टिक्यूलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स : PVTGs) के विषय में**

- 1973 में, ढेबर आयोग ने उन जनजातीय समूहों के लिए आदिम जनजातीय समूह (PTG) नाम की एक अलग श्रेणी बनाई जो इन समूहों में काफी कम विकसित थे। इन्हें बाद में PVTG नाम दिया गया।
- राज्य / संघ शासित प्रदेश, केंद्र के जनजातीय कार्य मंत्रालय के समक्ष PVTG की पहचान हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं।
- **PVTG की कुछ मूलभूत विशेषताएं निम्नलिखित हैं:**
  - अधिकांश सजातीय समूह
  - एक छोटी जनसंख्या
  - सापेक्षिक भौतिक-पार्थक्य
  - आदिम सामाजिक संस्थाएं
  - लिखित भाषा का अभाव
  - अपेक्षाकृत सरल तकनीक एवं परिवर्तन की धीमी गति
  - उनकी आजीविका भोजन एकत्रण, गैर-काष्ठ वन उत्पादों, शिकार, पशुपालन, स्थानांतरण कृषि तथा शिल्प कार्यों पर निर्भर करती है।

**अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 क्या है?**

- यह 2006 में प्रभावी हुआ तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय इस अधिनियम हेतु नोडल मंत्रालय है।
- कई पीढ़ियों से वनों में निवास कर रही उन अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वनवासियों के उन वन अधिकारों को मान्यता देने के लिए इस अधिनियम को लाया गया जिनका कोई लिखित साक्ष्य विद्यमान नहीं है।
- यह न केवल व्यक्तिगत अथवा साझे उपयोग वाली वन भूमि को अपने पास रखने व उस पर निवास करने के अधिकारों को मान्यता देता है बल्कि वन संसाधनों पर उनका नियंत्रण सुनिश्चित करने वाले कई अन्य अधिकार भी उन्हें प्रदान करता है।
- यह अधिनियम ग्राम सभाओं की अनुशंसा पर सरकार द्वारा संचालित स्कूल, डिस्पेंसरी, उचित मूल्य की दुकानों, बिजली एवं दूरसंचार की लाइनों, पानी के टैंक इत्यादि जन सुविधाओं हेतु वन भूमि का उपयोग करने का भी प्रावधान करता है।



VISION IAS

## 3.4.2. एकलव्य विद्यालय

### (Eklavya Schools)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- वित्त मंत्री द्वारा अपने बजटीय भाषण 2018-19 में एकलव्य विद्यालयों की स्थापना की घोषणा की गयी।

**संबंधित विवरण**

- यह विद्यालय 50% से अधिक जनजातीय जनसंख्या वाले सभी जनजातीय ब्लॉकों में स्थापित किए जाएंगे। 2022 तक कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों हेतु एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (Ekalavya Model Residential School) मौजूद होंगे।
- एकलव्य विद्यालय में आदिवासी छात्रों को बोर्डिंग और आवास की सुविधा प्रदान की जाएंगी।
- यह विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय (विद्यालयों का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि को महत्व दिए बिना छात्रों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है) के समान हैं।
- इन विद्यालयों में खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त, स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए भी विशेष सुविधाएं होंगी।

**जनगणना 2011**

- 104.2 मिलियन भारतीय अनुसूचित जनजाति (कुल जनसंख्या का 8.6% और कुल ग्रामीण जनसंख्या का 11.3%) के रूप में अधिसूचित किए गए हैं।
- साक्षरता दर- 58.96%।
- 2010-11 में कक्षा 1 से 10वीं कक्षा तक स्कूल ड्रॉप-आउट रेट 70.9%।
- STs की सर्वाधिक जनसंख्या (94.5%) मिजोरम में है।
- **आश्रम विद्यालयः** ये भी आवासीय विद्यालय हैं, जो माध्यमिक विद्यालय स्तर तक अनुसूचित जनजाति के बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। आदिवासी मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित केंद्रीय योजना के तहत पुरे भारत में स्थापित किए गए हैं।

## 3.5. अन्य मुद्दे

### (Other Issues)

## 3.5.1. महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार ACT

### (Maharashtra Social Boycott ACT)

**सुर्ख़ियों में क्यों ?**

महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक बहिष्कार निषेध अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई है।

**सामाजिक बहिष्कार क्या है?**

यदि कोई व्यक्ति या समूह किसी अन्य सदस्य या समूह को किसी भी सामाजिक या धार्मिक रीति या सामुदायिक समारोह में भाग लेने से रोकने का प्रयास करता है तो इस कार्य को सामाजिक बहिष्कार माना जाएगा।

**अधिनियम के प्रावधान**

- इस कानून को बनाने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है। यह कानून गाविक या जाति पंचायत जैसी समानांतर न्याय प्रणाली के विरूद्ध है। यह अधिनियम, अन्य राज्यों को भी ऐसे प्रावधान करने के लिए प्रेरित करेगा।
- इस अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का किसी व्यक्ति या जाति पंचायत जैसी पंचायत द्वारा सामाजिक बहिष्कार को निषिद्ध किया गया है।



VISION IAS

### 3.5.2. मैनुअल स्कैवेंजिंग

(Manual Scavenging)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने सरकार को "**हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013**" को लागू करने के लिए कठोर उपाय करने का आदेश दिया है।

**अधिनियम के संबंध में**

- इस अधिनियम का प्रयोजन, अन्य बातों के साथ-साथ इन उद्देश्यों को प्राप्त करना भी :
    - अस्वच्छ शौचालयों का उन्मूलन,
    - निषिद्ध करना:
        - मैनुअल स्कैवेंजिंग के रूप में रोजगार,
        - सीवर और सेप्टिक टैंकों की हाथ से की जाने वाली सफाई का जोखिम पूर्ण कार्य,
    - एक समयबद्ध तरीके से मैनुअल स्कैवेंजर्स का सर्वेक्षण और उनका पुनर्वास करना

**अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं:**

- **मैनुअल स्कैवेंजिंग और अस्वच्छ शौचालयों की परिभाषाओं** को न केवल सूखे शौचालयों, बल्कि अन्य अस्वच्छ शौचालयों को भी कवर करने हेतु व्यापक किया गया है।
- अधिनियम के अंतर्गत अपराध को **संज्ञेय और गैर जमानती** बनाया गया है साथ ही कठोर दंड का भी प्रावधान किया गया है।
- केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला और उप-मंडलीय स्तर पर **सतर्कता और निगरानी समितियों** की स्थापना।
- **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग** (NCSK) अन्य बातों के साथ-साथ, अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों की जांच करेगा।
- खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने के लिए, इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर, शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त **स्वच्छ सामुदायिक शौचालयों** के निर्माण की व्यवस्था की जाएगी।

**नेशनल कैरियर सर्विसेज** ने भी **मैनुअल स्कैवेंजिंग को 'असंगठित क्षेत्र'** के अंतर्गत सूचीबद्ध किया है, इस प्रकार यह उनके कार्य को मान्यता प्रदान करता है।

**नेशनल कैरियर सर्विस**

- यह श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ICT आधारित पोर्टल है।
- यह पोर्टल रोजगार चाहने वाले लोगों, रोजगार प्रदाताओं, कौशल प्रदाताओं, कैरियर सलाहकारों आदि के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है।

### 3.5.3 स्ट्रीट वेंडर्स (प्रोटेक्शन ऑफ़ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ़ स्ट्रीट वेंडिंग) एक्ट 2017

[Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2017]

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- अध्ययनों और रिपोर्टों की एक श्रृंखला में स्पष्ट किया गया है कि समस्त देश में स्ट्रीट वेंडर्स (प्रोटेक्शन ऑफ़ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ़ स्ट्रीट वेंडिंग) एक्ट 2017 का कार्यान्वयन असमान है।



VISION IAS

**इस अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान**

- इसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स के आजीविका अधिकारों के संरक्षण के साथ-साथ वेंडिंग जोन के सीमांकन, स्ट्रीट वेंडिंग के लिए शर्तों और प्रतिबंधों के माध्यम से स्ट्रीट वेंडिंग को विनियमित करना है।
- यह अधिनियम प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण में टाउन वेंडिंग अथॉरिटी (TVC) के गठन का प्रावधान करता है, जो अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का आधार है।
- स्ट्रीट वेंडिंग का कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए वेंडिंग सर्टिफिकेट हेतु आवेदन करने से पूर्व TVC में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
- TVC में नगरपालिका आयुक्त, स्ट्रीट वेंडर्स, स्थानीय प्राधिकरण, नियोजन प्राधिकरण, स्थानीय पुलिस, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसियेशन और अन्य व्यापार संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
- इसमें पुनर्वास, निष्कासन और माल की जब्ती के लिए प्रक्रिया निर्दिष्ट की गई है और इसे स्ट्रीट वेंडर्स के अनुकूल बनाया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक योजना तैयार की जाएगी। इसके अतिरिक्त स्थानीय प्राधिकारी, नियोजन प्राधिकरण से परामर्श करके, प्रत्येक पांच वर्षों में एक स्ट्रीट वेंडिंग योजना तैयार करेगा।

### 3.5.4. समावेशी भारत पहल

(Inclusive India Initiative)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने महत्वपूर्ण सहयोगियों के साथ मिलकर **समावेशी भारत पहल : एक समावेशी भारत की ओर** सम्मेलन का आयोजन किया।
- राष्ट्रीय न्यास (नेशनल ट्रस्ट) को इस पहल हेतु नोडल एजेंसी बनाया गया है।

**The National Trust**

**राष्ट्रीय न्यास**

- राष्ट्रीय न्यास, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है।
- न्यास का CEO संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी होता है।
- इसकी स्थापना"आटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास" अधिनियम 1999 की धारा 44 के अंतर्गत की गई है।
- राष्ट्रीय न्यास दिव्यांग व्यक्तियों के क्षमता विकास एवं उन्हें अवसर प्रदान करने अर्थात् शिक्षा, रोजगार और समुदाय संवेदीकरण के लिए कार्य करता है।
- इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए अभिभावकों की नियुक्ति तथा न्यासी प्रक्रिया को विकसित करना है।

VISION IAS

**विषय से संबंधित अतिरिक्त जानकारी**

- विभिन्न सहयोगियों और मंत्रालयों की मदद से 'समावेशी भारत पहल' पर एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया है।
- समावेशी भारत पहल के तीन मुख्य फोकस क्षेत्र हैं:

**समावेशी शिक्षा**

- शिक्षा क्षेत्र में दिव्यांगों के अनुकूल बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए जागरूकता अभियानों और निजी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

**समावेशी रोजगार**

- समावेशी रोजगार के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कॉर्पोरेट संगठनों, सार्वजनिक और निजी दोनों संगठनों का समन्वय करना।

**समावेशी समुदायिक जीवन**

- लोगों को लक्षित समूह के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु सिविल सोसाइटी संगठन और राज्य सरकार द्वारा आम लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना।
- सम्मेलन में राष्ट्रीय न्यास की सभी 10 योजनाओं का लाभ उठाने की आवश्यकता पर बल दिया गया; जो निम्नलिखित हैं-
  - **दिशा -** यह बाल्य-कालिक हस्तक्षेप और स्कूल तैयारी योजना है।
  - **विकास -** दिन में देखभाल (डे केयर) संबंधी योजना, प्राथमिक रूप से अंतर-वैयक्तिक एवं रोजगारपरक कौशल की वृद्धि हेतु प्रारम्भ की गयी है।
  - **समर्थ -** समर्थ योजना का उद्देश्य अनाथ बच्चों, संकटग्रस्त परिवारों और बीपीएल तथा एलआईजी परिवारों के निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों (PwD) और निराश्रितों को राहतकारी देखभाल उपलब्ध कराना है।
  - **घरौंदा -** इसका उद्देश्य वयस्कों के लिए समूहिक गृह तथा बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों को आजीवन आवास और देखभाल सेवाएं प्रदान करना है।
  - **निरामय -** इसमें PwD के लिए वहनीय बीमा, 1 लाख रूपए तक स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है।
  - **सहयोगी -** प्रशिक्षण प्रदान करना और देखभाल कर्मियों के एक कुशल श्रमबल का निर्माण करना जो जरुरतमंद दिव्यांगजनों और उनके परिवारों को पर्याप्त और सबल बनाने योग्य सेवा प्रदान कर सकें।
  - **ज्ञान प्रभा -** ज्ञान प्रभा योजना का उद्देश्य शैक्षिक/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना है।
  - **प्रेरणा -** यह एक विपणन सहायता योजना है जो निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों द्वारा उत्पादित उत्पादों और सेवाओं की बिक्री के लिए व्यवहार्य और व्यापक चैनल के निर्माण का कार्य करती है।
  - **संभव (सहायक सामग्री और सहायता उपकरण) -** इस योजना का उद्देश्य निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों से संबंधित उपकरणों, सॉफ्टवेयरों और सहायक उपकरणों को संगृहीत करने के लिए प्रत्येक शहर में अतिरिक्त संसाधन केन्द्रों की स्थापना करना है।
  - **बढ़ते कदम -** इस योजना का उद्देश्य निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के प्रति समुदाय की जागरूकता बढ़ाना, समाज को इनके प्रति संवेदशील बनाना तथा निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों का सामाजिक एकीकरण करके इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना है।



VISION IAS

### 3.5.5. 2016 इंडियन एक्सक्लूशन रिपोर्ट (IXR)

[2016 Indian Exclusion Report (IXR)]

- सेंटर ऑफ इक्विटी स्टडीज द्वारा जारी की गई 2016 की रिपोर्ट में चार सार्वजनिक वस्तुओं यथा वृद्धों के लिए पेंशन, डिजिटल एक्सेस, कृषि भूमि तथा अंडरट्रायल्स के लिए कानूनी न्याय के संबंध में अपवर्जन (exclusion) की समीक्षा की गई है।
- नियोजन से सर्वाधिक एवं निरन्तर बहिष्कृत लोग ऐतिहासिक रूप से वंचित समूह ही हैं, जैसे:- दलित, आदिवासी, मुस्लिम, विकलांग तथा आयु से संबंधित कमजोरियों से ग्रस्त व्यक्ति।

# 4. शिक्षा

(EDUCATION)

## 4.1. प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा

(Primary & Secondary Education)

### 4.1.1. एकीकृत स्कूल शिक्षा योजना

(Integrated School Education Scheme)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

सरकार ने एकीकृत स्कूल शिक्षा योजना के अंतर्गत 15 वर्षों से अधिक समय से संचालित सर्व शिक्षा अभियान (SSA),राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) एवं शिक्षक शिक्षा (TE) को आपस में सम्मिलित करने का निर्णय लिया है।

**इस योजना के उद्देश्य**

यह एकीकृत योजना 75,000 करोड़ रूपए के अनुमानित आवंटन (वर्तमान आवंटन से 20% अधिक) के साथ 2018 से 2020 तक कार्यशील रहेगी।

- गुणवत्तापरक शिक्षा का प्रावधान एवं विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों (लर्निंग आउटकम) में वृद्धि करना;
- स्कूली शिक्षा में लैंगिक अंतराल को समाप्त करना;
- स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समता एवं समावेशन सुनिश्चित करना;
- विद्यालयों की आपूर्ति न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना;
- शिक्षा को रोज़गारपरक बनाने को प्रोत्साहित करना;
- राज्यों को नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा (RTE) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना; एवं
- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों (SCERTs)/ राज्य शिक्षा संस्थानों तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIET) को शिक्षक प्रशिक्षण हेतु नोडल एजेंसी के रूप में सशक्त बनाना एवं इन्हें अद्यतन बनाना।

**सर्व शिक्षा अभियान (SSA) के अंतर्गत उठाये गए प्रमुख कदम**

SSA का क्रियान्वयन प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु 2001 से किया जा रहा है। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा (RTE) अधिनियम, 2009 (जो 6-14 वर्ष आयु-वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है) के लागू होने के बाद SSA इसके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक केंद्रीय कार्यक्रम बन गया है।

- **सार्वभौमिक पहुँच:** SSA द्वारा नए स्कूल खोलकर, स्कूल छोड़ चुके बच्चों को मुख्यधारा में लाने हेतु प्रशिक्षण देकर, आवासीय सुविधाएं, परिवहन अथवा संरक्षण सुविधाएं तथा यूनिफार्म व स्कूली किताबें उपलब्ध करवाकर सार्वभौमिक पहुँच हासिल करने में महत्वपूर्ण प्रगति की गयी है।
- कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय खोलकर, बालिकाओं के लिए अलग शौचालय बनवाकर, डिजिटल जेंडर एटलस जैसे कदमों के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा में **लैंगिक अंतरालों को समाप्त करना।**
- **SSA के अंतर्गत उप-कार्यक्रम**
  - **पढ़े भारत बढ़े भारत (PBBB)** का फोकस कक्षा I एवं II में पढ़ने, लिखने एवं समझ तथा गणित पर बल देने के साथ आधारभूत शिक्षा पर है।



VISION IAS

   - **राष्ट्रीय आविष्कार अभियान (RAA)** का उद्देश्य 6-18 आयु वर्ग के बच्चों को विज्ञान, गणित एवं प्रौद्योगिकी हेतु प्रेरित एवं संलग्न करना है। उच्च शिक्षा संस्थानों जैसे IIT's, IISER's एवं NIT's द्वारा मार्गनिर्देशन हेतु स्कूलों को गोद लिया गया है।
   - **विद्यांजलि:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में स्वयंसेवकों की सेवाओं के माध्यम से सहायक स्कूली गतिविधियों के क्रियान्वयन को मजबूत करना है। साथ ही, सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक शिक्षा स्कूलों में समुदाय व निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना है।
   - **शगुन पोर्टल –** यह SSA के कार्यान्वियन की निगरानी करने वाली एक पहल है।
- सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से **शिक्षकों का प्रशिक्षण**।
- शिक्षकों व स्कूलों को विकेंद्रीकृत अकादमिक सहायता, प्रशिक्षण एवं पर्यवेक्षण प्रदान करने के लिए ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स (BRCs) व क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स (CRCs) की स्थापना कर **अकादमिक सहायता प्रणाली का निर्माण।**
- पुराने स्कूल भवनों की मरम्मत एवं स्कूल भवनों की रेट्रोफिटिंग (retrofitting) के क्रियान्वयन में राज्यों को छूट प्रदान कर **अवसंरचना में सुधार।**
- **स्कूल प्रबंधन समितियां एवं सामुदायिक भागीदारी**, जहाँ संबंधित स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के माता-पिता/अभिभावक सदस्य बनाए जाएँ।
- **RTE अधिनियम की धारा 12(1) (c) के अंतर्गत प्रवेश:** यह सभी गैर-सहायता प्राप्त निजी एवं विशेष श्रेणी के स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों हेतु न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का अधिदेश देता है।

**राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) के मुख्य प्रावधान**

- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) की शुरुआत माध्यमिक शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने एवं इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से वर्ष 2009 में की गई थी।
- यह योजना 2020 तक शत प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात और सार्वभौमिक अवधारणा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से घर से उचित दूरी पर माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध करवाकर नामांकन दर में वृद्धि लाने का लक्ष्य रखती है।
- शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए RMSA के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पहलें निम्नलिखित हैं:
   - **शाला सिद्धि:** यह स्कूल स्टैंडर्ड्स एंड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क हेतु पोर्टल है जिसे 2015 में आरंभ किया गया था।
   - **शाला दर्पण:** इसे केंद्रीय विद्यालयों के सापेक्ष विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं समुदायों को स्कूल प्रबंधन प्रणालियों पर आधारित सेवाएं प्रदान करने हेतु 2015 में आरंभ किया गया था।
   - **राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण**
   - **कला उत्सव** मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) की एक पहल है जिसका उद्देश्य स्कूली विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा को पोषित एवं प्रदर्शित कर शिक्षा में कलाओं (संगीत, रंगशाला, नृत्य, दृश्य कलाएं एवं शिल्प) को प्रोत्साहित करना है।
   - 2015 में प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के एक भाग के रूप में **विज्ञान एवं गणित पर ध्यान केन्द्रित करना।**
   - शिक्षा में नवाचार हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का प्रयोग करने पर **अध्यापकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार।**

**सेंट्रली स्पांसर्ड स्कीम फॉर टीचर एजुकेशन (CSSTE) के मुख्य प्रावधान:**

- **अध्यापक शिक्षा को सुदृढ़ बनाना:** सेंट्रली स्पांसर्ड स्कीम फॉर टीचर एजुकेशन को 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसरण में 1987 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य 2011 तक सभी



VISION IAS

जिलों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान **(DIETs)** स्थापित करना, कॉलेज ऑफ़ टीचर एजुकेशन (CTEs), इंस्टिट्यूट ऑफ़ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन (IASEs) को सुदृढ़ करना एवं चिह्नित अनुसूचित जातियों/जनजातियों के संकेद्रण वाले जिलों में ब्लॉक इंस्टिट्यूट ऑफ़ टीचर एजुकेशन (BITEs) को स्थापित करना।

- अध्यापकों को शिक्षा देने वाले लोगों के पृथक कैडर का सृजन कर **अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता** लाना।

**CSSTE योजना के अंतर्गत नई गतिविधियाँ/पहलें:**

- 2016 में शिक्षक शिक्षा संस्थानों की निगरानी एवं भावी विद्यार्थियों व अध्यापकों को उनकी इच्छा का उपयुक्त संस्थान चुनने हेतु व्यापक सूचना उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से **इंडिया टीचर एजुकेशन पोर्टल (प्रशिक्षक)** आरंभ किया गया।

**कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (KGBV):** KGBV अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक समुदाय एवं गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की बालिकाओं हेतु आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जिन्हें शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में स्थापित किया जाता है। ये दस वर्ष आयु वर्ग की स्कूल छोड़ चुकी उन बालिकाओं के लिए हैं जो अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने में अक्षम हैं। KGBVs में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं हेतु न्यूनतम 75 प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रावधान है तथा 25 प्रतिशत सीटें गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की बालिकाओं के लिए होती हैं।

**डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन:** इसे स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा UNICEF के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य बालिकाओं (विशेष रूप से अधिकारविहीन समूहों की बालिकाएँ जिनमें शारीरिक अक्षमता वाली बालिकायें भी सम्मिलित हैं) हेतु कम निष्पादन वाले भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता करना है।

## 4.1.2. राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण

(National Achievement Survey)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण ज़ारी किया गया।

**राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण एक परिचय**

यह पांच मुख्य विषयों, अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।

**Comparison between National Achievement Survey and ASER**

| National Achievement Survey | ASER |
|---|---|
| This is a school based survey | It is household based survey |
| Conducted by NCERT | Conducted by ASER Centre (Pratham) |
| It is based on a pen-paper test | One-on-one assessment |
| It takes into account the children enrolled in government schools. | All children irrespective of whether they are school going or not |
| Based on wide variety of skills | Based on foundational skills such as reading and math |
| For both urban and rural areas | For rural areas |

**सर्वेक्षण के निष्कर्ष**

- कक्षा III से कक्षा VIII की ओर बढ़ने पर पर्यावरण विज्ञान, भाषा और गणित में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में गिरावट आयी है।
- इस धारणा के विपरीत कि शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होती है, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों ने शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों से अधिक अंक प्राप्त किए।



VISION IAS

- कक्षा V तथा VIII में अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों ने सामान्य श्रेणी के बच्चों की अपेक्षा अधिक अंक प्राप्त किए।
- सभी स्तरों पर अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के औसत अंक निम्नतम थे जबकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों ने कुछ अधिक अंक प्राप्त किए।
- छात्राओं ने छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया।

| राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण तथा एनुअल स्टेटस ऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट (ASER) के मध्य तुलना | |
|---|---|
| राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण | ASER |
| यह एक विद्यालय आधारित सर्वेक्षण है। | यह घर या परिवार आधारित सर्वेक्षण है। |
| यह सर्वेक्षण NCERT द्वारा कक्षा 3, 5 तथा 8 के विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। | इसे ASER के केंद्र (प्रथम) द्वारा किया जाता है। |
| यह कागज़-कलम परीक्षण आधारित होता है। | एक-एक विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाता है। |
| इसमें सरकारी विद्यालयों में नामांकित बच्चों को लिया जाता है। | विद्यालय जाने वाले या नहीं जाने वाले, सभी बच्चों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। |
| यह विविध प्रकार के कौशलों पर आधारित होता है। | इसमें पठन तथा गणित जैसे आधारभूत कौशलों पर ध्यान दिया जाता है। |
| यह शहरी तथा ग्रामीण, दोनों ही क्षेत्रों के लिए होता है। | यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होता है। |

**ASER का हालिया 'बियॉन्ड बेसिक्स' सर्वेक्षण**

- 2006 के पश्चात्, ASER ने 5 से 16 वर्ष के आयु समूह पर ध्यान केंद्रित किया है। हालाँकि, इस वर्ष, **'बियॉन्ड बेसिक्स' शीर्षक वाला सर्वेक्षण उन लोगों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जो 14 से 18 वर्ष की आयु के हैं** और हाल ही में प्राथमिक स्कूल की आयु से अधिक आयु के हुए हैं।
- पिछली रिपोर्टों के अंतर्गत बच्चों की **स्कूली शिक्षा की स्थिति और बेसिक रीडिंग और अंकगणित** कार्यों को करने की उनकी क्षमता का आकलन किया गया था। इस वर्ष, चार क्षेत्रों सहित व्यापक समूहों को सम्मिलित किया गया है। ये चार क्षेत्र हैं - **गतिविधि (activity), क्षमता (ability), जागरूकता (awareness) और महत्वाकांक्षाएं (aspirations)।**

### 4.1.3 नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017

**(The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2017)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

लोक सभा ने **नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017** पारित कर दिया है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित होने के बाद, सार्वभौमिक शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नए विद्यालयों की स्थापना की गई थी। यह अधिनियम छात्र शिक्षक अनुपात को भी निर्धारित करता है।
  - प्राथमिक स्तर - 30 :1
  - उच्च प्राथमिक स्तर - 35 :1
  - माध्यमिक स्तर - 30: 1 (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अनुसार)



VISION IAS

- वर्तमान में लगभग 8.5 लाख अयोग्य शिक्षक सेवारत हैं, जिन्हें अब अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में संशोधन के द्वारा डिग्री प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
- संशोधित अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2019 तक बढ़ा दी जाएगी।

## 4.2. उच्च शिक्षा

(Higher Education)

### 4.2.1 उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण

(All India Survey on Higher Education: AISHE)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए उच्च शिक्षा पर 8वां अखिल भारतीय सर्वेक्षण जारी किया गया।

**उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE) 2016-17**

- AISHE मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक वेब-आधारित अखिल भारतीय वार्षिक सर्वेक्षण है, जो देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को सम्मिलित करता है।
- इसके आँकड़े शिक्षक, छात्र नामांकन, कार्यक्रम, परीक्षा परिणाम, शैक्षिक वित्त, अवसंरचना आदि विभिन्न मापदण्डों के आधार पर एकत्रित किए गए हैं।

**AISHE के मुख्य निष्कर्ष**

- **संस्थान:** महाविद्यालयी घनत्व (प्रति लाख पात्र आबादी पर महाविद्यालयों की संख्या) में एक क्षेत्रीय असमानता विद्यमान है। यथा यह घनत्व अखिल भारतीय औसत 28 की तुलना में बिहार में 7 तथा तेलंगाना में 59 है।
- **नामांकन:** उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 2012-13 की तुलना में 18.3% की समग्र वृद्धि के साथ 35.7 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया है।
- **सकल नामांकन अनुपात (GER):** भारत में उच्च शिक्षा का GER 25.2% है, जो यह दर्शाता है कि पात्र जनसंख्या का उच्च प्रतिशत अभी भी महाविद्यालयी शिक्षा से बाहर है (18-23 आयु समूह हेतु गणना)।
    - पुरुष जनसंख्या के लिए GER 26% (2012-13 में 22.7%) तथा महिलाओं के लिए 24.5% (2012-13 में 20.1%) है।
- **लैंगिक समानता सूचकांक (GPI-Gender Parity Index):** सभी वर्गों के लिए GPI (महिलाओं और पुरुषों के समानुपातिक प्रतिनिधित्व का अनुपात) में अत्यंत कम वृद्धि हुई है। यह 2012-13 के 0.89 से लेकर 2016-17 में 0.94 हो गया है।
- **छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR):** विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में यह अनुपात 22 है, जो 2012-13 में 21 था तथा तब से स्थिर बना हुआ है।
- **विदेशी छात्र नामांकन:** यह 2012-13 के 34,774 से बढ़कर 2016-17 में 47,575 हो गया है। इसमें महिला छात्रों की तुलना में पुरुष छात्रों की संख्या में वृद्धि अधिक रही।
- विश्वविद्यालयों में छात्र नामांकन में **उत्तर प्रदेश** शीर्ष स्थान पर है तथा इसके पश्चात् क्रमशः **महाराष्ट्र** और **तमिलनाडु** का स्थान आता है।



VISION IAS

## 4.2.2. उत्कृष्टता के संस्थान

(Institutions of Eminence)

**सुर्खियों में क्यों?**

शीर्ष 20 सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षण संस्थानों की पहचान हेतु सरकार द्वारा एन. गोपालस्वामी की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया है।

**ऐसी संस्थाओं की विशेषताएं:**

- इसे **बहु-विषयक** होना चाहिए तथा इसके अंतर्गत शिक्षण और अनुसंधान दोनों ही क्षेत्रों में असाधारण उच्च गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।
- इन संस्थानों को नियमित पाठ्यक्रमों के अलावा, उभरती हुई प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों के साथ-साथ भारत जैसे देशों की विकास संबंधी आवश्यकताओं से जुड़े विभिन्न **अंतर्विषयक** पाठ्यक्रमों की शुरुआत करनी चाहिए।
- **घरेलू और विदेशी छात्रों का उचित अनुपात में प्रतिनिधित्व** होना चाहिए।
- प्रवेश **पारदर्शी तथा योग्यता पर आधारित** होना चाहिए तथा मेधावी छात्रों के चयन पर विशेष ध्यान केंद्रित होना चाहिए।
- घोषणा के तीन वर्ष बाद **शिक्षक छात्र अनुपात 1:10** से कम नहीं होना चाहिए।
- यहाँ छात्रों को विश्वस्तरीय प्रतिष्ठित संस्थानों के समान सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए।
- संस्थान के पास बड़ा परिसर होने के साथ भविष्य में विस्तार के लिए भी पर्याप्त स्थान होना चाहिए।
- ऐसे सभी संस्थानों का संचालन इनकी शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता को सुनिश्चित करते हुए UGC (इंस्टिट्यूशंस ऑफ एमिनेंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज) रेगुलेशन्स, 2017 के द्वारा किया जाएगा।
- ये विनियमन UGC के द्वारा जारी किये गए अन्य सभी विनियमनों का स्थान लेंगे तथा इसके माध्यम से UGC की प्रतिबंधात्मक निरीक्षण व्यवस्था से संस्थानों को स्वतंत्रता प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त इस विनियमन के माध्यम से ऐसे संस्थानों के शुल्क और पाठ्यक्रम पर नियामकीय नियंत्रण भी कम किया जा सकेगा।

**UGC**

इसकी स्थापना 28 दिसंबर, 1953 को की गई थी और 1956 में एक सांविधिक संगठन बना।

यह देश में एकमात्र अनुदान प्रदान करने वाली संस्था है जिसे मुख्य रूप से दो उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं: वित्त प्रदान करना और उच्च शिक्षण संस्थानों हेतु मानकों को बनाए रखना, उनका निर्धारण करना और समन्वय करना।



VISION IAS

## 4.2.3. रिवाइटलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन

(Revitalization Infrastructure and Systems in Education)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

सरकार द्वारा 2018 के केन्द्रीय बजट में रिवाइटलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन (RISE) नामक एक नयी योजना की शुरुआत की गई है।

**RISE के संबंध में**

- यह केन्द्रीय वित्त पोषित संस्थानों जैसे- IITs, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और ऐसे ही अन्य संस्थाओं **में निवेश को प्रोत्साहित** करने के लिए एक नयी पहल है।
- वित्तपोषण, **उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (HEFA)** के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

**उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी [HEFA] के संबंध में**

- यह भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और केनरा बैंक का एक संयुक्त उपक्रम है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC)** के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है।
- यह एक **मार्केट-लिंक्ड एजूकेशन फाइनेंसिंग सिस्टम** उपलब्ध कराने का प्रयास है।
- इसका उद्देश्य सरकार के उच्च शैक्षणिक संस्थानों को **निम्न लागत वाली निधि उपलब्ध** कराना है।

## 4.2.4. तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम

(Technical Education Quality Improvement Programme : TEQIP)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

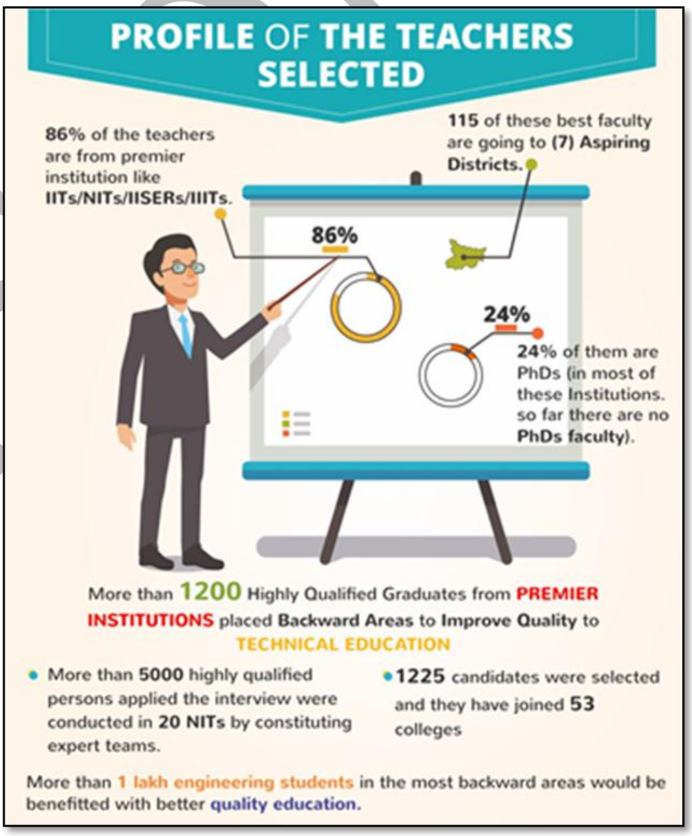


सरकार ने **TEQIP के तीसरे चरण के एक भाग के रूप में** IITs, NITs जैसे **प्रमुख कॉलेजों के स्नातकों को** पिछड़े जिलों के इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाने हेतु 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करने का निर्णय लिया है।

**TEQIP के सम्बन्ध में**

- 2002 में HRD मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ की गयी इस योजना का उद्देश्य निम्न आय वाले राज्यों और विशेष श्रेणी के राज्यों (SCS) में **तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।**
- TEQIP को भारत सरकार द्वारा 10–12 वर्षों की अवधि के 2-3 चरणों वाले कार्यक्रम के रूप में विश्व बैंक की सहायता से प्रारम्भ किया गया है।

- वर्तमान योजना के तीसरे चरण का मुख्य फोकस मध्य, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों पर है।
- **TEQIP के अंतर्गत किये गये उपायों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:**
  - **संस्थान आधारित:** नेशनल बोर्ड ऑफ़ एक्रेडिटेशन (NBA) के माध्यम से पाठ्यक्रमों का प्रमाणन, प्रशासन-सुधार, प्रक्रियाओं में सुधार, डिजिटल पहल तथा कॉलेजों के लिए स्वायत्तता प्राप्त करना।
  - **छात्र आधारित:** शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण, कक्षा के कमरों को सभी प्रकार के साधनों से सुसज्जित करना, पाठ्यक्रमों में संशोधन, छात्रों व उद्योगों के मध्य अन्योन्यक्रिया, छात्रों के लिए अनिवार्य इंटर्नशिप, छात्रों को उद्योग-आधारित कौशल का प्रशिक्षण तथा उन्हें GATE आदि परीक्षाओं के लिए तैयार करना।

## 4.2.5. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष

**(Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए सार्वजनिक खाते से **"माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष" (MUSK)** नामक स्थायी (non-lapsable) कोष की स्थापना के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

**शिक्षा उपकर की दर:**

- एक उपकर उस कर को कहते हैं, जो सरकार द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए धन जुटाने हेतु लगाया जाता है।
- जिस दर पर शिक्षा उपकर की गणना की जाती है, वह कर योग्य आय पर लागू **दो प्रकार के उपकरों का संयोजन** है।
- 2% **शिक्षा उपकर** की दर और
- 1% **माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर (SHEC)**, दोनों को मिलाकर शिक्षा उपकर 3% की दर से देय है।

**फण्ड का उपयोग**

निम्नलिखित के लिए फण्ड का उपयोग किया जायेगा:

- **माध्यमिक शिक्षा के लिए:**
  - वर्तमान में संचालित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना
  - राष्ट्रीय आय-योग्यता छात्रवृति योजना
  - माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय योजना
- **उच्च शिक्षा के लिए:**
  - कालेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए चल रही छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु ब्याज सब्सिडी और गारंटी फंड के लिए योगदान योजनाएँ
  - राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
  - छात्रवृति (संस्थानों को ब्लॉक अनुदानों से) तथा शिक्षकों और उनके प्रशिक्षण का राष्ट्रीय मिशन

**कोष के बारे में:**

- MUSK कोष का प्रशासन और देखरेख **मानव संसाधन विकास मंत्रालय** द्वारा की जाएगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार आवश्यकता के आधार पर माध्यमिक और उच्च शिक्षा हेतु भविष्य के किसी भी कार्यक्रम/योजना के लिए धनराशि आवंटित कर सकता है।



VISION IAS

- **स्कूल शिक्षा व साक्षरता एवं उच्च शिक्षा विभाग की** योजनाओं पर प्रारम्भिक व्यय **सकल बजटीय सहायता (GBS)** से किया जाएगा और GBS के समाप्त हो जाने के पश्चात MUSK से किया जाएगा।
- वर्तमान व्यवस्था के अनुसार MUSK को **प्रारम्भिक शिक्षा कोष (PSK)** के अंतर्गत संचालित किया जाएगा, जिसमें उपकर की आय का उपयोग स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के **सर्व शिक्षा अभियान (SSA)** और **मिड-डे-मील (MDM) योजनाओं** के लिए किया जाएगा।
- MUSK को भारत की लोक लेखा के अंतर्गत **गैर-ब्याज अनुभाग** में आरक्षित निधि के रूप में रखा जाएगा।

## 4.3. विविध

Miscellaneous

### 4.3.1. एजुकेशन डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड

(Education Development Impact Bond)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

**ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट** द्वारा भारत के लिए **1 करोड़ डॉलर का एजुकेशन डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉण्ड** तैयार किया गया है।

**बॉण्ड का परिचय**

- यह एक नवाचारपूर्ण तथा सतत सामाजिक प्रभाव वाला निवेश का साधन होगा जो भारत में शैक्षिक पहलों के निष्पादन तथा उनसे प्राप्त परिणामों से जुड़ा होगा।
- इससे कई प्रकार की गतिविधियों के लिए **निधि** प्राप्त होगी। इन गतिविधियों में प्रधानाचार्यों तथा शिक्षकों का प्रशिक्षण, प्रत्यक्ष विद्यालय प्रबंधन तथा सहायक कार्यक्रम भी सम्मिलित होंगे।
- डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉण्ड की अवधारणा, विकास के लिए **परिणाम-आधारित मार्ग** से पूँजी को आकर्षित करने पर आधारित है, जिसमें आंकड़ों तथा प्रमाणों पर अत्यधिक बल दिया जाएगा।
- इसका मुख्य बल दिल्ली, गुजरात तथा राजस्थान के सीमांत समुदायों के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले दो लाख से अधिक विद्यार्थियों में **साक्षरता तथा संख्यात्मक ज्ञान के स्तरों में सुधार** करने पर है।
- इस बॉण्ड को परोपकार के एक रूपांतरणकारी साधन के रूप में **सामाजिक प्रभाव वित्त-पोषण पर अधिक बल** देने की दिशा में उठाए गए कदम के रूप में वर्णित किया गया है।
- यू.के. सरकार के डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (DFLD) द्वारा व्यापक साझेदारी के एक भाग के रूप में इस परियोजना को तकनीकी सहायता तथा अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराई जाएगी।

### 4.3.2. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्थापना

(Creation of National Testing Agency)

**सुर्खियों में क्यों?**

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी** (NTA) के गठन की स्वीकृति दे दी है।

**पृष्ठभूमि**

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में NTA की अनुशंसा की गई थी, परन्तु पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा इसे कभी भी कार्यान्वित नहीं किया गया।
- राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट 'राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन' (2006-2009) में राष्ट्रीय परीक्षा सेवा की स्थापना का उल्लेख किया था।
- अधिकांश विकसित देशों की भांति भारत में भी विशेषज्ञ निकाय की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए, **2017-18 के बजट भाषण** में वित्तमंत्री ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की स्थापना की घोषणा की थी।

VISION IAS

**विवरण**

- इसका गठन उच्च शिक्षा संस्थानों की प्रवेश परीक्षा का संचालन करने के लिए **भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860** के अंतर्गत एक उच्च दर्जे के स्वायत और आत्मनिर्भर संस्थान के रूप में किया गया है।
- यह संयुक्त राज्य अमेरिका की एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस (ETS) की तर्ज पर समर्पित एक **स्वतंत्र निकाय** होगा।
- यह उन प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करेगा जिनके आयोजन की ज़िम्मेदारी इसे **किसी भी विभाग या मंत्रालय द्वारा** दी गयी हो।

**विशेषताएं**

- आरंभ में यह उन प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करेगा जिन्हें वर्तमान में CBSE द्वारा आयोजित किया जा रहा है। NTA के पूर्णरूपेण तैयार हो जाने के बाद यह क्रमशः अन्य परीक्षाओं का भी आयोजन करने लगेगा।
- प्रवेश परीक्षाएं **ऑनलाइन पद्धति से वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित** की जाएंगी जिससे अभ्यर्थियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त अवसर मिलेगा।
- ग्रामीण छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह उप-जिला/ जिला स्तर पर अपने केंद्र स्थापित करेगा और जहां तक संभव हो छात्रों को प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
- पहले वर्ष में अपना परिचालन आरंभ करने हेतु सरकार द्वारा इसे 25 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा। उसके पश्चात, यह **वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हो जाएगा।**

**NTA की संरचना**

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् द्वारा इसकी **अध्यक्षता** की जाएगी।
- इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ही इसका महानिदेशक होगा। इसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी।
- इसका एक **शासक मंडल (Board of Governors)** होगा जिसमें उपयोगकर्ता संस्थानों के सदस्य सम्मिलित होंगे।
- **महानिदेशक** की सहायता के लिए 9 विशिष्ट निकाय (9 verticals) होंगे जिनकी अध्यक्षता शिक्षाविदों/ विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी।

### 4.3.3. वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट

**(Global Education Monitoring Report)**

- ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट (GEM रिपोर्ट, 2017-18) के द्वितीय संस्करण को हाल ही में यूनेस्को द्वारा **'शिक्षा में उत्तरदायित्व'(Accountability in Education)** विषय के साथ जारी किया गया ।
- रिपोर्ट में विभिन्न जवाबदेही तंत्रों के विषय में बात की गयी है जो कुछ पक्षों के साथ कुछ संदर्भों में, कुछ निश्चित उद्देश्यों जैसे राजनीतिक तंत्र, विधिक या नियामक मार्गों, प्रदर्शन-आधारित दृष्टिकोणों, सामाजिक उत्तरदायित्व और पेशेवर या आंतरिक उत्तरदायित्व जैसी विशेषताओं के लिए प्रभावी हो सकते हैं।

### 4.3.4. नवीन ऑन लाइन शिक्षा पहलें

**(New Online Education Initiatives)**

**स्वयं**

- एक वेब पोर्टल है जहाँ *मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज* (MOOCs) सभी प्रकार के विषयों पर प्रमाण पत्र /क्रेडिट ट्रान्सफर के प्रावधान के साथ नि:शुल्क उपलब्ध होंगे।
- इसे सर्वाधिक वंचित व्यक्तियों सहित सभी को सर्वोत्तम शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराने हेतु तैयार किया गया है।



VISION IAS

**स्वयं प्रभा**

- यह उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करने के लिए 32 DTH चैनलों का समूह है। इसमें जीसैट-15 उपग्रह का उपयोग कर 24x7 प्रसारण उपलब्ध कराया जाएगा।

***नेशनल एकेडमिक डिपाजिटरी* (NAD)**

- यह अकादमिक अवार्ड अर्थात् प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, डिग्री, मार्क-शीट आदि के लिए 24 x 7 ऑनलाइन स्टोर हाउस है। इन्हें सभी शैक्षणिक संस्थाओं/बोर्डों/पात्रता आकलन निकायों द्वारा विधिवत डिजिटलीकृत और दर्ज किया गया है।
- यह अकादमिक अवार्ड की आसान उपलब्धता एवं पुनः प्राप्ति सुनिश्चित करता है। यह इनकी प्रामाणिकता की पुष्टि करने के साथ ही इसकी गारंटी भी देता है।

**प्रोग्राम 17 फॉर 17**

- 2017 के लिए 17 बिन्दु कार्य योजना – उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने तथा डिजिटल परिसरों के निर्माण के लिए।
- इस कार्य योजना में वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से, शैक्षणिक संस्थानों में प्रारंभ किया गए डिजिटल वित्तीय लेन-देन, सार्वभौमिक डिजिटल शिक्षा की उपलब्धता जैसे उपायों को शामिल किया गया है।


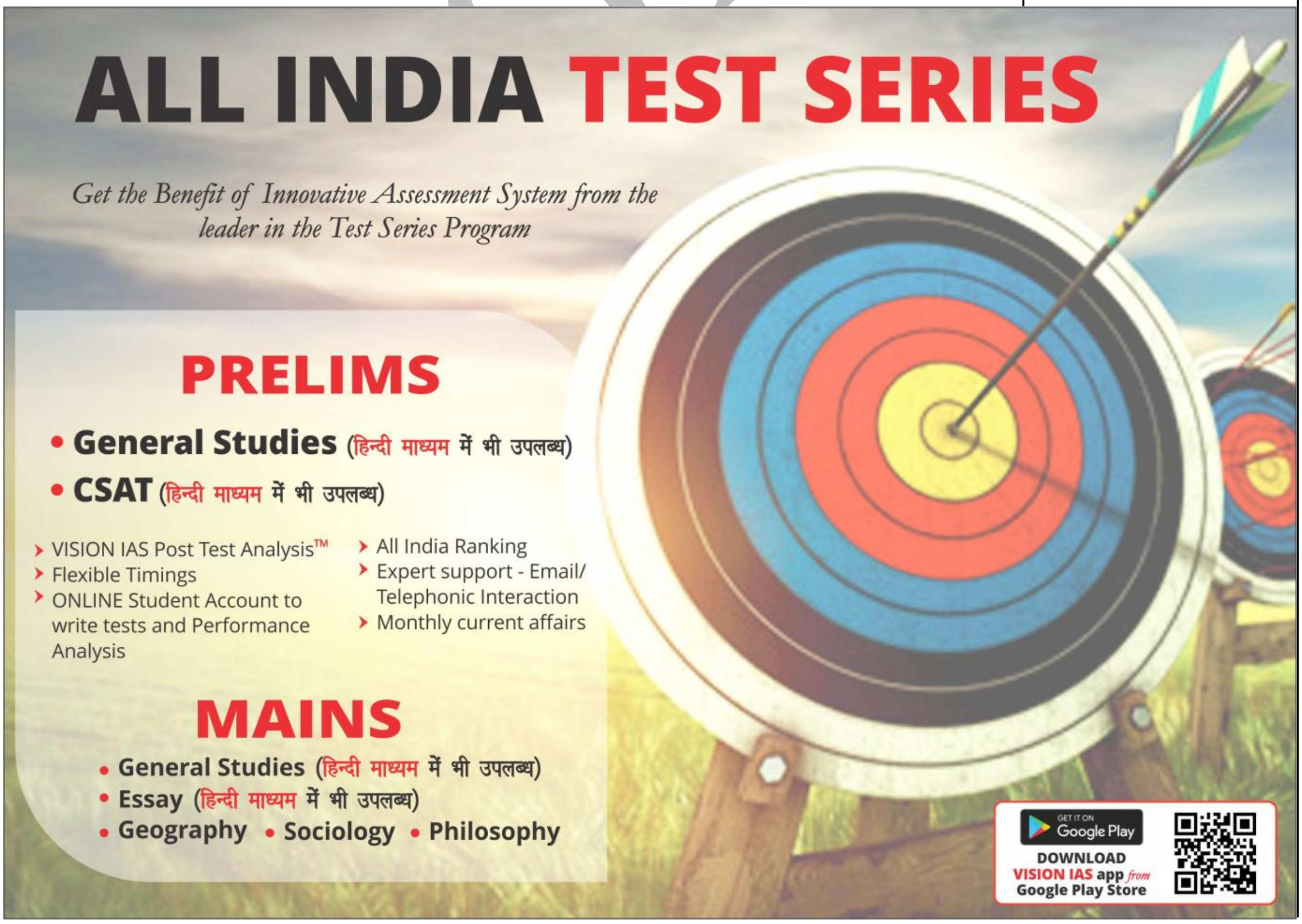

# 5. स्वास्थ्य

(HEALTH)

## 5.1. भारत में स्वास्थ्य देखभाल की स्थिति

(Healthcare Status in India)

### 5.1.1. स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत रिपोर्ट

(Healthy States, Progressive India Report)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- हाल ही में, नीति आयोग ने 'स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत' रिपोर्ट नाम से एक व्यापक स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की।

**इस रिपोर्ट के बारे में**

- यह एक वार्षिक रिपोर्ट है, जिसमे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को स्वास्थ्य परिणामों में वर्द्धमान परिवर्तन तथा एक दूसरे के सापेक्ष समग्र प्रदर्शन के आधार पर रैंक प्रदान की गई है।
- इसे **विश्व बैंक की तकनीकी सहायता एजेंसी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,** राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र के विशेषज्ञों तथा अन्य विकास सहभागियों के परामर्श से, **नीति आयोग** द्वारा विकसित किया गया है।
- स्वास्थ्य सूचकांक, तीन मुख्य संकेतकों पर आधारित है, जिसमे परिणामों, शासन व सूचनाओं तथा महत्वपूर्ण आगतों पर ध्यान केंद्रित किया गया है:
    - **स्वास्थ्य परिणाम** - कुल सूचकांक के 70% भारांश वाले 10 संकेतक।
    - **प्रशासन और सूचना** - 3 संकेतक जिनका भारांश 12% है।
    - **प्रमुख आगतें और प्रक्रियाएँ** - 18% भारांश वाले 10 संकेतक।
- राज्यों को, डेटा की उपलब्धता एवं इस तथ्य के आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि समान राज्यों को उनके स्वयं के मध्य तुलना की जानी चाहिए। इसलिए, राज्यों को बड़े राज्यों, छोटे राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- उपर्युक्त श्रेणियों के आधार पर राज्यों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है - एस्पिरेंट्स (48 से नीचे स्कोर वाले एक तिहाई राज्य), एचीवर्स (48 और 63 के बीच के स्कोर वाले मध्य के एक तिहाई राज्य) और 63 से ऊपर के स्कोर वाले फ्रंट रनर्स।

**THE GAP BETWEEN BEST-PERFORMING AND LEAST-PERFORMING STATES**

| INDEX | BEST-PERFORMER | | LEAST-PERFORMER | | GAP |
|---|---|---|---|---|---|
| Overall index | Kerala | 76.55 | Uttar Pradesh | 33.69 | 42.86 |
| Health outcomes | Kerala | 82.89 | Rajasthan | 29.58 | 53.31 |
| Key input and processes | Tamil Nadu | 78.06 | Uttar Pradesh | 25.02 | 53.04 |

**UN-SDG & National Health Policy: how states have performed versus goals**

| HEALTH INDICATOR | UN-SDG | NHP | BEST-PERFORMER | LEAST PERFORMER |
|---|---|---|---|---|
| Neonatal mortality rate | Under 12 by 2030 | Under 16 by 2025 | Kerala (6) | Odisha (35) |
| Under 5 mortality rate | Under 25 by 2030 | Under 23 by 2025 | Kerala (13) | Assam Madhya Pradesh (62) |
| Total fertility rate | Below replacement level (2.1) | Below replacement level (2.1) | Tamil West Bengal (1.6) | Bihar (3.3) |
| Low birth weight | NA | NA | Telangana (5.7) | Rajasthan (25.5) |
| Sex ratio at birth | NA | NA | Kerala (967) | Harayana (831) |

### 5.1.2. निजी स्वास्थ्य सेवा

**(Private Health Care)**

**सुर्ख़ियों में क्यों ?**

स्वास्थ्य एक राज्य सूची का विषय है। सरकार ने राज्यों से “नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण एवं नियमन) अधिनियम, 2010” को क्रियान्वित करने को कहा है।

**नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010**

- **उद्देश्य:** सुविधाओं एवं सेवाओं के न्यूनतम मानक निर्धारित करने के दृष्टिकोण के साथ नैदानिक प्रतिष्ठानों (clinical establishments) के पंजीकरण और विनियमन का प्रावधान करना।
- **प्रयोज्यता (Applicability):** सशस्त्र बलों द्वारा चलाए जाने वाले नैदानिक प्रतिष्ठानों को छोड़कर, सभी प्रकार के नैदानिक प्रतिष्ठान इस अधिनियम के दायरे में आते हैं।
- **कार्यान्वयन:** त्रिस्तरीय ढांचे - केंद्रीय परिषद, राज्य परिषद और जिला पंजीकरण प्राधिकरण के माध्यम से।
- **अर्थदण्ड\जुर्माना:** पंजीकरण के बिना नैदानिक प्रतिष्ठान के संचालन की स्थिति में पहले अपराध के लिए 50,000 रुपये, दूसरे अपराध के लिए 2 लाख रुपये तथा अनुवर्ती अपराध के लिए 5 लाख रुपये के अर्थदण्ड का प्रावधान।
- **निगरानी:** यह अधिनियम स्वास्थ्य अधिकारियों को ऐसे अस्पतालों के निरीक्षण करने और उन पर जुर्माना लगाने अथवा उनके लाइसेंस निरस्त करने की अनुमति देता है जो अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षणों एवं प्रक्रियाओं हेतु सलाह देकर अथवा ओवर चार्जिंग के माध्यम से रोगियों से अधिक फीस वसूलते पाए जाते हैं ।

### 5.1.3. नवजात शिशुओं पर ध्यान केन्द्रित करना

**(Focus on Newborns)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

यूनिसेफ ने हाल ही में नवजात मृत्यु दर पर “एवरी चाइल्ड अलाइव” नामक एक रिपोर्ट जारी की है।

- **नवजात शिशु मृत्यु दर:** जीवन के आरम्भिक 28 दिनों के अंदर मृत्यु शिशु की मृत्यु होना
- **बाल मृत्यु दर:** प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु (2015-16 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 50 मृत्यु होती थीं)
- **मातृ मृत्यु दर:** किसी एक वर्ष में गर्भावस्था और प्रसव की जटिलताओं के परिणामस्वरूप प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर मरने वाली महिलाओं की संख्या (2015 में प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 174 महिलाओं की मृत्यु होती थी)

**भारत में स्थिति**

- 2016 में 6,40,000 नवजात शिशुओं की मृत्यु के साथ, भारत में मरने वाले बच्चों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है।
- भारत में पांच वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या 2016 में पहली बार 1 मिलियन से कम हो गयी थी।
- पांच वर्ष से कम आयु की बालिका मृत्यु दर, बालकों की प्रति हजार 37 की मृत्यु दर की तुलना में प्रति हजार 41 है। यह दर बालकों की दर से 11 प्रतिशत अधिक थी।
- भारत की पांच वर्ष से कम आयु की वर्तमान मृत्यु दर 39/1000 है।
- गिरावट की वर्तमान दर के कारण, भारत सतत् विकास लक्ष्य (SDG) के 2030 तक प्रति 1000 जीवित जन्म पर 25 की मृत्यु दर प्राप्त करने दिशा में आगे बढ़ रहा है।
- भारत की (2016) नवजात शिशु मृत्यु दर 25.4/1000 थी।



VISION IAS

**सम्बंधित जानकारी:**

**एवेरी न्यूबोर्न एक्शन प्लान (Every Newborn Action Plan)**

- इसका नेतृत्व WHO और UNICEF द्वारा किया जा रहा है।
- 2014 में, 67वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 194 सदस्य देशों (भारत सहित) द्वारा कार्य योजना की पुष्टि गयी थी।
- यह नवजात मृत्यु और मृत-जन्मे बच्चों की रोकथाम करने हेतु सामरिक कार्ययोजना का एक रोडमैप प्रस्तुत करती है और मातृ मृत्यु दर व रुग्णता को कम करने में योगदान करती है।

**इंडिया न्यूबोर्न एक्शन प्लान(India Newborn Action Plan)-2014**

- यह महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए वैश्विक रणनीति को आगे बढ़ाने के ENAP के प्रति भारत की प्रतिबद्ध अनुक्रिया है।
- इसका लक्ष्य 2030 तक नवजात शिशु मृत्यु दर और मृतजात दर (Stillbirth Rate) को एकल-अंकीय करना है।
- इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के वर्तमान **प्रजनन, मातृत्व, नवजात, शिशु और किशोरावस्था स्वास्थ्य (RMNCH+1)** ढांचे के भीतर ही कार्यान्वित किया जाना है।
- इस हस्तक्षेप के **छह स्तंभों** में शामिल हैं:
    - गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व देखभाल
    - प्रसव और शिशु जन्म के दौरान देखभाल
    - नवजात शिशु की तात्कालिक देखभाल
    - स्वस्थ नवजात की देखभाल
    - छोटे और बीमार नवजात की देखभाल
- नवजात की उत्तरजीविता के बाद की देखभाल (Care beyond newborn survival)

**RMNCH+A क्या है ?**

- इसका शुभारम्भ 2013 में हुआ था। यह गर्भवती महिलाओं (Reproductive Maternal), नवजात शिशुओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण है।
- यह जीवन की विभिन्न अवस्थाओं पर समान फोकस सुनिश्चित करने हेतु देखभाल की निरंतरता प्रदान करेगा।
- **नेशनल आयरन+ इनिशिएटिव** के माध्यम से एनीमिया से संबंधित समस्याओं का समाधान करेगा।

## 5.1.4. शिशु मृत्यु दर

**(Infant Mortality Rate)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 1990-2015 की अवधि के दौरान भारत में IMR में 58% की कमी आई है। यह कमी इसी अवधि में आई वैश्विक स्तर पर होने वाली 49% की गिरावट से कहीं अधिक है।

**राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन**

- ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए भारत का प्रमुख स्वास्थ्य क्षेत्रक कार्यक्रम है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के **4 घटक** हैं- अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, तृतीयक देखभाल कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, संचारी और गैर-संचारी दोनों ही प्रकार के रोगों के नियंत्रण और उपचार पर केन्द्रित कार्यक्रम है।
- जिला और उप-जिला स्तर पर अवसंरचना सुविधाओं में सुधार लाने के साथ ही यह स्वास्थ्य सेवाओं को प्रजनन और बाल स्वास्थ्य से परे विस्तारित करने का प्रयास भी करता है।



VISION IAS

### IMR क्या है?

- **शिशु मृत्यु दर** किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में एक वर्ष के दौरान प्रति 1,000 जीवित जन्में शिशुओं में से एक वर्ष या इससे कम उम्र में होने वाली शिशुओं की मृत्यु की संख्या है।
- बाल स्वास्थ्य संकेतकों पर सरकार के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि वर्तमान में भारत में IMR प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 39 है। जबकि पिछले वर्ष यह 40 था।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत IMR का लक्ष्य 2020 तक प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 30 तक का आंकड़ा प्राप्त करना है।

**बाल और मातृ स्वास्थ्य से संबंधित SDG के 3 प्रावधान**

- **2030** तक, वैश्विक मातृ मृत्यु दर अनुपात को प्रति **100,000** जीवित जन्मों पर **70** से कम करना।
- **2030** तक, सभी देशों द्वारा नवजात मृत्यु दर को प्रति **1000** जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं में 12 से कम करने और **5** वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर प्रति **1000** जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं मे 25 से कम करने का लक्ष्य रखना। नवजात शिशुओं और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की रोकथाम योग्य (preventable) मृत्यु के मामलों पर पूर्णतः नियंत्रण प्राप्त करना।

### सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत)

- **जननी सुरक्षा योजना (JSY) और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK**) के अंतर्गत, संस्थागत प्रसव की संख्या बढ़ी है। ये कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में बच्चे को जन्म देने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को पूरी तरह से निःशुल्क प्रसवपूर्व जांच, सिजेरियन सेक्शन सहित प्रसव, प्रसव पूर्व देखभाल और एक वर्ष की आयु तक बीमार शिशुओं के उपचार का अधिकार प्रदान करते हैं।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अगस्त **2016** में *मदर्स ऐब्सलूट अफेक्शन प्रोग्राम (*MAA: Mothers' Absolute Affection) की शुरुआत की गयी थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनसंचार के माध्यमों और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ-साथ समुदायों में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण के माध्यम से माताओं में नवजात शिशुओं को स्तनपान कराने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है।
- **ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस** (VHNDs) मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन तथा स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा सहित मातृ एवं बाल देखभाल के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है।
- **सार्वभैमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP)** का संचालन बच्चों के जीवन के लिए खतरनाक कई रोगों के विरुद्ध टीकाकरण प्रदान करने के लिए किया जा रहा है।
- **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम** (RBSK) का संचालन जन्म के समय किसी प्रकार के विकार, रोग, कमी, विकलांगता और प्रारंभिक रूप से आवश्यक मूलभूत सेवाएँ प्रदान करने सहित विकास में रूकावट की जांच करने के लिए शुरू किया गया है। इसका प्रयोजन है कि समुदाय में 0-18 वर्ष के आयु वर्ग वाले सभी बच्चों को व्यापक देखभाल प्रदान की जा सके।
- वल्नरेबल आयु समूहों में रक्ताल्पता की रोकथाम के लिए आयरन और फोलिक एसिड (IFA) पूरक प्रदान करना।
- गर्भावस्था, प्रसव और आवश्यक नवजात देखभाल के दौरान माता की बुनियादी और प्रसूति संबंधी व्यापक देखभाल के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के कौशल का निर्माण और उन्नयन करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं।
- कम प्रदर्शन करने वाले जिलों को उच्च प्राथमिकता वाले जिलों (HPDs) के रूप में पहचाना गया है जो उन्हें प्रति व्यक्ति उच्च वित्त, लचीले मानदण्ड, उन्नत निगरानी और केंद्रित सहायक पर्यवेक्षण प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाता है। इससे उन्हें अपनी विशिष्ट स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवाचारी तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।



VISION IAS

**उड़ीसा के रायगढ़ में अमा (Ama) संकल्प**

- इस पहल से 1 वर्ष में जिले में शिशु मृत्यु दर 1,000 में 48 से घटकर 33 हो गई है।
- सम्मिलित मानक
    - गर्भवती महिलाओं के प्रसव की सम्भावित तिथि पर नजर रखना।
    - प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन करना।
    - आंगनवाड़ी, आशा (ASHA) कार्यकर्ताओं और ANM's को उच्च जोखिम श्रेणी वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान करने और उन्हें *मां गृह* में लाने के लिए निर्देशित करना।
    - महिलाओं के लिए चिकित्सकीय सहायता और पोषण युक्त भोजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए चौबीस घंटे मां गृह का संचालन करना।
    - एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी के माध्यम से जिले के ग्रामीण इलाकों में सब्जियों की खेती को बढ़ावा देना।

### 5.1.5 एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच

**(Integrated Health Information Platform: IHIP)**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW)** ने **स्वास्थ्य सूचना एक्सचेंज** की सहायता से नागरिकों के **इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स (EHRs)** के निर्माण के लिए और मेडिकल हिस्ट्री हेतु इन **रिकॉर्ड्स की राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन** उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु IHIP की स्थापना की।

- MoHFW ने विभिन्न स्वास्थ्य सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों में हेल्थकेयर संबंधी सूचना के संग्रहण, भण्डारण, संचरण तथा उपयोग आदि में मानकीकरण और एकरूपता तथा अंतर-प्रचालनात्मकता लाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड (EHR) स्टैंडड्र्स वर्जन 2016 अधिसूचित किया है।

## 5.2. पोषण

**(Nutrition)**

### 5.2.1 ग्लोबल हंगर इंडेक्स

**(Global Hunger Index)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- ***"ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2017: द इनइक्वलिटीज़ ऑफ़ हंगर"*** रिपोर्ट में 119 विकासशील देशों में भारत का स्थान 100वाँ है।

**संबंधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की अनुशंसाएं**

- 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग में वर्तमान स्तर से 50% तक की वृद्धि करना।
- 2020 तक उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड (IPHS) मानदंड के अनुसार चिकित्सा-सहायकों और डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- एक समयबद्ध तरीके से सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को GDP के 2.5% तक बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त करना।
- बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन विकास की कमी वाले क्षेत्रों तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु लक्षित दृष्टिकोण।
- मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच का विस्तार करना।
- स्वास्थ्य आपदाओं को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने हेतु बुनियादी सुविधाओं, मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी के सन्दर्भ में एक निश्चित अतिरिक्त क्षमता बनाए रखना चाहिए।



VISION IAS

- नर्स प्रैक्टिशनर्स और पब्लिक हेल्थ नर्स जैसे कैडरों की स्थापना करना ताकि अत्यंत आवश्यक क्षेत्रों में उनकी उपलब्धता को बढ़ाया जा सके।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में विद्यमान स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के अंतराल को कम करने हेतु CSR का उपयोग किया जाना चाहिए।

***ग्लोबल हंगर इंडेक्स* के बारे में:**

- इसे वाशिंगटन स्थित *इंटरनेशनल फ़ूड पालिसी एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट* (IFPRI) के द्वारा आयरलैंड के *कंसर्न वर्ल्डवाइड* और *वेल्थ हंगरलाइफ* (जर्मन गैर-लाभकारी संगठन) के सहयोग से जारी किया जाता है।
- यह 100 अंकों के मानक पर देशों की रैंकिंग प्रदान करता है। इसमें 0 सूचकांक वाले देश में भूख की समस्या नहीं पायी जाती है।
- GHI स्कोर चार संकेतकों पर आधारित होता है:
  - **अल्पपोषण**: आबादी का वह हिस्सा जिनका कैलोरी सेवन अपर्याप्त है।
  - ***चाइल्ड वेस्टिंग***: पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों का वह भाग जिनकी लम्बाई की तुलना में उनका भार कम है।
  - ***चाइल्ड स्टंटिंग***: पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों का वह भाग जिनकी उम्र की तुलना में उनकी लम्बाई कम है।
  - ***चाइल्ड मोर्टेलिटी***: पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर (यह अपर्याप्त पोषण और अस्वस्थ वातावरण के घातक मिश्रण को दर्शाता है)

**वैश्विक स्तर पर भूख की स्थिति**:

- विश्व भर में भूख के स्तर में वर्ष 2000 की तुलना में 27% की गिरावट आयी है।
- क्रमशः 30.9 और 29.4 सूचकांक के साथ **दक्षिण एशिया और अफ्रीका का दक्षिणी सहारा,** भूख की समस्या से सर्वाधिक ग्रसित क्षेत्र हैं।
- **सेंट्रल अफ़्रीकन रिपब्लिक** का स्कोर सबसे खराब रहा और यह एक मात्र ऐसा देश है जो 2017 में अत्यंत भयावह भूख के स्तर की श्रेणी में शामिल है।

**भारत का प्रदर्शन** :

- 31.4 स्कोर के साथ, भारत **"गंभीर" भूख की समस्या से ग्रस्त श्रेणी** के अंतर्गत शीर्ष स्तर पर शामिल है।
- विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था और दूसरा सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक होने के बावजूद भारत में भूख की व्यापकता में कम सुधार हुआ है (यानी 2000 में 38.2 से 2017 में 31.4)।

## 5.2.2. ग्लोबल नूट्रिशन रिपोर्ट 2017

**(Global Nutrition Report 2017)**

- ग्लोबल नूट्रिशन रिपोर्ट विश्व में पोषण की स्थिति के आधार पर स्वतंत्र रूप से तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट है।
- सभी 140 देशों के अध्ययन के आधार पर रिपोर्ट में निष्कर्षित किया गया है कि अधिकांश देश (88%) कुपोषण के निम्नलिखित दो या तीन स्वरूपों का गंभीर रूप से सामना कर रहे हैं: ठिगनापन (चाइल्डहुड स्टंटिंग), प्रजनन आयु में महिलाओं में एनीमिया, वयस्क महिलाओं में अधिक वजन की समस्या।
- भारत में कुपोषण का दोगुना बोझ- 5 वर्ष से कम आयु के 38% बच्चे स्टंटिंग से ग्रसित हैं तथा 21% को 'वेस्टेड' (Wasted) के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरी ओर, 16% वयस्क पुरुष तथा 22% वयस्क महिलाएँ अधिक वजन की समस्या से ग्रसित हैं।



VISION IAS

### 5.2.3 वैश्विक रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा और पोषण का स्तर

**(The State of Food Security and Nutrition in the World Report)**

- यह एक वार्षिक फ्लैगशिप रिपोर्ट है, जिसे संयुक्त रूप से फ़ूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़ दी यूनाइटेड नेशंस (FAO), इंटरनेशनल फण्ड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट (IFAD), यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन्स फण्ड (UNICEF), वर्ल्ड फ़ूड प्रोग्राम (WFP) और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) द्वारा तैयार किया जाता है।
- पहली बार, इस रिपोर्ट द्वारा खाद्य असुरक्षा के दो मानदंड प्रदान किये गये हैं। प्रत्यक्ष साक्षात्कार पर आधारित फ़ूड इन्सिक्युरिटी एक्सपीरियंस स्केल (FIES) का उपयोग करके बताया गया है कि भूख के परिमाण के संकेतक अल्पपोषण की व्यापकता और गंभीर खाद्य असुरक्षा की मौजूदगी एक दूसरे में वृद्धि कर रहे हैं।
- इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट छह पोषण संकेतकों के रुझानों का मूल्यांकन करती है: प्रजनन की आयु में महिलाओं में एनीमिया, स्टंटिंग, वेस्टिंग, अधिक वजन, मोटापा और इक्स्क्लूसिव ब्रैस्टफीडिंग के स्तर।

**सम्बंधित तथ्य**

**वर्ल्ड फ़ूड प्रोग्राम**

- यह भुखमरी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित एक UN एजेंसी है।
- यह यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप (देश के स्तर पर संयुक्त राष्ट्र विकास गतिविधियों की प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए 1997 में गठित 32 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों का एक संघ) का सदस्य है।
- विश्व स्तर पर, यह आपात स्थितियों विशेषतः नागरिक संघर्ष और प्राकृतिक आपदाओं में खाद्य पदार्थ की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कार्य करता है।
- भारत में, WFP भारत सरकार को प्रत्यक्ष खाद्य अनुदान प्रदान करने के स्थान पर तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण सेवाएं प्रदान करता है।
- **वर्तमान में, WFP निम्नलिखित विषयों पर केन्द्रित है-**
  - भारत की अपनी सब्सिडी युक्त खाद्य वितरण प्रणाली की दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता में सुधार।
  - स्कूल में दिए जाने वाले भोजन को विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्वों से फोर्टिफाई करने के प्रयास जैसे चावल को आयरन से फोर्टिफाई करने सम्बंधी पायलट प्रोजेक्ट।
  - स्टेट-लेवल फ़ूड सिक्यूरिटी एनालिसिस यूनिट की स्थापना हेतु ओडिशा सरकार की निर्धनता और मानव विकास निगरानी एजेंसी का सहयोग करना।

**इंटरनेशनल फण्ड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट (IFAD)**

- यह विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता और भूखमरी के उन्मूलन हेतु समर्पित एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान और संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है।
- इसकी स्थापना 1977 में एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के रूप में की गयी। यह 1974 के आयोजित विश्व खाद्य सम्मेलन के प्रमुख परिणामों में से एक था।
- इसका मुख्यालय रोम में स्थित है और यह यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप का सदस्य है।

### 5.2.4 भारत में शहरी पोषण

**(Urban Nutrition in India)**

**सुर्खियों में क्यों?**

- **शहरी पोषण** पर शहरी हंगामा (HUNGaMA) (भूख और कुपोषण) रिपोर्ट, 2014 में कुपोषण के विरुद्ध नागरिकों के गठबन्धन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर जारी की गई थी।



VISION IAS

- **शहरी** हंगामा (HUNGaMA) सर्वेक्षण 2014 भारत के 10 सबसे बड़े शहरों में 0-59 महीने की आयु के बच्चों के आवश्यक पोषण आंकड़ों को संगृहीत करने हेतु किया गया था।
- सर्वेक्षण में संगृहीत किए आंकड़े पोषण (वजन, ऊंचाई, आयु) एवं परिवार (माता-पिता की स्कूली शिक्षा के वर्षों, धर्म, सेवाओं तक पहुँच) से संबंधित थे।
- हाल ही में, लैंसेट स्टडी में भारत में कुपोषण के दोहरे बोझ के संबंध में चिंता व्यक्त की है। यह दोहरा बोझ है : कम वजन के साथ-साथ मोटापे से ग्रस्त बच्चे।

**रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु**

- इसने **कुपोषण से संबंधित सभी संकेतकों** के लिए लड़के और लड़कियों के मध्य निम्न अंतराल को प्रदर्शित किया है।
- इसमें ऐसे बच्चों के मध्य कुपोषण का पर्याप्त उच्च प्रसार का निष्कर्ष प्राप्त हुआ है, जिनकी माताओं ने **निम्न या बिल्कुल भी स्कूली शिक्षा** प्राप्त नहीं की थी।
- निम्न सम्पत्ति वाले परिवारों की तुलना में **उच्च सम्पत्ति** वाले परिवारों के मध्य बाल कुपोषण की व्यापकता पर्याप्त रूप से कम थी। जबकि अति-पोषण के मामले में, उच्च सम्पत्ति वाले परिवारों के बच्चों की संख्या अधिक थी।
- सर्वेक्षण के पूर्ववर्ती माह में केवल 37.4% परिवारों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उपयोग किया था, जो सूरत में सबसे कम (10.9%) और कोलकाता में सबसे अधिक (86.6%) था।
- चार बच्चों में एक से भी कम बच्चे को ऐसा आहार प्रदान किया गया था जो स्वस्थ वृद्धि और विकास के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो।

**कुपोषण का दोहरा बोझ**

**कुपोषण**, किसी व्यक्ति द्वारा ऊर्जा या पोषक तत्वों के सेवन में कमी, अधिकता या असंतुलन को संदर्भित करता है। कुपोषण शब्द दो व्यापक समूहों को कवर करता है - अल्पपोषण और अधिक वजन।

## 5.2.5. राष्ट्रीय पोषण रणनीति

**(National Nutrition Strategy)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

नीति आयोग के तहत एक उच्च स्तरीय पैनल ने एक 10 सूत्री कार्य योजना तैयार की है जिसमें "कुपोषण मुक्त भारत-विजन 2020" के दृष्टिकोण के साथ गवर्नेंस सुधार सम्मिलित हैं।

**संबंधित प्रावधान**

- संविधान के अनुच्छेद 47 में यह उल्लिखित है कि "पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर के मानकों को उच्च बनाने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा।
- कोपनहेगन कन्सेन्सस ने दो बार विभिन्न पोषण संबंधी हस्तक्षेपों की पहचान की है जिनमें से कुछ सभी संभव विकास मूल्यांकनों में सर्वाधिक उच्च परिणाम देने वाले हैं।
- राष्ट्रीय पोषण मिशन की अनुशंसा प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा भारत की पोषण सम्बन्धी चुनौतियों के सन्दर्भ में वर्ष 2010 में की गयी। वर्ष 2014 में देश में मातृत्व एवं शिशु अल्पपोषण की समस्याओं का समाधान करने हेतु इसे प्रारम्भ किया गया।
- सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 निर्धारित की है। यह नीति अन्य मुद्दों के साथ-साथ कुपोषण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आदि का समाधान करने हेतु आवश्यक हस्तक्षेपों तथा बाल एवं किशोर स्वास्थ्य का भी उल्लेख करती है।

**राष्ट्रीय पोषण रणनीति के प्रावधान**

- 2030 के अंत तक सभी प्रकार के कुपोषण में कमी लाना।
- पोषण रणनीति ने एक फ्रेमवर्क की कल्पना प्रस्तुत की है जिसमें पोषण के चार अनुमानित निर्धारक- स्वास्थ्य सेवाओं का उद्ग्रहण, खाद्य, पेयजल एवं स्वच्छता तथा आय एवं आजीविका, भारत में अल्पपोषण में कमी लाने हेतु एक साथ कार्य करते हैं।

VISION IAS

- विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण– इसके साथ यह रणनीति, पोषण संबंधी पहलों पर पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) व शहरी स्थानीय निकायों के स्वामित्व को सुदृढ बनाने का लक्ष्य रखती है। इसका कारण है कि पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित विषयों में वे विषय भी सम्मिलित हैं जो अल्पपोषण जैसे स्वच्छता एवं जल के तात्कालिक व अन्तर्निहित निर्धारकों का समाधान करते हैं।
- इस रणनीति में उल्लिखित गवर्नेंस सुधारों में सम्मिलित हैं: (i) ICDS, NHM और स्वच्छ भारत के लिए राज्य और जिला कार्यान्वियन योजनाओं का अभिसरण (ii) उच्चतम शिशु कुपोषण वाले जिलों में सर्वाधिक सुभेद्य समुदायों पर ध्यान केंद्रित करना (iii) प्रभाव के साक्ष्यों पर आधारित सेवा प्रदायगी मॉडल
- बच्चों एवं उनकी स्वास्थ्य-प्रगति की निगरानी हेतु न्यूट्रीशन सोशल ऑडिट किए जाने हैं।
- राष्ट्रीय पोषण निगरानी तंत्र–'उच्च जोखिम और सुभेद्य जिलों' की पहचान हेतु देश के अल्पपोषित स्थानिक क्षेत्रों का मानचित्र तैयार किया जाएगा तथा बच्चों में गंभीर अल्पपोषण के मामलों को नियमित बीमारी रिपोर्टिंग तंत्र में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- संस्थागत व्यवस्थाएं - नेशनल न्यूट्रीशन मिशन स्टीयरिंग ग्रुप (NNMSG) और इम्पॉवर्ड प्रोग्राम कमिटी (EPC) जैसी संस्थागत व्यवस्थाएं गठित की जाएंगी जो क्रमश: महिला एवं बच्चों के मंत्री एवं सचिव की अध्यक्षता में कार्य करेंगी।
- राष्ट्रीय पोषण मिशन – इस रणनीति का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरह एक राष्ट्रीय पोषण मिशन प्रारम्भ करना है। यह महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य, भोजन व सार्वजनिक वितरण, स्वच्छता, पेयजल एवं ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में पोषण आधारित हस्तक्षेपों को सक्षम बनाने के लिए किया जाएगा।

**संबंधित समाचार :**

- भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्थापना का अनुमोदन किया है।

**मिशन के बारे में**

- इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ-साथ पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नोडल एजेंसी के तौर पर क्रियान्वित किया जाएगा।

**कार्यान्वियन एवं लक्ष्य**

- इस मिशन का लक्ष्य ठिगनेपन (स्टंटिंग), अल्पपोषण, तथा जन्म के समय कम वजन के मामलों को प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत कम करना है तथा एनीमिया को प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत घटाना है।
- यह मुख्यत: 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं एवं किशोरी बालिकाओं पर ध्यान केंद्रित करता है।
- यह स्टंटिंग के मामलों को 38.4% (NFHS-4) से घटाकर 2022 (मिशन -25, वर्ष 2022 तक ) तक 25% करने का प्रयास भी करेगा।
- इसे तीन चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा: 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20। 'अत्यधिक दबाव ' वाले 315 जिले प्रथम चरण में कवर किए जाने हैं, 235 जिलों को उसके अगले चरण में और शेष बचे जिलों को अंतिम चरण में कवर किया जाएगा।

**विशेषताएं**

- एक मुख्य निकाय के रूप में NNM पोषण संबंधी हस्तक्षेपों की निगरानी, पर्यवेक्षण, लक्ष्य निर्धारण एवं मार्गदर्शन करेगा।
- कुपोषण के अंतर्गत सहयोग करने वाली विभिन्न योजनाओं का मानचित्रण।
- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित रियल टाइम निगरानी तंत्र।
- लक्ष्य प्राप्त कर लेने पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय प्रोत्साहन देना।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (AWW) को सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण प्रयोग करने एवं रजिस्टरों की आवश्यकता को समाप्त करने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन देना।





VISION IAS

- आंगनवाड़ी केन्द्रों पर बच्चों की ऊँचाई का मापन।
- बच्चों के स्वास्थ्य प्रगति की निगरानी हेतु सामाजिक अंकेक्षण।
- पोषण संसाधन केन्द्रों की स्थापना।

## 5.2.6.'जीरो हंगर' कार्यक्रम

### ('Zero Hunger' Program)

**सुर्खियों में क्यों ?**

उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, ओडिशा के कोरापुट और महाराष्ट्र के ठाणे को **16 अक्टूबर (विश्व खाद्य दिवस) को** कृषि क्षेत्र में हस्तक्षेप के माध्यम से भारत के महत्वाकांक्षी **'जीरो हंगर'** कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए चुना गया है।

**संबंधित तथ्य - स्टेट ऑफ़ फ़ूड एंड एग्रीकल्चर**

- 'स्टेट ऑफ़ फ़ूड एंड एग्रीकल्चर' FAO का एक प्रमुख वार्षिक फ्लैगशिप प्रकाशन है जिसका उद्देश्य लोगों के व्यापक समूह को खाद्य और कृषि क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों के संतुलित विज्ञान-आधारित आकलनों (balanced science-based assessments) से अवगत कराना है।
- 2017 की रिपोर्ट समेकित ग्रामीण परिवर्तन हेतु खाद्य प्रणालियों का लाभ उठाने पर केंद्रित है।

**कार्यक्रम के बारे में**

- यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR), एम एस स्वामिनाथन रिसर्च फाउंडेशन और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) के सहयोग से आरम्भ किया जाएगा। संबंधित राज्य सरकारों को भी कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा।
- यह भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करने हेतु साहचर्य तरीके से कृषि, स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- इसमें पोषण के लिए कृषि प्रणालियों का संयोजन, बायोफोर्टिफाइड पौधों की फसल के लिए आनुवंशिक उद्यानों की स्थापना और एक **'ज़ीरो हंगर'** प्रशिक्षण का आरम्भ शामिल होगा।
- यह हस्तक्षेप के प्रभाव को मापने के उपयुक्त तरीकों को भी सुनिश्चित करेगा।
- प्रत्येक जिले में पोषण संबंधी बीमारियों और उचित कृषि / बागवानी और पशुपालन सम्बन्धी उपचार की पहचान करने के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा।
- यह 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त करने और 'ज़ीरो हंगर' के लिए SDG (नंबर 2) को प्राप्त करने के लिए सरकार की अन्य योजनाओं के अतिरिक्त काम करेगा।

## 5.2.7.स्वस्थ बच्चे, स्वस्थ भारत कार्यक्रम

### (Swasth Bachche, Swasth Bharat Programme)

**सुर्ख़ियों में क्यों ?**

हाल ही में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वस्थ बच्चे-स्वस्थ भारत कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।

**स्वस्थ बच्चे-स्वस्थ भारत कार्यक्रम से संबंधित तथ्य**

- यह सक्रिय विद्यालयों (active schools) के निर्माण हेतु **केन्द्रीय विद्यालय संगठन** की एक पहल है।
- यह बच्चों के लिए एक विस्तृत और **समावेशी रिपोर्ट कार्ड** प्रदान करेगा तथा विभिन्न क्षमताओं तथा सभी आयु वर्गों के बच्चों को कवर करेगा।
- कार्यक्रम का उद्देश्य अध्यापकों एवं अभिभावकों को **बेहतर स्वास्थ्य और फिटनेस के महत्व के संबंध में जागरूक करना** तथा प्रतिदिन 60 मिनट खेलने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- यह **आंकड़ों को एकत्र और विश्लेषण करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग** करेगा और विद्यालयों, अभिभावकों एवं अध्यापकों को उस तक पहुँच प्रदान करेगा।



VISION IAS

### 5.2.8 थेरप्यूटिक फ़ूड

(Therapeutic Food)

**सुर्खियों में क्यों?**

हाल ही में, महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद कुपोषित बच्चों के उपचार हेतु *रेडी-टू-यूज थेरप्यूटिक फ़ूड* का कार्यान्वियन बंद कर दिया है।

***रेडी-टू-यूज थेरप्यूटिक* (RUTF) क्या है?**

- RUTF गंभीर रूप से कुपोषित (Severe Acute Malnutrition-**SAM**) बच्चों के उपचार हेतु एक चिकत्सकीय हस्तक्षेप है जिसे चिकित्सक की देखरेख में दिया जाता है। इसमें उच्च ऊर्जा वाले *सप्लीमेंट्स* (मूँगफली, तेल, सूखा दूध, इत्यादि) का *रेडीमेड पैक्ड पेस्ट* शामिल होता है।
- इस मिश्रण को 6 महीने से 6 वर्ष के बीच के बच्चों को लगभग एक महीने तक प्रतिदिन दिया जाता है।
- यह लागत प्रभावी और स्वच्छ होता है, क्योंकि यह ताज़े पके हुए भोजन की तुलना में मानव संपर्क में कम आता है।
- यह भारत में राज्य सरकारों के सहयोग से वैश्विक पहल ***स्केलिंग अप न्यूट्रीशन (SUN) मूवमेंट और*** ICDS के तहत लागू किया जा रहा है।

**SUN मूवमेंट**

- यह *स्केल अप न्यूट्रीशन फ्रेमवर्क* के विकास के साथ 2009 में शुरू किया गया था।
- यह पहल मातृ एवं शिशु पोषण को बेहतर बनाने के लिए नागरिक समाज, संयुक्त राष्ट्र, दानकर्ताओं, व्यापारियों और शोधकर्ताओं को एक सामूहिक प्रयास के रूप में एकजुट करती है।

**भारत में *न्यूट्रास्युटिकल* उद्योग**

- *न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंटस* और खाद्य पदार्थ ड्रग्स नहीं हैं किन्तु तथाकथित रूप से उन्हें स्वास्थ्य के लिए अत्यावश्यक बताया जाता है। इसमें मोटापे से सम्बन्धित गोलियाँ, अतिशयोक्ति पूर्ण लाभों से युक्त बताए जाने वाले *डाइट रेजिमेन शेक* आदि शामिल हैं।
- 2017 की एक रिपोर्ट में, *एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया* ने अनुमान लगाया है कि वैश्विक न्यूट्रास्युटिकल उद्योग में प्रति वर्ष लगभग 15 बिलियन डॉलर की वृद्धि होगी। अकेले भारत में यह 2 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य का उद्योग है।
- हाल ही में, FSSAI द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार *न्यूट्रास्युटिकल* उद्योग को नियंत्रित करने के लिए पिछले वर्ष हैदराबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रीशन के अधीन एक केंद्र स्थापित किया गया था।

## 5.3. परिवार नियोजन

Family Planning

### 5.3.1. भारत में प्रजनन दर की प्रवृत्ति

(Fertility Trend in India)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, विभिन्न समुदायों की कुल प्रजनन दर (TFR) में परिवर्तन के संबंध में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की चौथे दौर की रिपोर्ट (NFHS-4) प्रकाशित की गई।



VISION IAS

**कुल प्रजनन दर (TFR) को** किसी महिला की प्रजनन अवधि के दौरान (15-49) जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है।

- यह जन्म दर की तुलना में प्रजनन के स्तर का अधिक प्रत्यक्ष मापक है, क्योंकि यह एक देश में जनसंख्या परिवर्तन की संभावना को दर्शाता है।
- भारत में कुल प्रजनन दर 2005-06 (NFHS-3) के 7 से घटकर 2015-16 (NFHS-4) में 2.2 हो गई है।
- **प्रजनन दर का प्रतिस्थापन स्तर** (Replacement level fertility) प्रजनन का वह स्तर है, जिस पर जनसंख्या पूर्ण रूप से स्वयं को एक पीढ़ी से दूसरी में परिवर्तित करती है।

**विवरण:**

- **भौगोलिक भिन्नता:** सभी दक्षिणी राज्यों सहित 23 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्रजनन दर, प्रतिस्थापन दर से नीचे है। जबकि यह केन्द्रीय, पूर्वी तथा उत्तर-पूर्व के कई राज्यों में उच्च है।

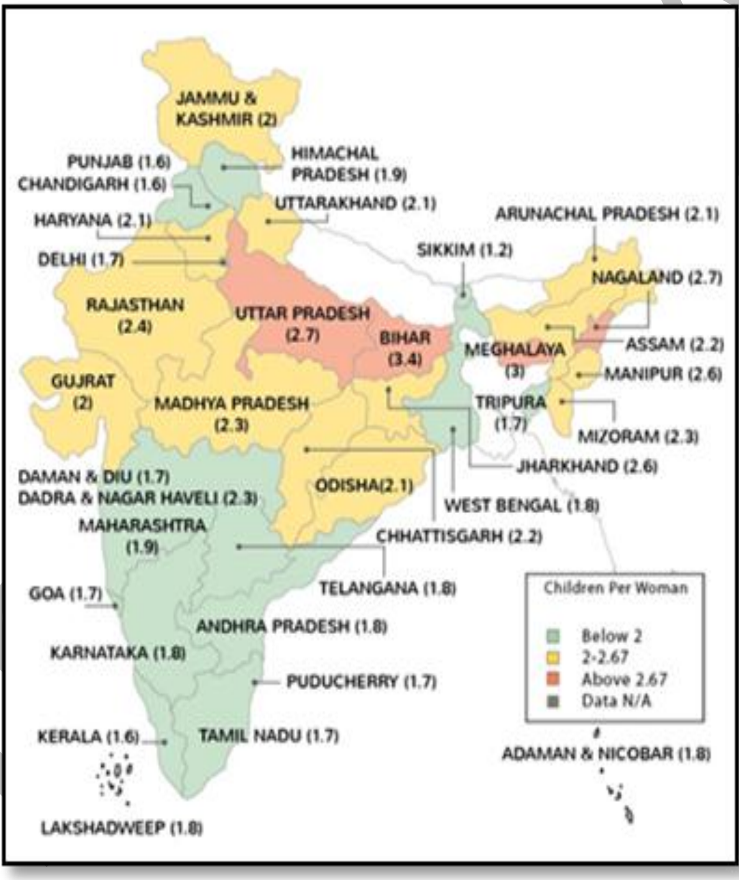


- बिहार 3.41 की दर के साथ शीर्ष स्थान पर है तथा इसके पश्चात क्रमशः मेघालय (3.04) और उत्तर प्रदेश एवं नागालैंड (2.74) का स्थान आता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में TFR 2.4 है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में यह 1.8 है।
- **शिक्षा का प्रभाव:** 12 वर्ष या उससे अधिक उम्र की विद्यालयी शिक्षा प्राप्त महिलाओं में प्रजनन दर 1.7 पाई गई है, जबकि जिन महिलाओं ने विद्यालयी शिक्षा प्राप्त नहीं की हैं, उनमें यह दर 3.1 है।
- **गर्भ निरोधकों के उपयोग का विषम प्रारूप:** गर्भ निरोधक की सबसे लोकप्रिय पद्धति महिला बंध्याकरण (स्टेरिलाइज़ैशन) है, जिसकी दर 36% है। पुरुष बंध्याकरण की दर केवल 0.3% है।

## 5.3.2. मिशन परिवार विकास

(Mission Parivar Vikas)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- **विश्व जनसंख्या दिवस पर** (जुलाई 11, 2017) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने मिशन परिवार विकास का शुभारम्भ किया।

**राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000**

- 2045 तक एक स्थिर जनसंख्या प्राप्त करने का दीर्घकालिक लक्ष्य।
- गर्भनिरोधक, स्वास्थ्य देखभाल के मूलभूत ढांचे और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को पूरा करना।
- प्रजनन और बाल स्वास्थ्य देखभाल के लिए आवश्यक मूलभूत सेवाओं को एकीकृत रूप से उपलब्ध कराना।
- मातृ मृत्यु दर : '100 प्रति एक लाख जन्म' से नीचे।
- शिशु मृत्यु दर: प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों के लिए 30।
- MMR को कम करने के लिए 80% संस्थागत प्रसूति के लक्ष्य को प्राप्त करना
- बच्चों के सार्वभौमिक टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना।
- लड़कियों के देरी से विवाह को प्रोत्साहित करना, 18 वर्ष की आयु से पहले नहीं और 20 वर्ष के बाद प्राथमिकता देना।
- अनिवार्य स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराना तथा स्कूल छोड़ने की दर को कम करना।
- TFR का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त करने के लिए छोटे परिवारों के आदर्श को प्रोत्साहित करना।
- सामजिक क्षेत्र के सम्बन्धित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कन्वर्जेन्स।

**मिशन परिवार विकास**

- इसका लक्ष्य सात राज्यों के 146 जिलों की कुल प्रजनन दर को नियंत्रित करना है। यह देश की कुल जनसंख्या का 28% है।
- इस मिशन में **RMNCH+A रणनीति**, *फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम* (FP-LMIS) और परिवार नियोजन पर उपभोक्ता-अनुकूल वेबसाइट का उपयोग किया जाएगा।
- पहुँच में सुधार के लिए निम्नलिखित माध्यमों से रणनीतिक रूप से फोकस किया जाएगा ;
    - **सेवाओं का प्रावधान:** नवविवाहित जोड़ों को एक किट (**नयी पहल**) वितरित की जाएगी। इसमें परिवार नियोजन और निजी स्वच्छता के उत्पाद सम्मिलित होंगे।
    - ***कमोडिटी सिक्योरिटी***: यह नसबंदी सुविधाओं में वृद्धि करेगा, उप-केंद्र स्तर पर *इंजेक्टेबल* गर्भ निरोधकों की उपलब्धता बढ़ाएगा और कंडोम व गोलियों के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा।
    - **प्रमोशनल योजनाएँ**: '**SAARTHI**–*अवेयरनेस ऑन व्हील्स*' नामक विशेष बसें जागरूकता बढ़ाने, समुदायों को संवेदनशील बनाने और परिवार नियोजन संदेशों के प्रसार का काम करेंगी।
    - **क्षमता निर्माण** : प्रजनन और यौन स्वास्थ्य के बारे में मान्यताओं और दृष्टिकोणों में अंतर कम करने के लिए '**सास-बहू सम्मेलन**' आयोजित किये जायेंगे।
    - **सक्षम बनाने वाला परिवेश: आशा कार्यकर्ता** पति-पत्नी के बीच संवाद बढ़ाने, प्रजनन और यौन स्वास्थ्य पर सहमति बनाने, पहला बच्चा देरी से और दूसरे बच्चे के बीच अंतर लाने को प्रोत्साहित करेंगी।
    - **गहन निगरानी: उच्च प्रजनन** दर के कारणों का पता लगाया जाएगा। कार्यक्रम की अर्द्ध-वार्षिक समीक्षा के द्वारा उपलब्धियों का समय के सन्दर्भ में मूल्यांकन किया जाएगा।

**जनसंख्या स्थिरता कोष (JSK)**

- इसे वर्ष 2003 में 100 करोड़ रुपये की निधि (कॉर्पस ग्रांट) के साथ स्थापित किया गया था जिसका उद्देश्य जनसंख्या स्थिरीकरण रणनीतियों को प्रति जागरूकता बढ़ाना है।



VISION IAS

- हाल ही में, सरकार ने इसे स्वायत्त संस्था के रूप में समाप्त करने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है। यद्यपि यह जनसंख्या स्थिरीकरण रणनीतियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।
- यह अपने अधिदेश के एक भाग के रूप में लक्षित आबादी के साथ विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करता है।

**अपनाई गई रणनीतियाँ**

- **प्रेरणा रणनीति-** लड़कियों की विवाह की आयु को बढ़ाने एवं पहले बच्चे के जन्म में देरी तथा दूसरे बच्चे के जन्म के अंतराल को बढ़ाने में सहायता करने हेतु।
- **संतुष्टि रणनीति-** सार्वजनिक-निजी भागीदारी प्रणाली के माध्यम से नसबंदी आपरेशन के लिए निजी क्षेत्र के स्त्रीरोग विशेषज्ञों और वैसेक्टोमी (पुरुष नसबंदी) सर्जनों की भागीदारी को बढ़ावा देना।

- भारत में 1951 में **राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम** की शुरुआत "राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अनुरूप एक स्तर पर जनसंख्या को स्थायी बनाने के लिए अनिवार्य सीमा तक जन्म दर को कम करने" के उद्देश्य से की गई थी। भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम को एक प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और इसे 100 प्रतिशत केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है।

**अन्य पहलें**

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दंपतियों की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए **दो नए गर्भ निरोधकों**, एक गर्भनिरोधक इंजेक्शन अंतरा और एक गर्भनिरोधक गोली 'छाया' की शुरुआत की है।
- **नसबंदी क्षतिपूर्ति योजना** का 11 उच्च फोकस राज्यों (8 EAG, असम, गुजरात, हरियाणा) में विस्तार किया गया है।
- जहाँ पर मामलों की संख्या सर्वाधिक है वहाँ एक समर्पित RMNCH+A काउन्सलर की नियुक्ति करना।
- **'राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा योजना (NFPIS)'**, के अंतर्गत ग्राहकों को नसबंदी के पश्चात् मृत्यु, जटिलताओं तथा विफलता की संभावित घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करने हेतु बीमा किया जाता है। प्रदायक/प्रत्यायित संस्थान इन संभावित घटनाओं में अभियोग के विरूद्ध बीमित किए जाते हैं।
- नसबंदी करवाने वाले लोगों को नसबंदी के दौरान होने वाली पारिश्रमिक की हानि की क्षतिपूर्ति, **नसबंदी क्षतिपूर्ति योजना** के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

## 5.4. बीमारियाँ

(Diseases)

### 5.4.1 ग्लोबल बर्डन ऑफ़ डिजीज स्टडी

(Global Burden of Disease Study)

**सुर्खियों में क्यों ?**

मेडिकल जर्नल, द लैनसेट (The Lancet) में प्रकाशित नवीनतम अध्ययन **ग्लोबल बर्डन ऑफ़ डिजीज (GBD)** के अनुसार, अफगानिस्तान और सोमालिया में पैदा हुए बच्चों की तुलना में भारत में जन्मे नवजात शिशुओं के जीवित रहने की संभावना कम होती है।

**अध्ययन के मुख्य बिंदु-**

- स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच और गुणवत्ता (हेल्थकेयर एक्सेस एंड क्वालिटी: HAQ) के लिए GBD रैंकिंग में, भारत की रैंकग में 11 स्थानों की गिरावट आई है। वर्तमान रैंकिंग में यह **195 देशों में से 154वें स्थान पर** है।



VISION IAS

- इसके अलावा भारत का हेल्थकेयर इंडेक्स उपमहाद्वीपीय देशों में सबसे कम 44.8 है। श्रीलंका (72.8), बांग्लादेश (51.7), भूटान (52.7) और नेपाल (50.8) सभी ने हेल्थकेयर इंडेक्स में भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है।
- तपेदिक (TB) उपचार तक पहुँच के मामले में भारत की रैंकिंग पाकिस्तान, कांगो और जिबूती से निचे है।

**अध्ययन के बारे में :**

- **ग्लोबल बर्डन ऑफ़ डिजीज, इंजरी, एंड रिस्क फैक्टर** स्टडी का नेतृत्व **इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन (IHME)** द्वारा किया जाता है।
- IHME एक स्वतंत्र "पापुलेशन हेल्थ रिसर्च सेंटर" है जो वाशिंगटन विश्वविद्यालय के साथ-साथ 130 से अधिक देशों में 2,300 शोधकर्ताओं के कंसोर्टियम से संबद्ध है।

## 5.4.2. इंडिया स्टेट लेवल डिज़ीज़ बर्डन रिपोर्ट

**(India State Level Disease Burden Report)**

**सुर्खियों में क्यों?**

इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन रिपोर्ट का प्रकाशन ग्लोबल बर्डन ऑफ़ डिज़ीज़ स्टडी, 2016 के एक भाग के रूप में किया गया। इसका उद्देश्य 1990 के बाद से राज्य स्तर पर *डिज़ीज़ बर्डन* तथा जोखिम कारकों के रुझान की जानकारी प्रदान करना है।

**रिपोर्ट के विषय में :**

- इसका निर्माण **इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR)** द्वारा **पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया एवं इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एवं इवैल्युएशन (IHME) के साथ** मिलकर किया गया।
- **इस अध्ययन के निष्कर्षों का उपयोग, DALY का प्रयोग कर भारत में सबनेशनल डिज़ीज़ बर्डन पर नजर रखने के लिए किया जा सकता है।**

**विकलांगता- समायोजित जीवन वर्ष (DALYs)**

- किसी कष्ट से पीड़ित होने एवं असमय मृत्यु के कारण स्वस्थ जीवन वर्षों की हानि।
- इसमें दो अवयव शामिल हैं: जीवन के नष्ट हुए वर्षों की संख्या (YLL) एवं विकलांगता से ग्रसित होकर जिए गए वर्षों की संख्या (YLD)।
- केवल मृत्यु के कारणों के स्थान पर, विकलांगता- समायोजित आयु वर्ष (DALYs) निम्नस्तरीय स्वास्थ्य के मुख्य कारणों का अधिक सटीक चित्रण प्रस्तुत करता हैं।

**रिपोर्ट के निष्कर्ष :**

**स्वास्थ्य संकेतक एवं राज्यों के मध्य असमानताएं :**

- **जीवन प्रत्याशा:** 1990 के दशक की तुलना में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में सुधार हुआ है। यह पुरुषों के लिए 1990 के 58.3 वर्ष से बढ़कर 66.9 वर्ष एवं महिलाओं के लिए 59.7 वर्ष से बढ़कर 70.3 वर्ष हो गई है।
- राज्यों के मध्य असमानता भी देखने को मिली है। 2016 में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा उत्तर प्रदेश में 66.8 वर्ष, जबकि केरल में 78.7 वर्ष थी। इसी प्रकार पुरुषों के लिए जीवन प्रत्याशा असम में 63.6 वर्ष, जबकि केरल में 73.8 वर्ष थी।
- **बाल एवं मातृ पोषण:** बाल और मातृ कुपोषण के कारण *डिज़ीज़ बर्डन* कम होकर 15% हो गया है परन्तु अभी भी यह भारत में सबसे बड़ा जोखिम कारक है।



VISION IAS

**गैर संचारी रोग और महामारियों का संक्रमण :**

- पिछले 26 वर्षों में रोगों के पैटर्न संचारी, मातृ, नवजात, और पोषण रोगों (CMNNDs) से परिवर्तित होकर गैर संचारी रोगों एवं चोटों/आघातों को समाविष्ट करने वाले हो गए हैं।
- प्रमुख गैर संचारी रोगों में सर्वाधिक डिजीज़ अथवा विकलांगता-समायोजित जीवन वर्ष (DALYs) की दर में वृद्धि 1990 से 2016 के दौरान हुई। इस अंतराल में मधुमेह में 80%, एवं स्थानिक-अरक्तता (ischaemic) संबंधी हृदय रोग के मामलों में 34% की वृद्धि देखी गई।

**संक्रामक रोगों में गिरावट किन्तु कई राज्यों में इनका प्रसार अभी भी अत्यधिक उच्च :**

- 1990 के बाद से संक्रामक रोगों के भार (बर्डेनऑफ़ डिज़ीज़) में कमी हुई है|
- इस समूह हेतु समूचे देश के लिए विकलांगता-समायोजित जीवन वर्ष (DALY) दरें विकास के समान स्तर वाले विश्व अन्य देशों की तुलना में भारत में 2.5 से 3.5 गुना उच्च थीं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि इस बर्डेनऑफ़ डिज़ीज़ में अत्यधिक कमी की जा सकती है।

**राज्यों के मध्य रोगों के भार में हो रही वृद्धि :**

- सड़क दुर्घटनाओं, आत्महत्याओं आदि के कारण लगने वाली चोटें भारत में चोटों/आघातों के बढ़ते बर्डेनऑफ़ डिज़ीज़ का मुख्य कारण हैं।

**असुरक्षित जल और स्वच्छता** :

- उपर्युक्त के कारण होने वाला बर्डेन ऑफ़ डिज़ीज़ कम हो रहा है। हालाँकि, 1990 के पश्चात इसमें सुधार होने के बाद भी यह कुल बर्डेन ऑफ़ डिज़ीज़ में 5% का योगदान करता है।

**घरेलू क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार होना तथा बाह्य वायु प्रदूषण की स्थिति का निरंतर बदतर होना:**

- **बाह्य वायु प्रदूषण** – 1990 और 2016 के दौरान प्रदूषण का योगदान उच्च रहा है। इसके कारण गैर-संचारी रोग एवं संक्रामक रोग परस्पर मिश्रित हो गए ।
- **घरेलू वायु प्रदूषण** – खाना पकाने के लिए ठोस ईंधन का उपयोग कम होने के कारण इसमें उल्लेखनीय कमी आई है।

**कार्डियोवैस्कुलर रोगों और मधुमेह का बढ़ता जोखिम :**

- 1990 और 2016 के दौरान इस समूह के रोगों का योगदान 10% से बढ़कर 25% हो गया है।
- ये सभी प्रकार के जोखिम सामान्यत: पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक हैं।

### 5.4.3 राष्ट्रीय सामरिक योजना (2017-24) और मिशन संपर्क

**(National Strategic Plan (2017-24) & Mission Sampark)**

**सुर्खियों में क्यों?**

विश्व एड्स दिवस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित पहलें प्रारम्भ की गयीं-

- राष्ट्रीय सामरिक योजना (2017-24)
- मिशन संपर्क

**अन्य महत्वपूर्ण तथ्य :**

- **राष्ट्रीय सामरिक योजना (2017-24)** - इसका उद्देश्य, भागीदारों के साथ, 2030 तक एड्स महामारी की समाप्ति हेतु फास्ट ट्रैक रणनीति के लिए प्रयास करना है। साथ ही इससे **90: 90:90** के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोडमैप हेतु मार्ग प्रशस्त करने की अपेक्षा है।
- **मिशन संपर्क-** इसका उद्देश्य उन लोगों की खोज करना है, जिनका फॉलो-अप नहीं किया गया है तथा जिन्हें एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (ART) सेवाओं के तहत लाया जाना शेष है। "HIV पॉजिटिव" सभी लोगों की शीघ्र पहचान करने के लिए **"समुदाय आधारित परीक्षण"** को अपनाया जाएगा।

VISION IAS

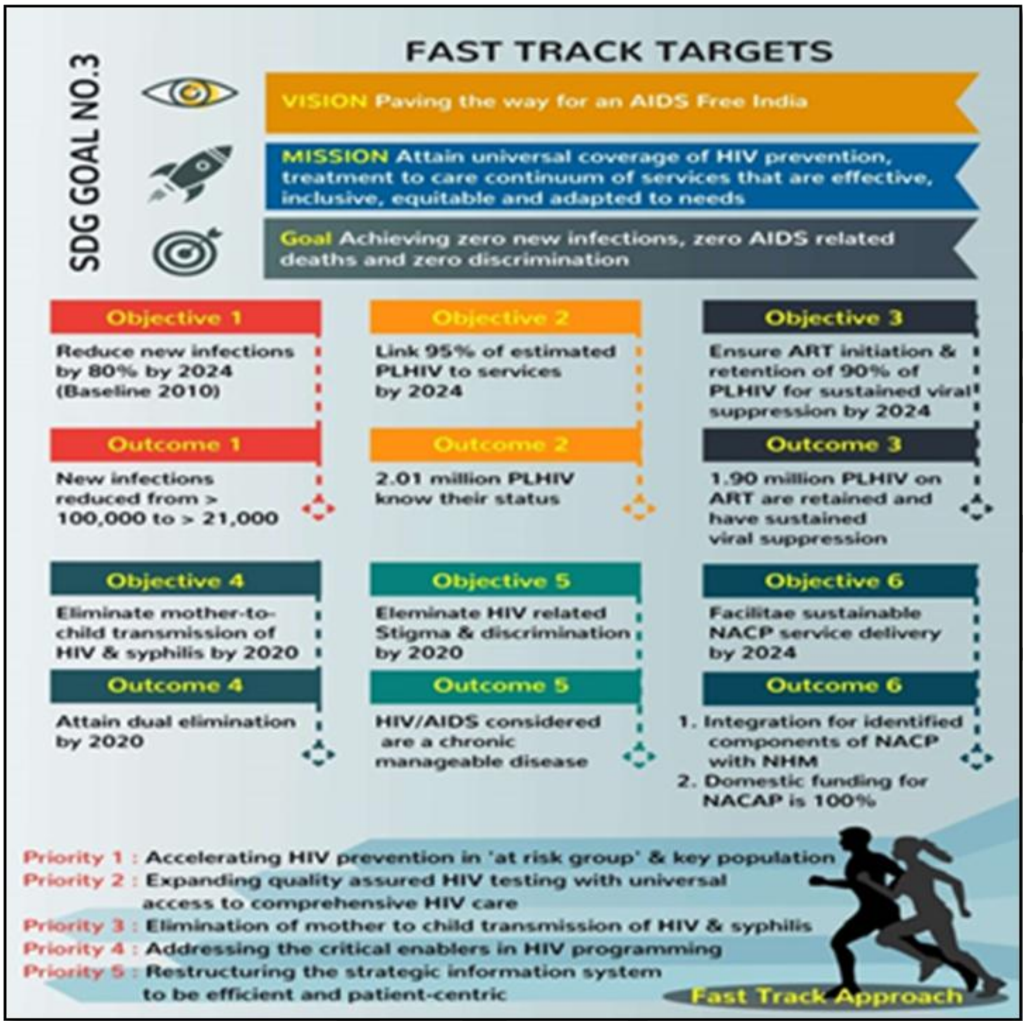

PT 365 - सामाजिक मुद्दे

**भारत में एड्स रोगियों की सुरक्षा हेतु किए गए प्रावधान**

मौलिक अधिकारों के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की संवैधानिक सुरक्षा के अतिरिक्त, एड्स रोगियों की सहायता करने के लिए अन्य प्रावधान भी किए गए हैं। जैसे-

- वर्तमान में भारत, **राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम** के चौथे (2012 से) चरण में है, जो दो प्रमुख उद्देश्यों के साथ प्रारंभ किया गया था -
  - नए संक्रमणों में 50% की कमी (2007 को आधारवर्ष मानते हुए)
  - HIV ग्रस्त लोगों के लिए व्यापक देखभाल और समर्थन का प्रावधान
- **राष्ट्रीय एड्स निवारण और नियंत्रण नीति (2002, NACP II के तहत अपनायी गयी)** - इस नीति का मुख्य उद्देश्य कार्य स्थल और समाज, चिकित्सा और वित्तीय स्थितियों में HIV ग्रस्त लोगों के साथ भेदभाव को रोकने हेतु वैध प्रतिबंधों को लागू करना था।
- **भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम- (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002** - यह HIV/AIDS रोगियों के प्रति डॉक्टरों के कुछ कर्तव्यों का निर्धारण करता है।
- **अनैतिक व्यापार(निवारण) अधिनियम, 1986 -** तस्करी के पीड़ितों में HIV/AIDS की पहचान हेतु अनिवार्य चिकित्सा परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान करता है।
- **HIV/ AIDS रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, 2017-** यह HIV/AIDS से पीड़ित लोगों के विरुद्ध किये गए भेदभाव को अपराध घोषित करता है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
  - अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जाँच और गैर-अनुपालन के मामले में दंडात्मक कार्रवाई हेतु राज्य/ UT सरकारों द्वारा लोकपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।
  - यह HIV से संबंधित परीक्षण, उपचार और नैदानिक अनुसंधान के लिए सूचित सहमति और गोपनीयता सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त यह स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने हेतु अनुकूल परिवेश प्रदान करता है। सम्बंधित फिजिशियन अथवा परामर्शदाता (काउन्सलर) के अतिरिक्त कोई भी अन्य स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता किसी व्यक्ति के HIV पॉजिटिव स्टेटस को उस व्यक्ति के साथी के साथ साझा नहीं कर सकता।

1992 में आरंभ किए गए **राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (NACP)** को भारत में HIV/AIDS की रोकथाम और नियंत्रण के लिए व्यापक कार्यक्रम के रूप में लागू किया जा रहा है।

**NACP-4 घटक**

**घटक 1:** उच्च-जोखिम समूह (HRG) और सुभेद्य जनसंख्या पर फोकस के साथ रोकथाम संबंधी सेवाओं को तीव्र और समेकित करना।

**घटक 2:** (a) सामान्य जनसंख्या और (b) उच्च जोखिम वाले समूह के व्यवहार परिवर्तन और माँग सृजन पर फोकस करते हुए IEC सेवाओं का विस्तार।

**घटक 3:** व्यापक देखभाल, सहायता और उपचार।

**घटक 4:** संस्थागत क्षमता को मजबूत करना।

**घटक 5:** सामरिक सूचना प्रबंधन प्रणाली (SIMS)।

VISION IAS

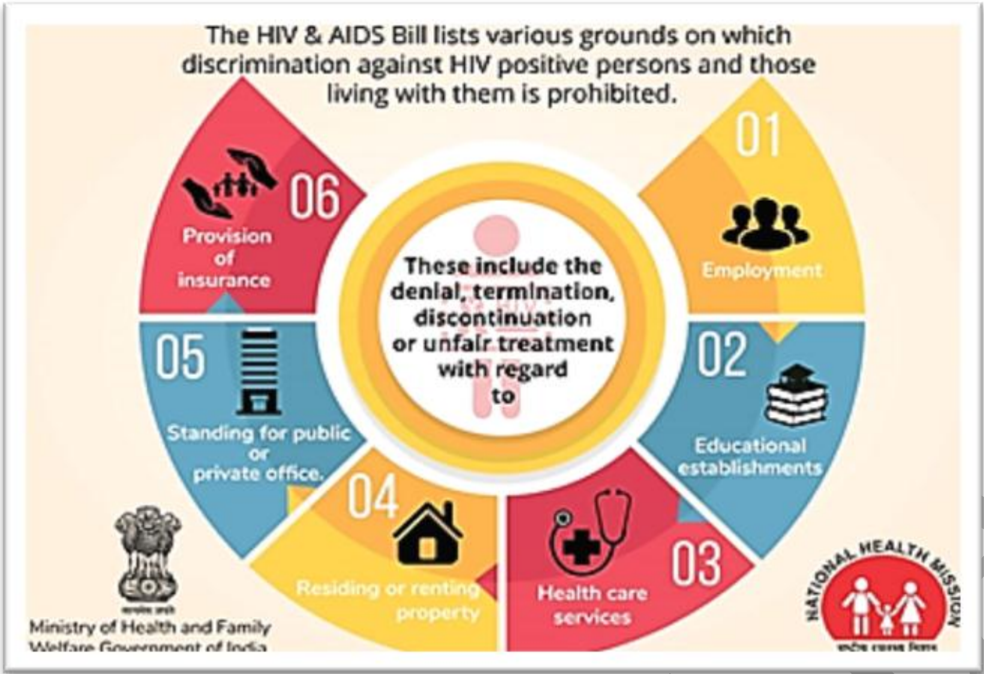


## 5.4.4. मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना

(National Strategic Plan for Malaria Elimination)

### सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा **मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना** (2017-22) को लांच किया गया।

### पृष्ठभूमि

- भारत कम से कम **छह प्रमुख वेक्टर-जनित रोगों**- मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, जापानी एन्सेफलाइटिस और काला अजार के लिए *ब्रीडिंग ग्राउंड* है।
- विश्व में मलेरिया के तीसरे सर्वाधिक मामले भारत में दर्ज है अतः यहाँ लम्बे समय से एक कार्य योजना की आवश्यकता थी।

### वेक्टर-जनित रोगों के उन्मूलन हेतु प्रयास

- *नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन* (NFME) ने 2030 तक मलेरिया के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
- इस प्रतिबद्धता को क्रियान्वित करने के लिए जुलाई 2017 में मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना लांच की गई थी।
- सरकार 2027 तक मलेरिया का उन्मूलन करना चाहती है। इसके लिए उसने राज्यों से सक्रिय सहयोग का आग्रह किया है। इसके तहत 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु रणनीति निर्मित की गयी हैं।
- इन रणनीतियों में मलेरिया निगरानी तंत्र को मजबूत बनाना, इसका समयपूर्व पता लगाने के लिए तंत्र की स्थापना एवं मलेरिया के प्रकोप की रोकथाम शामिल हैं। दीर्घस्थायी *इम्प्रेगनेटेड नेट्स* (LLINs) के उपयोग द्वारा मलेरिया की रोकथाम करना, प्रभावी *इंडोर रेसिडुअल स्प्रे* एवं प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मानव शक्ति व क्षमता का संवर्धन करने जैसे प्रावधान भी इसमें सम्मिलित हैं।

### मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (2017-22)

मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (NSPME) के प्रावधान निम्नलिखित हैं -

- यह देश को 0-3 के स्तर पर चार श्रेणियों में विभाजित करती है अर्थात, -
  - श्रेणी 1 **(0)** - इसमें 75 जिलों को सम्मिलित किया गया है जहाँ पिछले 3 वर्षों में मलेरिया का कोई मामला नहीं देखा गया है।



VISION IAS

- श्रेणी 2 **(1)**- इसमें 448 जिले सम्मिलित हैं जिनमें प्रति 1000 व्यक्तियों में API (Annual Parasite Incidence) 1 से कम है।
- श्रेणी 3 **(2)**- ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ प्रति 1000 व्यक्ति पर API एक या अधिक है, लेकिन 2 से कम है।
- श्रेणी 4 **(3)**- ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ API प्रति 1000 व्यक्ति 2 या 2 से अधिक है।

- इस योजना का लक्ष्य 2022 तक श्रेणी 1और 2 में शामिल जिलों में मलेरिया को पूरी तरह से समाप्त करना है। जबकि अन्य दो श्रेणियों को पूर्व उन्मूलन या उन्मूलन कार्यक्रम के तहत लाया जाएगा।
- इस योजना का लक्ष्य मलेरिया के प्रति एंडेमिक जिलों में *यूनिवर्सल केस डिटेक्शन* और उपचार करना है ताकि सभी मामलों की पहचान व उपचार का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की अनुशंसाओं** के आधार पर **योजना के 4 अवयव** निम्नलिखित हैं:
  - जाँच (*डायग्नोसिस*) एवं *केस मैनेजमेंट*।
  - निगरानी एवं महामारी के प्रति अनुक्रिया।
  - एकीकृत वेक्टर प्रबंधन द्वारा रोकथाम।
  - संचार व अनुसन्धान एवं विकास जैसे *क्रॉस-कटिंग* उपाय अपनाए जाना।

### 5.4.5. तम्बाकू उत्पादों पर सचित्र चेतावनी

**(Pictorial Warning on Tobacco Products)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- सर्वोच्च न्यायालय ने तंबाकू उत्पादों पर सचित्र (Pictorial) चेतावनी के आकार को 85% से कम करके 40% करने संबंधी कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगाई है।

**सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग नियम) संशोधन नियम 2017**

- इसके अनुसार स्वास्थ्य संबंधी विशेष चेतावनी को पैकेज के मुख्य प्रदर्शन क्षेत्र के कम से कम 85 प्रतिशत भाग को कवर करना चाहिए।
- इसमें से 60 प्रतिशत क्षेत्र पर सचित्र स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी तथा 25 प्रतिशत क्षेत्र पर लिखित स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी का प्रदर्शन किया जाना चाहिए।

**तंबाकू के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए अन्य पहलें**

- भारत ने 2004 में WHO **द फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कण्ट्रोल (WHO, FCTC)** की पुष्टि की थी।
- MPOWER - (**तंबाकू की मांग को कम करने हेतु एक पॉलिसी पैकेज**) यह WHO की पहल है, जिसे भारत में क्रियान्वित किया जा रहा है।
- **राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम**: यह तम्बाकू उपयोग के हानिकारक प्रभावों तथा तंबाकू नियंत्रण कानून के संबंध में व्यापक जागरूकता को बढ़ावा देता है।
- समग्र नीति-निर्माण, नियोजन, निगरानी तथा विभिन्न गतिविधियों के मूल्यांकन हेतु **नेशनल टोबैको कण्ट्रोल सेल (NTCC)** को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
- **केबल टेलीविजन नेटवर्क (रेगुलेशन) अमेंडमेंट एक्ट 2000:** केबल टेलीविजन सहित राज्य नियंत्रित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रकाशनों में तम्बाकू विज्ञापनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- **सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (उत्पादन, आपूर्ति और वितरण) अधिनियम 2003:** सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने, नाबालिगों को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करना तथा सभी शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के भीतर तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना।
- खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम द्वारा पान मसाला एवं चबाने वाले तंबाकू के हानिकारक स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में वैधानिक चेतावनियां दी गई हैं।





VISION IAS

- **उच्च कर:** GST के अंतर्गत, GST की निर्धारित 28% की दर के अलावा तंबाकू से संबंधित उत्पादों पर अतिरिक्त उपकर आरोपित किया गया है।

### 5.4.6. इंडिया हेल्थ फण्ड

**(India Health Fund)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

ग्लोबल फण्ड के सहयोग से टाटा ट्रस्ट द्वारा इंडिया हेल्थ फण्ड (IHF) की स्थापना की गई है। इसके द्वारा क्षय रोग और मलेरिया से निबटने के लिए डिजाइन किये गये नवाचार और प्रौद्योगिकियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

**प्रमुख तथ्य**

- भारत के लिए क्षय रोग एवं मलेरिया ने लम्बे समय से स्वास्थ्य चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं। इन दो रोगों के कारण प्रति वर्ष 4.23 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है तथा प्रतिवर्ष लगभग 15 मिलियन नए मामले सामने आते हैं।
- **इसे 2025 तक क्षय रोग और 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ संरेखित किया गया है।**
- IHF का उद्देश्य **पहले से स्थापित नवाचारी रणनीतियों, सेवाओं, उत्पादों से सम्बद्ध** संगठनों और व्यक्तियों की सहायता करना है। यह अनुसन्धान आरंभ करने हेतु कोई फेलोशिप नहीं है।
- **ग्लोबल फण्ड का निर्माण एड्स, क्षय रोग और मलेरिया** जैसी महामारियों के उन्मूलन में तेजी लाने हेतु किया गया है। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। यह सरकारों, नागरिक समाजों, निजी क्षेत्र और रोग से प्रभावित लोगों के मध्य एक साझेदारी है।

### 5.4.7. जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम 2017

**(Joint Monitoring Programme 2017)**

**सुर्खियों में क्यों?**

- **जुलाई, 2017 में वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाईजेशन (WHO) और यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेन्स फण्ड (UNICEF)** ने जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम (JMP) के अंतर्गत **'प्रोग्रेस ऑन ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन 2017 अपडेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बेसलाइन'** शीर्षक से **रिपोर्ट** जारी की।

**जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम**

- यह जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए WHO/UNICEF का जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम (JMP) है।
- 1990 के बाद से, वैश्विक डेटाबेस का संरक्षण करता है तथा पेयजल, स्वच्छता व स्वास्थ्य (Drinking Water, sanitation and hygiene- WASH) पर प्रगति का आकलन करता है।
- संधारणीय विकास के लिए नए 2030 एजेंडे के संदर्भ में पेयजल, स्वच्छता और स्वास्थ्य पर वैश्विक निगरानी को और अधिक सशक्त करने पर ध्यान केन्द्रित करता है।
- प्रत्येक क्षेत्रक, अन्य क्षेत्रक की उपस्थिति पर निर्भर है। उदाहरण के लिए, शौचालय के बिना जल स्रोत दूषित हो जाते हैं; स्वच्छ जल के बिना मूलभूत स्वच्छता मानकों को भी नहीं अपनाया जा सकता है।

**रिपोर्ट के संबंध में**

- यह **" कुशलतापूर्वक प्रबंधित पेयजल और स्वच्छता सेवाओं"** का प्रथम वैश्विक आकलन है"।



VISION IAS

- यह रिपोर्ट निम्निलखित पर ध्यान केन्द्रित करती है;
    - **खुले में शौच** की प्रथा समाप्त करना (संधारणीय विकास लक्ष्य 6.2)।
    - **मूलभूत सेवाओं** को सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध कराना (संधारणीय विकास लक्ष्य 1.4)।
    - प्रगति करते हुए **सुरक्षित रूप से प्रबंधित सेवाओं** की ओर बढ़ना (संधारणीय विकास लक्ष्य 6.1 एवं 6.2)।

**UN–वाटर**

- मीठे जल (फ्रेश वाटर) से संबंधित समस्याओं के लिए यूनाइटेड नेशन्स (UN) इंटर एजेंसी कोआर्डिनेशन मैकेनिज्म। इसके अंतर्गत स्वच्छता भी शामिल है (यह मात्र जल से संबंधित मामलों के लिए संगठन नहीं है)।
- UN-वाटर ने अपने 2030 एजेंडे के समर्थन में अपनी 2014-2020 रणनीति की घोषणा की है।

**वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट (WWDR)**

- UN-वाटर के उन सदस्यों एवं भागीदारों द्वारा प्रकाशित जो इसका प्रतिनिधित्व करते हैं।
- यह रिपोर्ट वर्ल्ड *वाटर असेसमेंट प्रोग्राम* के साथ समन्वित रूप से प्रस्तुत की जाती है एवं इसकी थीम विश्व जल दिवस (22 मार्च) से सुसंगत है।

**UN-वाटर ग्लोबल एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ़ सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर** (GLAAS)

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा UN–वाटर की ओर से प्रस्तुत।
- *एक्टिविटीज ऑफ़ सैनिटेशन एंड वाटर फॉर आल* (SWA) के सन्दर्भ में जानकारी हेतु यह मूलभूत महत्त्व की है।

## 5.5. सरकारी योजनाएँ

Government Schemes

### 5.5.1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना (NHPS)

**सुर्खियों में क्यों?**

बजट 2018 में, नए भारत 2022 के लिए **आयुष्मान भारत कार्यक्रम** के अंतर्गत **राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना** (NHPS) की घोषणा की गई थी।

**आयुष्मान भारत कार्यक्रम** के दो अवयव है अर्थात् **राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना तथा स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र।**

**स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र:** इन केन्द्रों की स्थापना की कल्पना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के अंतर्गत की गई थी।

- इसके अंतर्गत 1.5 लाख केन्द्रों के माध्यम से लोगों को उनके घरों के निकट स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ प्रदान की जाएंगी।
- ये केंद्र समग्र स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेंगे जिनमें गैर-संचरणीय रोगों से सुरक्षा एवं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं भी सम्मिलित होंगी।
- कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) एवं लोकोपकारी संस्थाओं के माध्यम से इन केंद्रों को अपनाने में निजी क्षेत्रक के योगदान की भी कल्पना की गई है।
- इससे प्रैक्टिशनर्स नर्स जैसे गैर-चिकित्सक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की संख्या में वृद्धि होगी। मौजूदा कर्मचारियों के अतिरिक्त स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (HWC), आवश्यक दवाएं और बुनियादी नैदानिक व्यवस्थाएं नि:शुल्क प्रदान करेगा।
- इस वितरण केंद्र पर विभिन्न ऊर्ध्वाधर रोग नियंत्रण कार्यक्रमों का सम्मिलन होगा।
- **स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र** (HWC) द्वारा प्रौद्योगिकी का उपयोग कर, स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न संकेतकों की निगरानी हेतु रियल टाइम डेटा उत्पन्न किया जा सकता है।

VISION IAS

**राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY)**

- 2007-08 में लांच की गई यह योजना असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों एवं कामगारों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना है।
- यह सूचना-प्रौद्योगिकी सक्षम एवं स्मार्ट-कार्ड आधारित कैशलेस स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था करती है, जिसके अंतर्गत प्रति वर्ष 30,000/- रुपए तक फैमिली फ्लोटर बेसिस के आधार पर मातृत्व लाभ भी सम्मिलित है।
- **वित्तपोषण का स्वरुप:** भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिया जाने वाला योगदान 75:25 के अनुपात में होगा।
- इसे **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय** द्वारा लागू किया जाता है।

**विशेषताएँ**

- **लक्ष्य -** द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रति वर्ष प्रति घर 5 लाख रूपए तक चिकित्सा उपलब्ध कराना।
- **कवरेज -** सामाजिक-आर्थिक एवं जातिगत जनगणना (SECC) डेटा, 2011 के अनुसार देश भर में अनुमानित 10 करोड़ परिवार, "वंचन और व्यवसाय संबंधी मानदंड" के आधार पर कुल जनसंख्या के 40% का गठन करते हैं।
- **JAM का उपयोग –** यह लाभार्थियों का बेहतर लक्ष्यीकरण करने हेतु कैशलेस और आधार सक्षम होगा।
- **वित्त -** यह एक **केन्द्र प्रायोजित योजना** है जिसमें प्रीमियम के प्रति अंशदान का अनुपात होगा:
  - इसके अंतर्गत केन्द्र और राज्य के मध्य **60:40** के अनुपात में वित्त साझा किया जाएगा तथा इसे सभी राज्यों एवं विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा।
  - **केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों एवं तीन हिमालयी राज्यों** के मध्य यह अनुपात **90: 10** का होगा।
  - बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के लिए केंद्र द्वारा **100%** का योगदान किया जाएगा।
  - **केन्द्रीय वित्तपोषण:** इसके लिए आरंभिक कोष 2000 करोड़ रुपए का घोषित किया गया था और शेष का वित्तपोषण 1% अतिरिक्त उपकर (बजट-2018) के माध्यम से किया जाएगा।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना (NHPS), के अंतर्गत **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY)** को समाविष्ट किया जाएगा।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी (NHA)-** इसकी स्थापना राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना (NHPS) का प्रबंधन करने के लिए की जाएगी।
- इसका संचालन जोखिम संयोजन **(रिस्क पूलिंग)** के बीमा सिद्धांत के आधार पर होगा। जब बड़ी संख्या में लोग बीमा योजना के सदस्य बनते हैं, तो उनका केवल एक छोटा समूह ही किसी भी दिए गए वर्ष में अस्पताल में भर्ती होगा।

**महत्व**

- यह विश्व का सबसे बड़ा सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य कार्यक्रम होगा।
- विभिन्न राज्यों में स्थित पृथक-पृथक स्वास्थ्य बीमा सुविधाओं को समेकित करना।

## 5.5.2. मिशन इंद्रधनुष

**(Mission Indradhanush: MI)**

**सुर्ख़ियों में क्यों ?**

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूर्ण टीकाकरण प्राप्त करने हेतु तीव्र मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया।
- PMO, मल्टी-मोडल प्लेटफार्म PRAGATI (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन) प्लेटफार्म के माध्यम से मिशन की समीक्षा करेगा।



VISION IAS

**मिशन इंद्रधनुष**

- सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम 1985 के अंतर्गत यह एक **रणनीतिक प्रयास** है।
- इसका लक्ष्य अप्रतिरक्षित या आंशिक रूप से प्रतिरक्षित **दो वर्ष से कम आयु वर्ग के सभी बच्चों** के साथ-साथ **सभी गर्भवती महिलाओं** का टीकाकरण करना है।
- इंद्रधनुष के **सात रंगों को दर्शाने वाले** मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य **सात टीका निवारण रोगों अर्थात डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, बचपन का क्षय रोग, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और खसरा** के विरुद्ध सभी बच्चों का प्रतिरक्षण करना है।
- इसके अतिरिक्त, **चयनित राज्यों में जापानी इन्सेफलाइटिस, हीमोफिलस इन्फ्लूएंजा टाइप बी, निष्क्रिय पोलियो, रोटा-वायरस और मीजल्स रूबेला का टीका भी प्रदान किया जा रहा है।**
- यह मिशन तकनीकी रूप से WHO, UNICEF, रोटरी इंटरनेशनल एवं अन्य दाता साझेदारों द्वारा समर्थित है

**सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) 1985**

- यह **बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं में मृत्यु दर और रुग्णता (morbidity) को** रोकता है।
- इसके अंतर्गत **जीवन के लिए खतरनाक 12 बीमारियों** के लिए टीकाकरण किया जाता है। ये हैं : तपेदिक, डिप्थीरिया, काली खांसी (कुकर खांसी), टिटनेस, पोलियोमाइलाइटिस, खसरा, हेपेटाइटिस बी, अतिसार, जापानी एन्सेफलाइटिस, रूबेला, रोटावायरस और निमोनिया (मई 2017 में जोड़ा गया)

**निमोनिया टीका**

- विश्व भर में निमोनिया से होने वाली कुल मृत्यु का लगभग 20 प्रतिशत भारत में होती हैं।
- न्यूमोकोकल कॉन्जगेट वैक्सीन (PVC), 13 प्रकार के न्युमोकोकल बैक्टीरिया के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करेगी।

**इन्टेंसीफाइड मिशन इंद्रधनुष की मुख्य विशेषताएं**

- यह कार्य शहरी क्षेत्रों में इससे वंचित रही आबादी के मानचित्रण और इन क्षेत्रों में टीकाकरण सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु ANM (औक्सिलरी नर्स मिडवाइफ) की आवश्यकता आधारित तैनाती के जरिए पूरा किया जाएगा।
- **IMI** में नियमित प्रतिरक्षण से छूट गए दो वर्ष तक की आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हालांकि, **IMI** चक्रों के दौरान मांग के आधार पर **5** वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण प्रदान किया जाएगा।
- इसकी एक **विशिष्ट विशेषता** यह है कि अन्य मंत्रालयों, विशेषकर महिला और बाल विकास, पंचायती राज, शहरी विकास, युवा मामलों आदि के साथ **अभिसरण पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित** किया गया है।
- **इन्टेंसीफाइड मिशन इंद्रधनुष** के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा:
    - **रिक्त उप केंद्रों वाले क्षेत्र** – ऐसे केंद्र जहां **3 महीने से अधिक** समय से ANM तैनात नहीं हैं या फिर अनुपस्थित हैं।
    - कार्यक्रम की पहुंच को लेकर टीकाकरण में संदेह की समस्याओं के कारण उप-केंद्र या शहरी क्षेत्रों में अल्पसेवित/निम्न कवरेज वाले क्षेत्र; उप-केंद्र/ANM, मानदंड की तुलना में बहुत अधिक आबादी को सेवा प्रदान कर रहे हैं।
    - नियमित टीकाकरण सत्र में लगातार तीन या इससे अधिक बार छूटे हुए गांव/क्षेत्र।
    - पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम द्वारा पहचाने गए उच्च जोखिम वाले क्षेत्र जहां स्वतंत्र रूप से नियमित टीकाकरण सत्र आयोजित नहीं किये जा रहे हैं और जिन्हें कुछ अन्य नियमित टीकाकरण सत्रों के साथ जोड़ दिया गया है, जैसे कि-
        - प्रवासी जनसंख्या वाली शहरी स्लम बस्तियां।

VISION IAS

- बंजारों या चलवासियों से जुड़े स्थल (ईंट भट्ठे, निर्माण स्थल, अन्य प्रवासी बस्तियां, मछुआरों के गांव, स्थानांतरण करने वाली आबादी से जुड़े नदीय क्षेत्र, अल्पसेवित और दुर्गम आबादी क्षेत्र, वन और आदिवासी आबादी, पहाड़ी क्षेत्र आदि)
- विगत दो वर्षों के दौरान खसरे के प्रकोप, डिप्थीरिया और नवजात टिटनेस के प्रकरणों के माध्यम से पहचाने गए निम्न नियमित टीकाकरण कवरेज वाले क्षेत्र।

### 5.5.3. मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम

(Mental Healthcare Act)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- केंद्र ने मानसिक रोगियों को पुनर्वासित करने हेतु **"हाफवे होम्स"** को स्थापित करने की सिफारिश की है।

**हाफवे होम्स क्या है?**

- हाफवे होम्स, अस्पताल से डिस्चार्ज हुए ऐसे मानसिक रोगियों के लिए **माध्यमिक/परिवर्ती आवासीय सुविधा** प्रदान करते है, जो स्वयं अथवा परिवार के साथ रहने के लिए पूर्णत तैयार नहीं है।
- अधिनियम के तहत ऐसे हाफवे होम्स मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों के परिसर से बाहर कार्य करेंगे तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के रूप में पंजीकृत होंगे।
- उन्हें मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों द्वारा मान्य सभी मानकों तथा अन्य आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा।
- रोगियों को विभिन्न गतिविधियों को करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा तथा उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए उन्हें भुगतान भी किया जाएगा।
- उन्हें प्रतिष्ठान सहित स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने तथा समुदाय में सम्बन्ध स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। उन्हें निर्धारित समय के भीतर प्रभारी चिकित्सीय अधिकारी के विवेकानुसार किए गए पर्यवेक्षण के तहत बाहर जाने की अनुमति भी प्रदान की जाएगी।
- इस तरह की पहल से मानसिक रोग वाले व्यक्ति को समाज से पुनः संबंध बनाने और नयी शुरूआत करने हेतु दूसरा अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें वास्तविक विश्व के संपर्क में आने से पूर्व अपने भय तथा बाधाओं को दूर करने में सहायता मिलेगी।

**अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान**

- भारतीय दंड संहिता की धारा 309 की शक्ति की व्याख्या करते हुए **आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से हटा** दिया गया है।
- इसमें कानून मानसिक स्वास्थ्य देखरेख के सभी पहलुओं के लिए एक **अधिकार आधारित दृष्टिकोण (rights-based approach)** को अपनाया गया है। यह मानसिक रोगी को क्रूर, अमानवीय तथा अपमानजनक उपचार से सुरक्षा, उनके रोग एवं उपचार सम्बन्धी सूचना का अधिकार, उनकी चिकित्सा स्थिति की गोपनीयता तथा उनके मेडिकल रिकॉर्ड तक पहुंच का अधिकार प्रदान करता है।
- यह एक **अग्रिम लिखित निर्देश प्रावधान** करता है, जिसके माध्यम से लोग मानसिक रोग के उपचार हेतु अपनी प्राथमिकताओं के साथ ही यह भी निर्धारित कर सकते हैं कि वे किस प्रकार का उपचार चाहते हैं।
- मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक रोग एवं आत्महत्या रोकथाम संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के समायोजन हेतु **सरकार को स्पष्ट रूप से उत्तरदायी** बनाया गया है।
- इसके अनुसार सरकार को **मानसिक रोगियों** को समुदाय में रहने **हेतु प्रावधान** बनाने होंगे ताकि वे बड़े संस्थानों में अलग-थलग न पड़े रहें तथा उनके पुनर्वास हेतु हाफवे होम्स, ग्रुप होम्स एवं इसी प्रकार की अन्य सुविधाओं के लिए प्रावधानों का निर्माण भी किया जाना चाहिए।
- इसके अनुसार कानून के पारित होने के 10 वर्षों के भीतर, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या हेतु **सरकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानदंडों** को पूरा करना होगा।



VISION IAS

## 5.5.4. EVIN प्रोजेक्ट

### (eVIN project)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

* **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय** के **इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (eVIN) प्रोजेक्ट** को विभिन्न विकासशील देशों द्वारा सराहा गया है।

**eVIN के बारे में**

* eVIN भारत में एक स्वदेशी तकनीक के आधार पर विकसित प्रणाली है। eVIN, वैक्सीन स्टॉक्स का डिजिटलीकरण करता है और स्मार्टफोन एप्लिकेशन के माध्यम से कोल्ड चेन के तापमान की निगरानी करता है।
* यह तकनीकी नवाचार, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा क्रियान्वित किया गया है।
* यह वैक्सीन फ्लो नेटवर्क को सुव्यवस्थित कर, वैक्सीन की सरल एवं समय पर आपूर्ति के द्वारा स्वास्थ्य प्रणाली को मज़बूत बनाता है।

## 5.5.5 अस्पतालों के प्रदर्शन का आकलन करने वाला सूचकांक

### (Index for Tracking Performance of Hospitals)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ **NITI आयोग** ने *'हेल्थ ऑफ़ आवर हॉस्पिटल्स'* सूचकांक के माध्यम से जिला अस्पतालों की रैंकिंग शुरू की है।

**विवरण**

* इसका उद्देश्य जिले के लोगों को व्यापक स्तर पर ऐसी द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ उपलब्ध कराना है जिनकी गुणवत्ता स्वीकार्य स्तर की हो तथा जो लोगों की आवश्यकताओं और रेफर करने वाले प्राथमिक केंद्रों के प्रति संवेदनशील हों।
* चिकित्सालयों के मूल्यांकन के आधार हैं-
    * प्रति 100,000 जनसंख्या पर चिकित्सालय में कार्यात्मक बिस्तरों की संख्या,
    * चिकित्सकों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ का अनुपात,
    * अनिवार्य औषधियों की अनुपलब्धता की दर,
    * ब्लड बैंक प्रतिस्थापन दर और
    * पोस्ट-सर्जिकल इन्फेक्शन रेट आदि

## 5.5.6. ECHO क्लीनिक

### (Echo Clinic)

* ECHO *(एक्सटेंशन फॉर कम्युनिटी हेल्थकेयर आउटकम्स)* साप्ताहिक या पाक्षिक रूप से संचालित एक *वर्चुअल क्लीनिक* की अवधारणा है। इसका उपयोग सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा टेलीकान्फ्रेंसिंग के जरिए अभावग्रस्त क्षेत्रों तक चिकित्सीय सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा।
* ECHO क्लीनिक, टेलीमेडिसिन की तरह रोगियों को प्रत्यक्ष देखभाल नहीं प्रदान करता है। इसकी जगह, वे जटिल मामलों को प्रबंधित करने के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में **प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने वाले चिकित्सकों** को ज्ञान और सहयोग प्रदान करते हैं।
* यह उन क्षेत्रों में विशेषज्ञ देखभाल और जानकारी प्रदान करने में सहायता करता है, जहाँ कोई भी अस्पताल नहीं है।
* भारत का पहला ECHO क्लीनिक **2008 में** एचआईवी एड्स रोगियों के इलाज के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज (MAMC) द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। तब से ECHO क्लीनिक देश में विभिन्न रोगों से निपटने में सहायता प्रदान कर रहे हैं।



VISION IAS

प्रोजेक्ट ECHO की **शुरुआत 2003 में न्यू मैक्सिको में** हुई थी। तब अमेरिका के एक यकृत रोग विशेषज्ञ ने महसूस किया कि न्यू मैक्सिको में हेपेटाइटिस C के हजारों मामलों में कोई भी उपचार नहीं किया गया था। इस प्रकार, उन्होंने ECHO क्लीनिकों के माध्यम से स्थानीय चिकित्सकों और विशेषज्ञों को एक साथ एकत्रित किया।

### 5.5.7. अमृत आउटलेट

**(AMRIT Outlets)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा सभी जिलों में अमृत आउटलेट खोलने का निर्णय लिया गया।

**अमृत से संबंधित तथ्य**

- इसे कैंसर और हृदय रोगों के उपचार के लिए रोगियों द्वारा किए गए व्यय को कम करने के उद्देश्य से MoHFW द्वारा एक **अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलाएबल इम्प्लान्ट (AMRIT)** कार्यक्रम के रूप में 2015 में शुरू किया गया था।
- अमृत मेडिसन आउटलेट को बहुत कम लागत पर दवाइयों की व्यवस्था करने के लिए समस्त भारत में खोला जाएगा। इसे मिनी रत्न PSU, HLL लाइफकेयर लिमिटेड के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। देश में सर्वप्रथम अमृत आउटलेट एम्स (AIIMS) में खोला गया था।
- अमृत को सभी केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में प्रारंभ किया जाएगा। अमृत फार्मेसी को कैंसर के 202 व कार्डियोवास्कुलर के 186 ड्रग्स तथा 148 प्रकार के हृदय संबंधी इम्प्लांट्स को अत्यधिक वहनीय कीमतों (बाज़ार की तुलना में 60 से 90% छूट वाले मूल्य) पर बेचना होगा।

### 5.5.8. जनऔषधि परियोजना

**(Janaushadhi Pariyojana)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- रेल मंत्रालय ने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के तहत रेलवे स्टेशनों एवं अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों पर जन औषधि केंद्र खोलने की सैद्धांतिक अनुमति प्रदान की है।

**जेनेरिक औषधियां**

- यह एक निम्न लागत वाली औषधि (formulation) है जो गुणवत्ता, खुराक, क्षमता, कार्यप्रणाली (route of administration) और प्रभावकारिता में ब्रांडेड उत्पाद के समान होती है।
- पेटेंट के मुद्दे के कारण जेनेरिक औषधियों की तब तक बाजार में बिक्री नहीं की जा सकती है, जब तक कि ब्रांडेड औषधि का पेटेंट समाप्त नहीं हो जाता है।
- हालाँकि, पेटेंट के बावजूद भी, ब्रांड के अंतर्गत जेनेरिक औषधियां उपलब्ध हैं और इन्हें ब्रांडेड जेनेरिक कहा जाता है

**भारत में जेनेरिक औषधियों के सन्दर्भ में वर्तमान विनियमन**

- **भारतीय चिकित्सा परिषद** की नैतिक संहिता ने अक्टूबर 2016 से चिकित्सकों के लिए रोगी को जेनेरिक औषधियों की सलाह (prescription) देना अनिवार्य बना दिया है, यद्यपि यह लागू नहीं किया गया।
- **स्वास्थ्य मंत्रालय** ने औषध एवं प्रसाधन अधिनियम में परिवर्तन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जेनेरिक औषधियों का नाम, ब्रांड के नाम से अधिक बड़े अक्षरों में मुद्रित किया गया है।
- **भारतीय औषधि नियंत्रक** ने राज्यों को केवल जेनेरिक नामों के आधार पर ही औषधियों के अनुमोदन का आदेश देने का निर्देश दिया है।



VISION IAS

**योजना के संबंध में**

- **प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना, औषध विभाग** द्वारा आरम्भ किया गया एक अभियान है, जिसके तहत **प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJK)** नामक विशेष केंद्र के माध्यम से जनता को उचित कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
- PMBJK के माध्यम से जेनेरिक दवाओं की **खरीद, आपूर्ति और समन्वय** के लिए सभी केन्द्रीय PSUs की सहायता से औषध विभाग के तहत **ब्यूरो ऑफ़ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया (BPPI)** की स्थापना की गयी है।
- इस योजना के तहत खरीदी गई सभी दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, NABL (नेशनल ऐक्रेडियेशन बोर्ड लैबोरेटरीज) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में उनकी जांच की जाती हैं। ये दवाएं WHO GMP (गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज) मानक के अनुरूप कार्य करने वाली कंपनियों से ही प्राप्त की जा सकती हैं।
- राज्य सरकारें जन औषधि केंद्रों के लिए सरकारी अस्पतालों के परिसर अथवा किसी अन्य उपयुक्त स्थल पर स्थान उपलब्ध कराएंगी। PMBJK को **सरकारी निकायों के स्वामित्व वाली किसी भी सरकारी इमारत में किसी भी सरकारी एजेंसी** द्वारा खोला जा सकता है।
- कोई भी NGO/चैरिटेबल सोसाइटी/संस्थान/सेल्फ हेल्प ग्रुप /व्यक्तिगत उद्यमी/ फार्मासिस्ट /डॉक्टर अस्पताल परिसर के बाहर या किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर जन औषधि केंद्र खोल सकता है।

# 6. विविध

(MISCELLANEOUS)

## 6.1. श्रम मंत्रालय: सामाजिक सुरक्षा योजना

(Labour Ministry: Social Security Schemes)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री ने दो योजनाएं- **वन आई पी -टू डिस्पेंसरीज' स्कीम और आधार बेस्ड ऑनलाइन क्लेम सबमिशन** आरम्भ की है।

**योजनाओं के मुख्य बिंदु**

- ESIC (Employee's State Insurance Corporation) की **टू डिस्पेंसरीज स्कीम** में बीमाधारक व्यक्ति (IP-Insured Person) को दो डिस्पेंसरी चुनने का विकल्प दिया गया है। इस योजना के तहत नियोक्ता के माध्यम से एक डिस्पेंसरी स्वयं के लिए तथा दूसरी डिस्पेंसरी परिवार के लिए प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है।
- इससे सभी IPs, विशेष रूप से प्रवासी कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होगा जो अपने मूल राज्य से अलग से अलग किसी अन्य स्थान पर कार्यरत हैं।
- इसके अतिरिक्त, आधार बेस्ड ऑनलाइन क्लेम सबमिशन स्कीम, EPFO के तहत एक आसान PF (प्रोविडेंट फंड) फाइनल सेटलमेंट प्रदान करेगी।

| EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) क्या है? | ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) क्या है? |
|---|---|
| • यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। यह सेवानिवृत्ति लाभ योजना क्रियान्वित करता है। यह योजना सभी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है।<br>• EPF योजना, 20 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाली कंपनियों पर लागू होती है।<br>• 50 से कम व्यक्तियों को नियोजित करने वाली सहकारी समितियों पर लागू नहीं होता है। साथ ही साथ उस संगठन पर लागू नहीं होता है जिसके पास स्वयं की EPF योजना है लेकिन इस योजना हेतु सुपरवाइज़र EPFO के द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा। | • यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक, स्वायत्त निगम है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी।<br>• यह कार्य के दौरान लगी चोट के कारण हुई मृत्यु, बीमारी, मातृत्व और विकलांगता संबंधी स्थितियों में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को चिकित्सा और नकद लाभ प्रदान करता है।<br>• यह मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों के लिए प्रयोज्य है।<br>• कुछ राज्यों में 10 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले गैर-मौसमी कारखानों तथा 20 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले संस्थानों के लिए अनिवार्य। |

## 6.2. सूचकांक और रिपोर्टें

Indexes and Reports

### 6.2.1 सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स: स्टेट ऑफ़ इंडिया

(Social Progress Index: State of India)

**सुर्ख़ियों में क्यों ?**

हाल ही में, सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव एंड इंस्टिट्यूट ऑफ़ कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा भारत के राज्यों के लिए सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स (सामाजिक प्रगति सूचकांक) 2017 जारी किया गया है।



VISION IAS

**सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स (SPI) से संबंधित तथ्य**

- यह परम्परागत आर्थिक माप उपकरणों (आय GDP, GVA इत्यादि) से परे, विभिन्न राज्यों में समाज की प्रगति का मापन करता है।
- SPI सामाजिक प्रगति के तीन व्यापक मानदंडों का मापन करता है:
    - एक समाज की अपने नागरिकों की मूलभूत मानव आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता,
    - नागरिकों और समुदायों को उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने और बनाए रखने की अनुमति देना,
    - सभी व्यक्तियों को उनकी पूर्ण क्षमता तक पहुँचने के लिए परिस्थितियाँ सृजित करना।
- इसमें समाज की प्रगति को मापने के लिए तीन आयाम और चार स्तर हैं।(बॉक्स में देखिए)

**स्कोर के चार स्तर**

| स्तर | स्कोर |
|---|---|
| अत्यधिक उच्च सामाजिक प्रगति | 62.18 के समान या इससे अधिक |
| उच्च सामाजिक प्रगति | 62.17 और 56.64 के मध्य |
| मध्यम सामाजिक प्रगति | 56.63 और 53.51 के मध्य |
| निम्न सामाजिक प्रगति | 53.51 से कम |

**रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं**

- 100 में से 58.39 स्कोर के साथ, भारत 128 देशों में से 93वें स्थान पर है।
- 90.57 स्कोर के साथ डेनमार्क प्रथम स्थान पर है।
- राज्यवार सामाजिक प्रगति (उच्चतम से निम्नतम): केरल (68.09), हिमाचल प्रदेश (65.39), तमिलनाडु (65.34), मिजोरम (62.89), दिल्ली (60.17) और हरियाणा (44.89)।

### 6.2.2. वैश्विक मानव पूँजी सूचकांक (ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स)

**(Global Human Capital Index)**

**सुर्खियों में क्यों ?**

- WEF की *ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स* में भारत को काफी निचले स्थान पर रखा गया है।

VISION IAS

- यह रिपोर्ट 130 देशों की, पाँच अलग-अलग आयु समूहों में, चार प्रमुख क्षेत्रों (जैसा कि आंकड़े में दिखाया गया है) में गणना करती है, ताकि किसी देश की सम्पूर्ण मानव पूँजी क्षमता पर पूर्ण रूप से प्रकाश डाला जा सके।

**विश्व आर्थिक मंच**

यह 1971 में स्थापित एक गैर-लाभकारी संस्था है और इसका मुख्यालय **स्विट्जरलैंड** के **जिनेवा** में है।

WEF द्वारा जारी प्रमुख रिपोर्टें और इंडेक्स

- वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता रिपोर्ट (*ग्लोबल कॉम्पिटीटिवनेस रिपोर्ट*)
- वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट (*ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट*)
- वैश्विक मानव पूँजी रिपोर्ट (*ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट*)
- समावेशी विकास सूचकांक (*इन्क्लूज़िव डेवलपमेंट इंडेक्स*)
- यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्द्धात्मकता रिपोर्ट (*ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटीटिवनेस रिपोर्ट*)
- वैश्विक ऊर्जा संरचना प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट (*ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉरमेंस इंडेक्स रिपोर्ट*)

**भारत का प्रदर्शन**

- भारत ने अपनी पिछले साल की रैंक से इस वर्ष 2 **स्थानों का उन्ननयन** किया है, तथापि यह अभी भी **जी-20** ब्रिक्स देशों में भी सबसे निचले स्थान पर है।
- अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों में भी भारत, श्रीलंका (70) और नेपाल (98) से भी कम स्थान पर है।
- भारत ने लैंगिक अंतर में सबसे ख़राब प्रदर्शन किया है। हालाँकि, इसने 130 देशों के बीच 65वीं रैंक के साथ भविष्य के लिए आवश्यक कौशल पर अच्छा प्रदर्शन किया है।

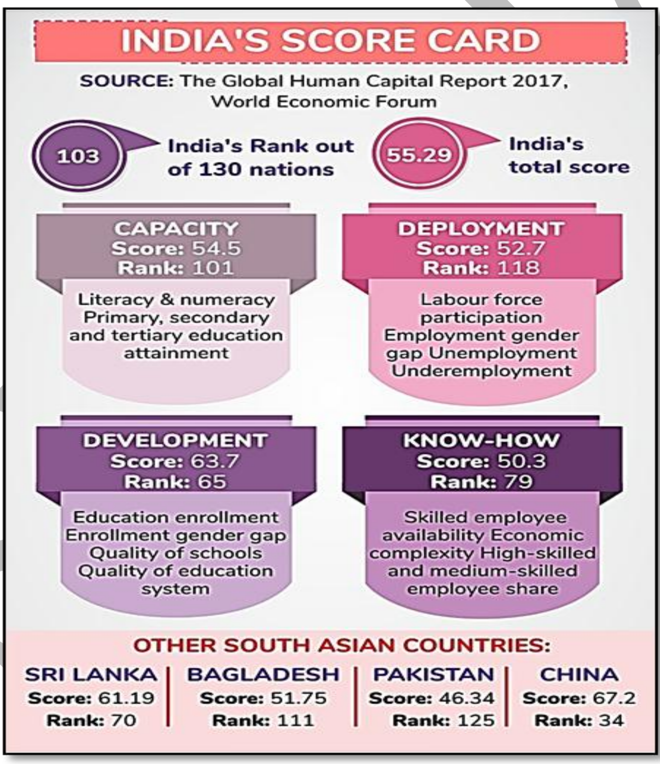


## 6.2.3. SDGS सूचकांक

(SDGs Index)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

'सतत विकास समाधान नेटवर्क' (SDSN) द्वारा आयोजित 'सतत विकास सूचकांक (SGDs)' और डैशबोड्र्स रिपोर्ट, 2017' में भारत को 157 देशों की सूची में 116वां स्थान प्राप्त हुआ है।

**डैशबोर्ड रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं**

- भारत सूचकांक में 116वें स्थान पर है। भारत, नेपाल, ईरान, श्रीलंका, भूटान और चीन जैसे देशों से पीछे है। पाकिस्तान का स्थान 122वां है।
- राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद की बढ़ती प्रवृत्तियां लक्ष्यों को लागू करने के समक्ष अवरोध उत्पन्न कर रही है।

- सतत उपभोग और उत्पादन से संबंधित खराब प्रदर्शन, उच्च आय वाले देशों के लिए वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक सबसे बड़ी बाधा है।
- छोटे विकसित देश, लक्ष्यों को प्राप्त करने के सबसे नजदीक हैं।
- संपन्न देश वैश्विक नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने से अभी दूर हैं साथ ही नकारात्मक प्रभावों (negative spill over effects) के कारण ये गरीब देशों की कार्यान्वयन प्रक्रिया को भी बाधित कर रहे हैं।

**सतत विकास समाधान नेटवर्क (SDSN)**

- 2012 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्वावधान में संचालित है।
- यह अनुसंधान केन्द्रों, विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों का एक स्वतंत्र वैश्विक नेटवर्क है।
- यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास से संबंधित शिखर सम्मेलन (UNCSD, या रियो + 20) के परिणामों पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया का एक भाग है।

**कार्य**

- यह संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, बहुपक्षीय वित्तपोषण संस्थानों, निजी क्षेत्र और सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर कार्य करता है।
- सतत विकास के संबंध में समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता को संगठित करना।
- यह **SDGs और पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते** के लिए व्यावहारिक समाधान प्रदान करता है।

## 6.3. कार्यक्रम और योजनाएं

**Programmes and Schemes**

### 6.3.1. स्वच्छ भारत अभियान

**(Swachchh Bharat Abhiyan)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- विभिन्न सिविल सोसाइटीज़ एवं आकलन समूहों ने स्वच्छ भारत अभियान के तीसरे वर्ष 2017 में स्वच्छता के संबंध में आंकड़े ज़ारी किये।

**स्वच्छ भारत अभियान (SBA)**

- इस अभियान का उद्देश्य महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती, 2 अक्टूबर 2019 तक 'स्वच्छ भारत' के दर्शन को साकार करना है।
- यह अभियान क्रमशः पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दो मिशनों अर्थात्; स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) एवं स्वच्छ भारत अभियान (शहरी) के रूप में संचालित किया जा रहा है।

**स्वच्छता पर पूर्ववर्ती पहलें**

- 1986 में, सरकार ने **केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (CRSP)** के अंतर्गत पहला राष्ट्रव्यापी स्वच्छता कार्यक्रम लांच किया था।
- 1999 में, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (CRSP) को **संपूर्ण स्वच्छता अभियान (TSC)** के अंतर्गत पुनर्संरचित किया गया। संपूर्ण स्वच्छता कवरेज, स्वच्छ पर्यावरण के रखरखाव एवं खुले में शौच से मुक्त पंचायत गांवों, प्रखण्डों और जिलों के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार जैसी योजनाओं के माध्यम से इस कार्यक्रम को सशक्त स्वरुप प्रदान किया गया।
- 2008 में शहरी स्वच्छता नीति (NUSP) ने राज्य स्वच्छता रणनीति की योजना के अंतर्गत शहर स्वच्छता की योजना तैयार करने हेतु शहरों के लिए एक रूपरेखा बनायी। स्वच्छता सेवाओं के मानदंडों के आधार पर शहरी स्वच्छता पुरस्कार और रेटिंग भी आरम्भ किये गए थे।
- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं जैसे कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JNNURM), छोटे और मध्यम शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (UIDSSMT), राजीव आवास योजना आदि शहर के स्तर पर स्वच्छता संपत्ति जैसे व्यक्तिगत शौचालयों,





VISION IAS

सामुदायिक शौचालय प्रखण्डों एवं अपशिष्ट जल उपचार और निपटान सुविधाओं के निर्माण के लिए धन प्रदान करती हैं।

- 2012 में, संपूर्ण स्वच्छता अभियान का नाम परिवर्तित कर **निर्मल भारत अभियान** (NBA) कर दिया गया था। 2 अक्टूबर, 2014 को पुन: स्वच्छ भारत अभियान के रूप में लांच किया गया था।

**यह पूर्ववर्ती पहलों से किस प्रकार भिन्न है?**

- स्वच्छ भारत मिशन (SBM) ने अपना उद्देश्य आउटपुट (निर्मित शौचालयों की संख्या) से परिणाम (खुले में शौच मुक्त गांवों) में परिवर्तित किया है।
- यह खुले में शौच मुक्त घोषित होने के बाद **सत्यापन प्रणाली** (90 दिन) के माध्यम से संधारणीयता पर जोर देता है। क्योंकि संभव है गांवों में पुरानी आदतों के कारण लोग खुले में शौच के 'पुराने ढर्रे पर लौट आएँ।
- प्रभावी सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) के माध्यम से **व्यवहार परिवर्तन अभियान** जैसे कि;
    - "दरवाजा बंद " (खुले में शौच पर) अभियान।
    - समुदाय-स्तर पर शौचालयों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए जमीनी स्तर के प्रशिक्षित नेतृत्व या स्वच्छाग्रही को तैयार करना।
    - भारत में प्रत्येक गाँव में स्थानीय रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों, जमीनी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और स्कूल के छात्रों तथा कम से कम एक प्रशिक्षित जमीनी-स्तर के स्वच्छाग्रही को कार्यक्रम में शामिल करना।

### 6.3.2. स्वच्छता ही सेवा

**(Swacchta Hi Seva)**

**सुर्खियों में क्यों?**

- हाल ही में, सरकार द्वारा कम्पनियों को **स्वच्छता ही सेवा अभियान** हेतु उनकी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) निधियों के 7 प्रतिशत का योगदान करने के लिए कहा गया है।

**कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी**

- यह एक प्रबंधन अवधारणा है, जिसके अंतर्गत कंपनियों द्वारा पर्यावरण एवं लोगों के सामाजिक कल्याण पर अपनी कॉर्पोरेट योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने और इसे अपने व्यापार मॉडल में एकीकृत करने का उत्तरदायित्व लिया जाता है।
- कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, 500 करोड़ रुपये की नेटवर्थ या 1 करोड़ रुपये की आय या 5 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ वाली कंपनियों को, गत तीन वर्षों के अपने औसत लाभ का 2% अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुपालन के रूप में खर्च करने चाहिए।

**'स्वच्छता ही सेवा' अभियान क्या है?**

- स्वच्छता ही सेवा अभियान, सरकार द्वारा **स्वच्छ भारत मिशन (SBM)** के अंतर्गत आरंभ किया गया 15 दिन का अभियान है। इस अभियान को **पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय** द्वारा समन्वित किया गया।
- इस अभियान के अंतर्गत, SBM को **जनांदोलन (mass movement)** बनाने के लिए सभी क्षेत्रों के लोगों को **श्रमदान (ऐच्छिक श्रम)** करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था।
- इस अभियान के द्वारा सार्वजनिक और पर्यटन स्थलों की सफाई को लक्षित किया गया। इसने स्वच्छता और शौचालय निर्माण के लिए जन सामान्य को संगठित किया।
- यह अभियान भागीदारी के स्तर पर उल्लेखनीय ढंग से सफल रहा। इसमें भारत के राष्ट्रपति से लेकर, विधायकों, आम नागरिकों, मशहूर हस्तियों, सेना कर्मियों, स्कूल के बच्चों और अन्य कई व्यक्तियों की भागीदारी रही है।
- यह अभियान 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर समाप्त हुआ। इस दिन को **स्वच्छ भारत दिवस (Clean India Day)** के रूप में भी मनाया जाता है।

VISION IAS

[स्वच्छ भारत मिशन के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृपया Vision IAS Current Affairs August 2017 देखें।]

**स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अन्य समान पहलें:**

- **स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ सिद्धि -** इस अभियान के अंतर्गत, स्कूल के बच्चों पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ आम लोगों के लिए निबंध, लघु फिल्म और पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
- **स्वच्छाथॉन - स्वच्छ भारत हैकाथॉन -** इसने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा सामना किए जा रहे कुछ चुनौतीपूर्ण सवालों के लिए प्रौद्योगिकी आधारित नवचारपूर्ण समाधानों को आमंत्रित किया है। ये चुनौतियाँ बड़े पैमाने पर स्वच्छतापूर्ण ढंग से शौचालयों का उपयोग करना, बड़े पैमाने पर व्यवहार में कैसे परिवर्तन किया जाये, कठिन क्षेत्रों हेतु मितव्ययी तकनीकी डिज़ाइन आदि हैं।

### 6.3.3. अरुणाचल प्रदेश खुले में शौच मुक्त (ODF) बना

(Arunachal Becomes Open Defecation Free)

**सुर्ख़ियों में क्यों ?**

हाल ही में, पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के पश्चात् खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला दूसरा राज्य बना है।

**संबंधित विवरण**

- इसके साथ स्वच्छ अरुणाचल मिशन को भी शुरू किया गया है, जिसमें स्वच्छ प्रोटोकॉल (स्वच्छता प्रोटोकॉल) की परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य SBM (ग्रामीण) के तहत निर्मित संपत्तियों की धारणीयता सुनिश्चित करना है।
- सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तराखंड और हरियाणा कुल 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रथम 5 राज्य हैं, जो सम्पूर्ण भारत में ODF मुक्त घोषित हुए हैं।
- ग्रामीण भारत में स्वच्छता कवरेज 2014 में 39% से बढ़कर 76% हो गई है।

**स्वच्छ भारत ग्रामीण (SBG)**

इसका उद्देश्य निम्नलिखित माध्यमों से 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ और ODF ग्रामीण भारत का लक्ष्य प्राप्त करना है

- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में तीव्रता लाकर,
- समुदायों को स्थायी स्वच्छता प्रथाओं और सुविधाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करके,
- वैज्ञानिक ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों पर केंद्रित स्वच्छता प्रणालियों को प्रबंधित करने वाले समुदायों का विकास करके,
- लैंगिकता पर सार्थक सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करना और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देकर।

**एक राज्य ODF मुक्त कैसे घोषित होता है ?**

- स्वच्छता **राज्य सूची का विषय** है।
- पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने किसी ग्राम पंचायत या गाँव को ODF का दर्ज़ा प्रदान करने हेतु दो मापदंड प्रदान किए हैं:
    - खुले में/गाँव में मल नहीं दिखाई देना चाहिए; और,
    - प्रत्येक परिवार के साथ-साथ सार्वजनिक/सामुदायिक संस्थानों को मल के निपटान हेतु सुरक्षित प्रौद्योगिकी विकल्प का उपयोग करना चाहिए (यहां सुरक्षित प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि सतही मृदा, भूजल या सतह का जल प्रदूषण मुक्त, मल को मक्खियों या जानवरों की पहुँच से दूर, ताजे मल का कोई प्रबंधन करने की समस्या नहीं और दुर्गंध एवं गंदी/देखने पर असह्य स्थितियों से मुक्ति)



VISION IAS

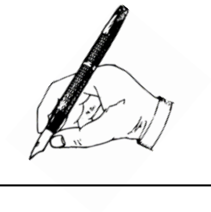

- **भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI)** को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के खुले में शौच मुक्त (ODF) के दावे की पुष्टि करने का कार्य सौंपा गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में राज्य चयन कर सकता है कि सत्यापन किसके द्वारा कराया जाए- यह कार्य उसकी टीमों या तृतीय पक्ष के माध्यम से हो सकता है।

### 6.3.4. भारत युवा विकास सूचकांक एवं रिपोर्ट 2017

**(India Youth Development Index And Report 2017)**

**सुर्खियों में क्यों?**

हाल ही में, सरकार द्वारा भारत युवा विकास सूचकांक एवं रिपोर्ट 2017 जारी की गयी।

**वैश्विक युवा सूचकांक(ग्लोबल यूथ इंडेक्स)**

- इसे **राष्ट्रमंडल सचिवालय** द्वारा पांच क्षेत्रों- शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नागरिक भागीदारी व राजनीतिक भागीदारी के व्यापक पैमाने का उपयोग कर विकसित किया गया है।
- यह नीति-निर्माताओं को **युवाओं की आवश्यकताओं तथा अवसरों** के संबंध में सुविज्ञ (informed) निर्णय लेने तथा **संधारणीय विकास लक्ष्य** प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है।

**भारत युवा विकास सूचकांक, 2017**

- इस सूचकांक का निर्माण राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (RGNIYD) द्वारा विभिन्न राज्यों में **युवा विकास संबंधी रुझानों** की निगरानी के उद्देश्य से किया गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार 'युवा' से आशय 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के दौरान किशोरावस्था और वयस्कता के मध्य संक्रमणकालीन जीवन चरण से है (जैसा कि राष्ट्रमंडल और राष्ट्रीय युवा नीति 2014 द्वारा स्वीकार किया गया है)।
- विभिन्न आयाम जिनके आधार पर YDI 2017 निर्मित किया गया है वे निम्नलिखित हैं:
  - शिक्षा
  - स्वास्थ्य
  - राजनीतिक प्रतिभागिता
  - नागरिक सहभागिता
  - कार्य
  - सामाजिक समावेश (IYDI 2017 में जोड़ा गया नवीन आयाम)

**YDI-2017 की मुख्य विशेषताएँ**

- भारत में 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु तथा 50% जनसंख्या 25 वर्ष से कम आयु की है। वर्ष 2020 तक 29 वर्षों की औसत आयु के साथ भारत विश्व में सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा।
- राज्यों में व्यापक भिन्नता के साथ राष्ट्रीय YDI मान 0.569 है। उदाहरण के लिए, बिहार (0.466) तथा हिमाचल प्रदेश (0.689) में उपस्थित विभिन्नता।
- पुरुषों के लिए YDI स्कोर 0.625 तथा महिलाओं के लिए 0.535 है।
- **युवा लैंगिक विकास सूचकांक का स्कोर** 0.856 है।
- **युवा शिक्षा सूचकांक** 0.513 है।
- **युवा स्वास्थ्य सूचकांक** का स्कोर **0.632** है।
- **युवा कार्य सूचकांक और युवा नागरिक सहभागिता स्कोर** क्रमशः 0.572 और 0.191 हैं।
- **राष्ट्रीय स्तर पर युवा राजनीतिक प्रतिभागिता सूचकांक का स्कोर** 0.436 है, जिसका अर्थ है कि युवाओं के राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय होने की संभावना है।
- **युवा सामाजिक समावेश सूचकांक** 0.785 है।

VISION IAS

**राष्ट्रीय युवा नीति 2014**

- इसका निर्माण युवाओं को अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने हेतु सशक्त बनाने तथा उनके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारत को उपयुक्त स्थान हासिल करने में समर्थ बनाने के उदेश्य से किया गया था।
- इसके तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार, उद्यमिता, स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन शैली, खेलकूद, सामाजिक मूल्यों का संवर्धन, सामुदायिक भागीदारी, राजनीति और शासन में भागीदारी, युवा संलग्नता, समावेश तथा सामाजिक न्याय सम्मिलित हैं।

### 6.3.5. विद्यार्थी विज्ञान मंथन

(Vidyarthi Vigyan Manthan)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- हाल ही में, सरकार ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन (VVM) के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।

**विजनन भारती (VIBHA),**

- यह देश के सबसे बड़े विज्ञान आंदोलनों में से एक है, जो प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति उत्पन्न करना, उनमें उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना और उन्हें विशुद्ध विज्ञान के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना है।

**कार्यक्रम के संबंध में**

- यह कार्यक्रम, 6 से 11 वीं कक्षा के स्कूल छात्रों को विज्ञान में शिक्षित करने और उनके मध्य विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए है।
- यह छात्र समुदाय के मध्य कुशाग्र मस्तिष्क की पहचान करने का प्रयास करता है, जो विज्ञान से संबंधित विषयों पर उत्सुक होते हैं।
- छात्रों में मस्तिष्क के वैज्ञानिक रुझान की पहचान हेतु, सरकार राष्ट्रीय स्तर पर एक वार्षिक प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजित करेगी।
- यह मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के अधीन संस्थान 'राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद', तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन, 'विज्ञान प्रसार', के सहयोग से **विज्ञान भारती (VIBHA) की एक पहल है।**

### 6.3.6. LPG पंचायत

(LPG Panchayat)

**सुर्खियों में क्यों?**

- केंद्र सरकार द्वारा **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना** को समर्थन प्रदान करने के लिए **LPG पंचायत** का शुभारंभ किया गया।

**प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना**

- इसका उद्देश्य 2019 तक BPL परिवारों को 500 करोड़ LPG कनेक्शन प्रदान करना है।
- यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन मई 2016 में प्रारंभ की गयी थी।
- महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इस योजना के अंतर्गत LPG कनेक्शन घर की महिला के नाम पर जारी किए जाएँगे।
- इस योजना के अंतर्गत BPL परिवारों की पहचान, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़ों के द्वारा की जाएगी।
- इसके द्वारा न सिर्फ़ रोजगार और व्यवसाय के अवसर प्रदान किये जाएँगे, अपितु "मेक इन इंडिया" अभियान को भी बढ़ावा मिलेगा।

VISION IAS

**LPG पंचायत कैसे कार्य करेगी?**

- केंद्र द्वारा आगामी डेढ़ वर्ष में, पूरे देश में एक लाख LPG पंचायतों के आयोजन की योजना बनायी गयी है।
- LPG पंचायत एक क्षेत्र के लगभग 100 LPG उपभोक्ताओं को एक साथ लाने और LPG के सुरक्षित और धारणीय उपयोग, इसके लाभ और स्वच्छ ईंधन के उपयोग एवं महिलाओं को इससे स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम कर उनके सशक्तिकरण के सम्बन्ध में अवगत कराने के लिए परस्पर संवाद हेतु (interactive) एक मंच प्रदान करेगी।
- पंचायत में सुरक्षित क्रियाओं, वितरकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता और रिफिल सिलेंडर की उपलब्धता शामिल होगी।

### 6.3.7. उत्कृष्ट इंपैक्ट बॉन्ड

**(Utkrisht Impact Bond)**

**सुर्ख़ियों में क्यों**

यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) द्वारा हैदराबाद में आयोजित 'वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन (Global Entrepreneurship Summit: GES)' में राजस्थान डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड (उत्कर्ष प्रभाव बांड) का आरंभ किया गया।

**बॉन्ड से सम्बंधित तथ्य**

- इसे, निजी स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार करने और सरकार के गुणवत्ता मानकों के पालन द्वारा राजस्थान में मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रारंभ किया गया है।
- यह स्वास्थ्य सेवा से सम्बंधित **विश्व का प्रथम डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड (DIB)** है। इसे सार्वजनिक-निजी साझेदारी के तहत प्रारम्भ किया गया है तथा यह 440 छोटे हेल्थकेयर संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
- **लक्ष्य:** प्रसव के दौरान बेहतर देखभाल सुविधाओं के साथ 600,000 गर्भवती महिलाओं को सेवा प्रदान करना और आगामी पाँच वर्षों तक 10,000 महिलाओं और नवजात शिशुओं के जीवन को सुरक्षा प्रदान करना।

**डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड (DIB)**

ये परिणाम आधारित बॉन्ड हैं जिनके तहत यदि सेवा प्रदाता पूर्व-निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो प्रदाता द्वारा निजी निवेशकों को ब्याज सहित उनका निवेश वापस कर दिया जाता है।

### 6.3.8 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

**(National Rural Drinking Water Programme)**

**सुर्खियों में क्यों?**

हाल ही में मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) की निरंतरता तथा पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की है।

**सम्बंधित तथ्य :**

- पुनर्गठन का उद्देश्य योजनाओं की संधारणीयता (कार्यात्मकता) पर अधिक ध्यान देने के साथ इसे **परिणाम-आधारित, प्रतिस्पर्धी और बेहतर निगरानी प्रदान करना** है।
- NRDWP के अंतर्गत **राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन (NWQSM)** का वित्त पोषण किया जाएगा।

**NWQSM**

- इसका प्रारम्भ 2017 में, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा 2020 तक देश के जल की गुणवत्ता को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने हेतु किया गया।
- यह मार्च 2021 तक आर्सेनिक, फ्लोराइड, लौह, लवणता तथा नाइट्रेट जैसे प्रमुख भौतिक-



VISION IAS

रासायनिक प्रदूषकों से प्रभावित बस्तियों हेतु स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।
- मिशन ने पेयजल को दूषित घोषित करने हेतु **भारतीय मानक ब्यूरो** के विनिर्देशों को अपनाया है।

**कार्यक्रम के संबंध में**

- इसका आरम्भ पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अंतर्गत 2009 में किया गया तथा इसे रणनीतिक योजना 2011-2022 के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।
- इसके अंतर्गत सुवाह्यता (portability), पर्याप्तता (adequacy), सुविधा, वहनीयता और समता के संदर्भ में जल उपलब्धता की संधारणीयता सुनिश्चित करने पर बल दिया जाता है।
- यह **केंद्र प्रायोजित योजना** है। इसके तहत केंद्र और राज्यों के मध्य कोष की बराबर की साझेदारी (50:50) की जाती है।
- इसने पेयजल से सम्बन्धित कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं, यथा:
  - मनुष्यों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन (lpcd) 40 लीटर सुरक्षित पेय जल।
  - मरूस्थल विकास कार्यक्रम क्षेत्रों में मवेशियों के लिए 30 lpcd अतिरिक्त जल।
  - प्रति 250 व्यक्तियों पर एक हैंड पंप या स्टैंड पोस्ट।
  - पानी का स्रोत बस्ती के अन्दर/मैदानों में 1.6 कि.मी. के भीतर और पहाड़ी क्षेत्रों में 100 मीटर की ऊंचाई पर विद्यमान होना चाहिए।
- कार्यक्रम के अन्य घटकों में सम्मिलित हैं-
  - पाइपों के माध्यम से जलापूर्ति पर बल, सेवा वितरण के स्तर में वृद्धि, जल गुणवत्ता से प्रभावित बस्तियों को शामिल करने पर बल।
  - खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित गांवों, सांसद आदर्श ग्राम योजना, एकीकृत कार्य योजना (IAP) के जिलों, पाइप से जलापूर्ति वाली सीमावर्ती चौकियों (BOP) का कवरेज और जल आपूर्ति से सम्बन्धित परिसंपत्तियों के समुचित संचालन एवं प्रबंधन (O&M) हेतु संस्थागत स्थापना।

## 6.3.9. स्वजल योजना

**(Swajal Yojana)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- हाल ही में, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने ग्राम भीकमपुरा, जिला करौली, राजस्थान में स्वजल पायलट परियोजना का शुभारम्भ किया गया था।

**स्वजल परियोजना के सम्बन्ध में**

- वर्ष-भर अनवरत स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही यह परियोजना रोजगार भी सृजित करेगी।
- यह स्वजल परियोजना के अंतर्गत **दूसरी परियोजना** है। इससे पहले यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में लागू की जा चुकी है।
- परियोजना लागत का 90% सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि परियोजना लागत के शेष 10% का योगदान समुदाय द्वारा किया जायेगा।
- इस परियोजना का नाम पुरानी स्वजल परियोजना से लिया गया है, जो 1996 में उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जल और पर्यावरण स्वच्छता को समर्पित विश्व बैंक की एक परियोजना थी।

## 6.3.10 वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट

**(World Inequality Report)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैलिफोर्निया में वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब द्वारा वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट जारी की गई।

VISION IAS

**रिपोर्ट के निष्कर्ष**

- इस रिपोर्ट के अनुसार, **राष्ट्रों के मध्य असमानता का स्तर कम हो रहा** है क्योंकि परम्परागत रूप से निर्धन देश अन्य विकसित देशों से आगे निकल रहे हैं, हालाँकि प्रत्येक देश के भीतर असमानता में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है।
- विश्व भर के क्षेत्रों में आय असमानता में काफी भिन्नता है। जैसे- **यूरोप में सबसे कम और मध्य पूर्व में सबसे अधिक है**।

**भारत में आय असमानता**

- रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत की **आय असमानता में बहुत अधिक वृद्धि हो रही** है। 2014 में भारत के शीर्ष 1% अर्जकों के पास राष्ट्रीय आय की 22% हिस्सेदारी थी और शीर्ष 10% अर्जकों के पास 56% हिस्सेदारी थी।
- 1980 के दशक में **विनियमन नीतियों के पश्चात से,** 0.1% अर्जकों की कुल सम्पदा बढ़कर निचले 50% लोगों की कुल सम्पदा से अधिक हो गई है और मध्यम 40% की आय में अपेक्षाकृत कम वृद्धि देखी गई है।

**Copyright © by Vision IAS**

*All rights reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS*